खण्ड-174, अंक-5
बुधवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1878
(25 जुलाई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१९)

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री

मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराजशुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री

वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
साफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़-पीड़ितों को अधिक सहायता देने की मांग

**१—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में ३-७-५६ की बाढ़ के कारण माल तथा जान की अत्यधिक क्षति पहुंची है? यदि हां, तो क्या?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी हां, मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४६ पर)

**२—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ पीड़ित जनता को सरकार से क्या-क्या सहायता दी जा रही है?

श्री चरण सिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४७ पर)

**३—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार से भी कुछ सहायता दी गई है? यदि हां, तो क्या?

श्री चरणसिंह—केंद्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी गई, परन्तु सेना की ओर से ६ पंपिंग सेट मिले जिनसे पानी को बाहर निकालने में मदद मिली। आवश्यकता पड़ने पर सेना की ओर से मोटर बोट, डक तथा आदमी भी मदद करने के लिये आये ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार ने यह भी जानने की कोशिश की है कि इतने थोड़े से इलाके में इतनी अधिक वर्षा क्यों हुई है?

श्री चरण सिंह—यह समझकर कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, इसलिये हमने यह कोशिश नहीं की।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में मामूली एक मकान बनाने में कम से कम १ हजार रुपया खर्च होता है, और क्या सरकार अपनी तकावी ५०० रुपये से बढ़ा कर अधिक करने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह—मकान तो वहां ज्यादा कीमती होते हैं इसमें शक नहीं है। लेकिन रुपये की हमारे पास कमी है इसलिये मजबूरी है। इस पर एक बार विचार हो चुका है कि ५०० रुपये से ज्यादा देने में सरकार अपने आपको असमर्थ पाती है। लेकिन रुपया कहीं से मिल जाने पर विचार तो फिर भी हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जब पिछले दिनों पश्चिमी जिलों की बाढ़ सम्बन्धी वादविवाद चल रहा था तो माननीय माल मंत्री जी ने यह सूचित किया था कि केन्द्रीय सरकार से एक हजार टन के लगभग अनाज की सहायता मांगी गयी है। यदि हां, तो इस समय तक उसमें क्या कार्यवाही हुई?

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १—३ श्री बलवन्त सिंह ने पूछे ।

श्री चरण सिंह---इसका मुझे इल्म नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उस दिन के विवाद के समय मुजफ्फरनगर जिले को मदद दिये जाने के बारे में जो व्यौरा सरकार ने दिया था क्या उस दिन के बाद भी कोई सहायता दी गयी है ?

श्री चरण सिंह---मुजफ्फरनगर जिले को जो सहायता दी गयी है उसकी तफसील सूची में जवाब के साथ लगी हुई है। जो गल्ले की सहायता अब मांगी गयी है इसको मालूम करके बतला सकूंगा।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस बाढ़ के कारण जो भूमिहीनों के मकान गिर गये हैं उनको सहायता देने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह---उनको ५० रुपये तक सब्सीडी के तौर पर मिल सकता है जिलाधीशों को यह आदेश दिये गये हैं कि टिन शीट जो भूमिहीन लेना चाहें उनको टिनशीट की एक तिहाई कीमत तक बतौर सब्सिडी दे दी जाय जिसकी लिमिट भी ५० तक होगी।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले भी जिन जगहों में अधिक पानी से जो नुकसान हुआ है उसकी वजह ड्रेनेज सिस्टम का ठीक न होना है तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

श्री चरण सिंह---ड्रेनेज सिस्टम पर तो सरकार ध्यान दे रही है लेकिन जिस तरह कि यह वर्षा हुई है उसके लिये कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। नार्मल टाइम्स के लिये ड्रेनेज बनाया जा सकता है। हजारों वर्षों में ऐसी वर्षा होती है अगर उसके लिये कोई ड्रेनेज बनाया भी जाय तो जब हजार वर्ष बाद ऐसी वर्षा फिर होगी तब तक वह ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जायगा।

श्री बलवन्त सिंह--- क्या सरकार के पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ऐसी रिपोर्ट आयी है कि जो गांव नीचे पर बसे हुए हैं उनको ऊंचे पर बसाया जाय, यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह--- डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय २५-३० सफों में आयी हुई है लेकिन उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार ऐसे गांव जो नीचे बसे हुए हैं और जिनमें आये साल नुकसान होता रहता है उनको ऊंचे पर बसाने के आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देगी ?

श्री चरण सिंह--- अगर इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार पूर्व की फ्लड लाइन के कुछ गांव ऊंचे किये जा रहे हैं उसी प्रकार मुजफ्फरनगर में भी इसकी जरूरत होगी तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई आवश्यकता होगी।

श्री द्वारका प्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)--- क्या सरकार को यह मालूम है कि देहात में जो मकान गिरे हैं वह अधिकतर ऐसे आदमियों के हैं जो लैण्डलैस लेबरर्स हैं ?

श्री चरण सिंह--- साढ़े सत्तरह हजार मकान उन गांवों में हैं जिनमें भारी वर्षा हुई है, उनमें से ७ हजार मकान यानी ४० प्रतिशत मकान गिरे हैं। मैं नहीं समझता कि ४० प्रतिशत मकान भमिहीनों के ही होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--- क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों की फीस के संबंध में जिलाधीश को क्या आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---ऐसा कोई मतालबा वहां से नहीं किया गया और मैं समझता हूं होगा भी नहीं।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां के व्यापारियों की खत्तियों को जो नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसके लिये उनको कोई सहायता देने को तैयार है ?

श्री चरणसिंह---आपके जरिये माननीय मित्र से यह गुजारिश कर देना चाहता हूं कि सहायता मांगने की यह मनोवृत्ति जितनी कम पैदा हो उतना ही अच्छा है उन्होंने इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मांगी है।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पशुओं के चारे के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है और क्या सहायता दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---मैंने उसी रोज जब कि इस मसले पर वाद विवाद हुआ था यह अर्ज किया था कि १०० वैगन भूसा बाहर से मंगाने की कोशिश की जा रही है। १६ जुलाई का जवाब हमारे कलेक्टर का है उससे मालूम होता है कि वह भूसा उस दिन तक पहुंचा नहीं है, उसके लिये कोशिश की जा रही ह। भूसा ऐसी चीज नहीं है कि कहीं रखा हुआ हो और उसे फौरन ही दो-चार दिनों के अन्दर पहुंचा दिया जाय।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ने जिन लोगों के मकानात गिर गये हैं और जिनके घरों में पहनने के कपड़े भी नहीं हैं उनको कपड़े बांटने की भी कोई व्यवस्था की है ?

श्री चरणसिंह---जी, जनाब का यह ख्याले खाम है कि उनके पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस समय मंत्री या मंत्रिगण मुजफ्फरनगर पधारे थे उस समय वहां के व्यापारियों ने जिनका माल नष्ट हुआ था उनसे मांग की थी कि बिक्री कर और इनकम टैक्स में हमको छूट दी जाय और उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--- जहां तक मुझे याद है बिक्री कर के सम्बन्ध में केवल एक मांग की गयी थी और वह यह कि कोई सरकारी आफिसर नियुक्त कर दिया जाय जो इस वक्त व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसकी पड़ताल कर ले ताकि आगे चल कर बिक्री कर के सम्बन्ध में कोई दिक्कत न हो। उसके लिये एक आफिसर नियुक्त कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि उसने पड़ताल शुरू कर दी है। बिक्री-कर के सम्बन्ध में दूसरी कोई मांग नहीं थी।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर नयी मंडी में जो खत्तियां नष्ट हुई हैं उनको बनवाने के लिये सरकार कोई सहायता दे रही है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी जिलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अधिकारियों के इस काम को देखते हुए कि ३१ मार्च तक गृह निर्माण के लिए जो उनको पैसे प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये थे उसे वापस कर दिया, उससे सबक लेते हुए पश्चिमी जिले के अधिकारियों को इस तरह के आदेश देंगे कि गृह निर्माण के लिए जो पैसे उनको दिये गये हैं उनको अवश्य बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वितरित कर दें?

श्री चरणसिंह—मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। जिन प्रिमिजेज पर यह सवाल किया गया है वह बहुत हद तक गलत है।

तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों के रख-रखाव के लिये प्रार्थना

*१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या नियोजन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस साल श्रमदान द्वारा कानपुर जिले में किस तहसील में कितने मील लम्बी, कितने फुट चौड़ी और ऊंची सड़कें किन गांवों में बनाई गईं?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—†सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

*२—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों में अगर बरसात के पहले निर्धारित पुलियां नहीं बनायी गईं तो सारा श्रम बेकार हो जाने की संभावना है? अगर हां, तो क्या सरकार इस कार्य में अनुदान देने की व्यवस्था पर विचार करेगी?

श्री फूलसिंह—जी नहीं। केवल साधारण टूट-फूट हो जाने की सम्भावना है। अनुदान के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जिलाधीश को दे दिये गये हैं।

*३—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या नियोजन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कानपुर जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित कच्ची सड़कों को पक्की बनाने की सिफारिश सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी ने सरकार से की है? अगर हां, तो किन गांवों की सड़कों के लिये?

श्री फूलसिंह—जी हां। चिरोरा तथा फतेहपुर रोशनाई गांवों में।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि कथित आवश्यक आदेश जिलाधीश के पास कब भेजा गया?

श्री फूलसिंह—यह तो काफी समय हुआ भेजा गया था। तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

बिजनौर की एस० बी० शुगर मिल्स की कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता

*४—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बिजनौर में गन्ने की उत्पत्ति इतनी है कि जून तक भी मिल चलने पर गन्ना खत्म न होगा?

श्री फूलसिंह—जी हां, पर अब उस जिले का गन्ना करीब-करीब सब पेरा जा चुका है।

*५—श्रीमती चन्द्रवती (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपर्युक्त कठिनाई को देखते हुये बिजनौर की एस० बी० शुगर मिल्स की कैपिसिटी और बढ़ाने का विचार रखती है जिससे गन्ना समयानुसार खत्म होकर किसान की आर्थिक समस्या ठीक हो सके?

---

† छापी नहीं गयी।

*नोट—तारांकित प्रश्न ४–५ श्री रतनलाल जैन ने पूछे।

श्री फूलसिंह---एस० बी० शुगर मिल्स बिजनौर की कैपिसिटी बढ़ाने की आज्ञा प्रदान करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की जा चुकी है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बिजनौर शुगर मिल के मालिकान भाइयों में आपस में घोर विरोध है और मुकदमे बाजी हो रही है, तो इस मिल की कैपिसिटी को बढ़ाने का हुक्म किस भाई को दिया गया है और कैपिसिटी बढ़ाने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री फूलसिंह---यही समस्या सरकार के सामने भी है कि मिल मालिकों में झगड़ा है और मील लीज के ऊपर है, तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी कैपिसिटी बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी।

श्री रतनलाल जैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपया उन भाइयों में कुछ ऐसा इंतजाम कर देंगे कि एक भाई को एक लम्बा लीज दे दिया जाय या मिल एक भाई की तरफ लगा दी जाय ताकि इस मिल की कैपिसिटी बढ़ जाय ?

श्री फूलसिंह---कानून के अन्दर जो कुछ सरकार कर सकेगी वह करने की कोशिश करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस शुगर मिल की शक्ति कितने मन सालाना गन्ना पेरने की थी और कितनी पढ़ाने का आदेश दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---इसकी कैपिसिटी डबल कर दी जायगी, कितनी थी इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस मिल की सालाना कैपिसिटी कितनी रही है ?

श्री फूलसिंह---सूचना की आवश्यकता है ।

*६-८---**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)---[२९ अगस्त, १९५६ के लिए स्थगित किये गये ।]

रामपुर स्टेट प्रेस का जेल विभाग को स्थानान्तरण

*९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि रामपुर का सरकारी प्रेस वहां से हटा कर इलाहाबाद भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)---रामपुर में कोई भी सरकारी प्रेस नहीं है । भूतपूर्व रामपुर स्टेट प्रेस की मशीनें जो सरकारी प्रेसों के लिये अनुपयोगी थीं, जेल-विभाग को स्थानान्तरित की जा रही हैं । इन मशीनों से जेल-विभाग बन्दियों को शिक्षा देने के लिये एक जेल-प्रेस खोल रहे हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह प्रेस किस जेल में खोला जायगा ?

श्री बनारसीदास---इसके लिए अभी तक जेल विभाग ने स्थान नहीं नियत किया है । जेल विभाग विचार कर रहा है कि लखनऊ या नैनी सेन्ट्रल जेल, इलाहाबाद में इसको कायम किया जाय । जब जेल विभाग का निश्चय हो कि किस स्थान पर हो तब इसको स्थानान्तरित किया जायगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिस जेल में यह प्रेस खोला जायगा वहां प्रदेश के और कैदियों को भी शिक्षा दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रेस जब खोला जायगा तब किसी न किसी सेन्ट्रल प्रिजन में खोला जायगा और सेन्ट्रल प्रिजन में प्रदेश के हर जिले के कैदी रहा करते हैं। जब प्रेस खोला जायगा तो जो भी कैदी इस काम के योग्य होंगे वे जहां कहीं भी होंगे, वहां से जहां यह प्रेस खोला जायगा वहां ले जाये जायेंगे और उनको शिक्षा दी जायगी।

इलाहाबाद जिले में श्रमदान से बनी सड़कें

*१०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले व नगर में सन् ५५ में कहां-कहां श्रमदान किया गया और उसमें कितनी सड़कें मरम्मत तथा नये सिरे से बनी ?

श्री फूलसिंह---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४८ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो सूची उन्होंने सदन की मेज पर रखी है उसकी जांच करवायेंगे कि जो सड़कों की मरम्मत हुई है या पूर्ण रूप से बन गयी है वे सड़कें अब चालू हैं या नहीं ?

श्री फूलसिंह---हर साल श्रमदान सप्ताह के बाद जोनल कमेटियां मुकर्रर हो जाती हैं और वह हर जिले की जांच करती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---यह सड़कें जो श्रमदान द्वारा बनाई गई हैं क्या प्लानिंग विभाग ने उनमें से किन्हीं को पक्का करने के लिये कोई धनराशि दी थी और यदि हां, तो कितनी ?

श्री फूलसिंह---इसका जबाव तो कई मरतबे दिया जा चुका है कि अब सड़कें पक्की करना सम्भव नहीं है, कुछ सड़कों के लिये कुछ रुपया दिया जा सकता है।

*११-१३---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[२९ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मेण्टल हास्पिटल आगरा के सम्बन्ध में डाक्टर मेरग्रेस की रिपोर्ट

*१४---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या मेण्टल हास्पिटल आगरा के बारे में केन्द्रीय सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ संगठन के एक विशेष डाक्टर मेरग्रेस की कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या थी ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जी हां। इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४९-३५० पर)

*१५---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर निम्नांकित कार्यवाही की गई है:

(१) मेण्टल हास्पिटल आगरा में ३६ शय्याओं का एक कन्वेलसेन्ट वार्ड बनाया गया है।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस अस्पताल में १०० शय्याओं का एक और वार्ड बनाया जायगा। इन १०० शय्याओं में से ६० शय्यायें बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस अस्पताल के सुधार की योजना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

(३) रोगियों की सुविधा के लिए यहां एक वाह्य विभाग खोला गया है ।
(४) इस अस्पताल में एक अतिरिक्त पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा वहां की नर्सों और अटेन्डेन्टों का संख्या भी बढ़ाई गई है ।

(५) इस अस्पताल को मेल नर्सों की ट्रेनिंग का सेन्टर बना दिया गया है । इससे वहां मेल नर्सों को ४॥ माह तक मानसिक रोगों के उपचार में ट्रेनिंग दी जाया करेगी ।

(६) मानसिक चिकित्सालयों में काम करने वाले चिकित्सकों को विशेष भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

राज्य में कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग

*१६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन स्थानों में कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग होती है ?

श्री बनारसीदास---चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत दो तरह के कम्पाउन्डर हैं, एलोपैथिक कम्पाउन्डर तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी कम्पाउन्डर । एलोपैथिक कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग के लिये निम्नलिखित केन्द्र कार्य कर रहे हैं--

(१) बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ ।
(२) मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद ।
(३) उर्सला हार्समेन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर ।
(४) पी० एल० शर्मा अस्पताल, मेरठ ।
(५) किंग एडवर्ड ७ अस्पताल, वाराणसी (बनारस) ।
(६) जिला अस्पताल, बरेली ।
(७) सदर अस्पताल, अलीगढ़ ।
(८) सदर अस्पताल, गोरखपुर ।
(९) सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा ।
(१०) सदर अस्पताल, झांसी ।
(११) क्रास्थवेट अस्पताल, नैनीताल ।
(१२) सदर अस्पताल, फैजाबाद ।
(१३) सदर अस्तपाल, सहारनपुर ।
(१४) लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर ।

इनमें से १२, १३ और १४ के प्रशिक्षण केन्द्र केवल एक वर्ष के लिये है । आयुर्वेदिक एवं यूनानी कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग का सरकार द्वारा अभी कोई योजना नहीं बनी है ।

बोर्ड आफ इंडिया मेडिसिन, से संचालित कुछ कालिजों में सहायक वैद्य एवं हकीम की ट्रेनिंग होती है । इस कोर्स के उत्तीर्ण किये हुये व्यक्तियों को कम्पाउन्डर की नौकरी मिल जाती है । वर्तमान समय में यह ट्रेनिंग इन कालेजों में होती है:

(१) भारत तिब्बिया कालेज, सहारनपुर ।
(२) बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी ।
(३) अर्जुन दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी ।
(४) बलदेव आयुर्वेदिक कालेज, बड़ा गांव, वाराणसी ।
(५) आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून ।

*१७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेनिंग काल में कम्पाउन्डरों को सरकार की ओर से कोई मासिक सहायता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--इस वर्ष से एलोपैथिक कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग के लिए आये हुये अभ्यार्थियों में से २२५ अभ्यार्थियों को ३० रुपया मासिक सहायता ट्रेनिंगकाल में दी जायेगी। इस सम्बन्ध में राजाज्ञा जारी हो चुकी है। स्त्री वर्ग के अभ्यार्थियों को इसी ट्रेनिंग के लिए ७६ रु० प्रतिमास प्रथम वर्ष तथा ८१ रुपया प्रतिमास द्वितीय वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंगकाल में सहायता देने की कोई योजना अभी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था न होने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि सहायक वैद्य के कोर्स को बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने मान्यता दे दी है और कम्पाउन्डरों को आयुर्वेद में सहायक वैद्य ही कहते हैं। इस सम्बन्ध में सूची भी अभी पढ़ कर सुनाई गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक और यूनानी कम्पाउन्डरों की जिन पांच स्थानों--शिक्षा संस्थाओं--में ट्रेनिंग होती है वहां उन ट्रेनिंग पाने वालों को कोई सहायता दी जाती है या नहीं ?

श्री बनारसीदास--जहां तक एलोपैथिक कम्पाउन्डरों को यह सहायता देने का सवाल है यह भी इसी वर्ष से निश्चित किया गया है। पहले कोई सहायता या छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी और जैसा कि उत्तर दिया गया आयुर्वेदिक सहायक वैद्यों के लिए छात्रवृत्ति देने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने एलोपैथिक कम्पाउन्डर ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--इस वर्ष कुल ३३० की ट्रेनिंग शुरू की जायगी और कुल ३३० व्यक्ति लिए जायंगे और छात्रवृत्ति कुल २२५ को दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार इस व्यवस्था पर विचार करने की कृपा करेगी कि अभी जो कम्पाउन्डर ट्रेनिंग पा रहे हैं उनको भी इस वर्ष से सहायता के रूप में वजीफा दिया जाय ?

श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर दे दिया गया कि उनमें २२५ को छात्रवृत्ति दी जायगी और दाखला ३३० का होगा और बाकी जो ट्रेनिंग पा रहे हैं अभी उनके बारे में निर्णय नहीं किया गया।

पौधशालायें स्थापित करने के लिये अनुदान

*१८--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि सन् १९५० ई० में प्रदेश के लोगों को व्यक्तिगत रूप से पौधशालाये स्थापित करने के लिए कुल कितनी रकम अनुदान के रूप में दी गई थी ?

श्री फूलसिंह--जहां तक नियोजन विभाग का सम्बन्ध है, सन् १९५० ई० में उत्तर प्रदेश के लोगों को, (गढ़वाल जिले को छोड़कर) पौधशालाएं स्थापित करने के लिये, १९,३९३ रु० अनुदान के रूप में दिया गया।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में गढ़वाल जिले में सन् १९४९--५० में ६,००० रु० अनुदान के रूप में दिये गये।

*१९--**श्री उमाशंकर**--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त सहायता प्राप्त कितनी पौधशालाएं समुचित रूप से काम कर रही हैं ? क्या उनके काम का एक संक्षिप्त विवरण सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री फूलसिंह---राज्य में (गढ़वाल जिले को छोड़ कर) उक्त अनुदान प्राप्त ९ पौधशालाएं सन्तोषजनक रूप से काम कर रही हैं । गढ़वाल जिले की उक्त अनुदान प्राप्त एक पौधशालाओं का कार्य सन्तोषजनक है ।

इन पौधशालाओं के कार्य का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५१ पर)

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि नियोजन विभाग के अलावा और कोई मद से भी पौधशालाओं को इमदाद दी जाती है ?

श्री फूलसिंह---सम्भवतः दी जाती होगी मैं ठीक नहीं कह सकता ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट में जो २९।। हजार पौधशालाओं को अनुदान दिया गया है यह किन-किन जिलों को दिया गया है और यह व्यक्तिगत अनुदान है ? कर्जा इसके अलावा कितना दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---मेरा उत्तर साफ है । प्लानिंग विभाग ने जो दिया मैंने उसकी चर्चा की ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को पौधशालाओं के लिए सहायता दी जाती है सहायता देने के बाद सरकार इनकी जांच कराती है कि इन पौधशालाओं ने काम शुरू किया या नहीं ?

श्री फूलसिंह---यह काम प्रारम्भ से ही प्लानिंग विभाग करता है प्लानिंग कमेटी और उस क्षेत्र के जो एम० एल० ए० साहबान होते हैं उनके जरिये से ही इनकी जांच होती रहती है और आम तौर पर प्लानिंग विभाग व्यक्तियों को रुपया कम देता है । सामुहिक रूप से जो पौधशालायें बना हुयी हैं उनको सहायता दी जाती है ।

श्री उमाशंकर---जो सवाल अभी श्रीमन्, पूंछा गया वह सरकार से पूछा गया । नियोजन विभाग से नहीं पूछा गया । इसलिये कुल इमदाद कितनी सूबे में पौधशालाओं को दी गयी यह बताना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---यह बात सही है । क्या सरकार सब बातों को बता सकती है ? और भी किसी विभाग से सहायता दी जाती है ?

श्री फूलसिंह---अभी तो इतनी ही इत्तला मेरे पास है ।

*२०---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---[८ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ रीजन में राशन गोडाउन के सम्बन्ध में एक ठेकेदार पर मुकदमा

*२१---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राशन गोडाउन के मामले में किसी कन्ट्रैक्टर को ३३,१९९ रु० अधिक दिया गया और वह मामला जांच से पता चलने पर सरकार के पास १५ मार्च, १९५५ ई० को भेजा गया ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां, कन्ट्रैक्टर तथा उसके साथियों पर जिन्होंने करीब ३३,१९९ रु० अधिक प्राप्त कर लिए, मुकदमा चलाया जा रहा है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या यह सही है कि जुलाई सन् ५३ से नवम्बर सन् ५४ तक यह ओवरपेमेन्ट वर्क्स स्लिप जाली बना कर होता रहा और आडिटर के आडिट करने पर इसका पता चला ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, अप्रैल ५३ से १५ नवम्बर, ५४ तक यह ठेकेदार जाली वर्क्स स्लिप के द्वारा रुपया खींचता रहा और जब आडिट हुआ तो सरकार के नोटिस में आया और कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---कौन-कौन से सरकारी कर्मचारी इस मुकदमे में हैं कंट्रैक्टर के अलावा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो कंट्रेक्टर और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---यह कहां का मामला है और किस प्रकार का है ?

श्री अध्यक्ष---जिला बतला दें।

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह लखनऊ रीजन का है।

*२२---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[२४ अगस्त, १९५६ के लिए प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२३---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---[२९ अगस्त, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

*२४-२५---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---[२९ अगस्त, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के लिए आदेश

*२६---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अलीगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर १९५६-५७ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जिला अलीगढ़ में तो चांगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के बारे में ४ जुलाई, १९५६ को आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब इस वर्ष और कोई ऐसा चिकित्सालय इस जिले में नहीं खोलना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---ऐसे आयुर्वेदिक औषधालय जो खोले जाते हैं उनके मकान के किराये के रूप में क्या सरकार कुछ मदद देती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, जहां कहीं निःशुल्क भवन नहीं मिलते हैं वहां सरकार कुछ किराया भी देती है।

अतारांकित प्रश्न

बनारस जिले में ग्राम मंड़ई सेवड़ी, सराय रसूलपुर तथा मोहरगंज को कूप निर्माणार्थ सहायता

१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंड़ई सेवड़ी, सराय रसूलपुर तथा मोहरगंज, जिला बनारस को गत तीन वर्षों में कितने नये कुंओं तथा पुराने कुओं की मरम्मत एवं निर्माण के लिये सरकारी सहायता दी गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३५२ पर)

आजमगढ़ जिले के लिए सीमेंट का प्रबन्ध

२--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दिसम्बर सन् ५५ से १ अप्रैल, १९५६ तक आजमगढ़ जिले में कितनी सीमेंट भेजने का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दिसम्बर, १९५५ से १ अप्रैल, १९५६ तक आजमगढ़ जिले को १२६३ टन यानी २५,२६० बोरी सीमेंट भेजने का प्रबन्ध किया गया।

३--श्री उमाशंकर--क्या सरकार यह बतायेगी कि १ जनवरी से १५ अप्रैल, सन् ५६ तक उक्त जिले के अधिकारियों को चोर बाजार में सीमेंट बेचने की कितनी सूचना मिली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिले के अधिकारियों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई।

४--श्री उमाशंकर--यदि मिली है तो वह सीमेंट कहां से चोर बाजार वालों ने प्राप्त की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में हैजे की रोकथाम करने में स्वास्थ्य अधिकारियों की निष्क्रियता के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--कल श्री राम नारायण त्रिपाठी का जो कामरोको प्रस्ताव था देवरिया के बरहज बाजार और उसके आस-पास के ५० गांवों में १०० से ऊपर हैजे से मृत्यु होने के बारे में और जिसके विषय में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि वह जानकारी हासिल कर लेंगे और फिर उसके बारे में यहां जिक्र करेंगे। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री वह जानकारी दे दें।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, अब तक जो सूचना इस सम्बन्ध में मुझे प्राप्त हुई है उसके विषय में मुझे यह कहना है कि करीब १८ जून को बरहज म्युनिसिपैलिटी से इस बात की इत्तिला आई कि गेस्टो इनटाइटिस उस म्युनिसिपैलिटी में फैल रहा है। जैसे ही इसकी इत्तला हेल्थ आफिसर को मिली, उन्होंने अपने असिस्टेन्ट को इस बीमारी को रोकने के लिये नियुक्त किया और उन्होंने वहां की म्युनिसिपैलिटी को इस बीमारी को रोकने के लिए जो कार्य म्युनिसिपैलिटी को करने थे उसके लिए आदेश दिये। दुर्भाग्य से प्रारम्भ में म्युनिसिपैलिटी ने उनके आदेशों का इस प्रकार पालन नहीं किया जिस प्रकार कि उसको करना चाहिए था। जिला हेल्थ आफिसर ने कदाचित् वह उचित प्रबन्ध जो म्युनिसिपैलिटी को करने चाहिए थे उनके करने के कार्य प्रारम्भ किया और इसी दौरान में करीब ७ जुलाई से १४ जुलाई तक ७० व्यक्ति इस बीमारी से रोग ग्रस्त हुए और उनमें से करीब ४० की मृत्यु हुई। अब २० जुलाई की जो सूचना है उससे यह विदित होता कि अब कोई इस बीमारी की सिज्योर के केसेज नहीं हुए हैं और न अब इस बीच में कोई मृत्यु हुई हैं। हेल्थ आफिसर ने, अलावा अपने असिस्टेंट हेल्थ आफिसर, के इस बीमारी को रोकने के लिए सेनेटरी इंस्पेक्टर्स, एपीडेमिक असिस्टेंट और उनके साथ में मजदूर आदि उस कार्य को करने के लिये जिस के तहत में कुंए डिसइन्फेक्ट किये जाते हैं, मक्खियों के मारने के लिये स्प्रे इत्यादि किया जाता है और कुवें इत्यादि में दवाई डाली जाती हैं और कई कर्मचारियों को इस बीमारी से लड़ने के लिये नियुक्त कर रक्खा है और उनकी सहायता से काफी मात्रा में उन्हें इस बीमारी से लड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। जितनी दवाइयां और जितनी और चीजें इस बीमारी से लड़ने के लिये उपयुक्त थीं वे सब मुहय्या कर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

दी गई हैं और अब जैसा मैंने बताया बीस तारीख से कोई केस इस बीमारी का नहीं हुआ है। एसिस्टेंट डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ भी वहां गये हैं और वे उचित कार्यवाही जो होनी चाहिये उसकी देख-रेख कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) मैं यह जानना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में जो उन्होंने बताया कि म्युनिसिपैलिटी का कर्त्तव्य था इससे प्रत्यक्ष सरकार से कहां सम्बन्ध आता है और दूसरे उनके स्टेटमेन्ट के बाद की बीस तारीख से कोई हैजा का मामला नहीं हुआ इसकी अर्जेंसी को भी आप बतलायेंगे कि इस प्रश्न को उपस्थित करने की क्या आवश्यकता है।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के कहने से ऐसा मालूम हुआ कि सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की ही थी, हेल्थ आफिसर की नहीं थी। इसके अलावा जैसा मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में दिया हुआ है म्युनिसिपैलिटी के आस-पास ५० गांवों में यह बीमारी फैली और माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है वह एक सीमित पीरियड का है। यह बीमारी उससे भी पहले से फैल रही थी। ४० मौतें जो सरकार ने मानी वे १५ दिन की है लेकिन यह बीमारी पहले से चल रही है और हेल्थ आफिसर का कर्त्तव्य है कि वे म्युनिसिपैलिटी और आसपास के गांवों में जायं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हेल्थ आफिसर साहब तशरीफ नहीं ले गये और दो असिस्टेंट भेज दिये और जितनी सहायता भेजनी चाहिये थी वह सहायता नहीं भेजी गई। मेरी इत्तला है कि श्री उग्रसेन जो मेम्बर है सोशलिस्ट पार्टी के सूबा कमेटी के और चन्द्रपाल जो किसान पंचायत आफ देवरिया के मंत्री हैं उनकी इत्तला यह भी है कि बीस जुलाई के बाद भी मौतें हो रही है और यह बीमारी आस-पास के गांवों में फैल रही है। इसलिये अर्जेंसी भी इसमें है सरकार की जिम्मेदारी इसलिये है कि जब खौफनाक समाचार निकल रहे थे इसके बावजूद भी प्रान्तीय स्तर पर कोई देख-रेख नहीं की गई और अब संभवतः असिस्टेंट डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ भी गये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अर्जेंट भी है और सरकार की उपेक्षा का द्योतक तो है ही।

श्री अध्यक्ष--जो वक्तव्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया उसमें तो ७० के करीब मौतें हो गई--यह उन्होंने स्वीकार किया है....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैंने.....

श्री अध्यक्ष--मैं जरा इसकी वैधानिकता के बारे में कह रहा हूं। वैधानिकता के बारे में प्रश्न यही है कि क्या यह ऐसा निश्चित विषय है और जनहित के बारे में है उसके ऊपर सदन विचार करने के लिये अपना काम स्थगित करे। दूसरी बात यह है कि उसकी अर्जेंसी क्या है। तो अर्जेंसी का विषय तो इसी से सिद्ध हो सकता है कि बीस तारीख के बाद भी अगर मौतें होती जाती हैं तो वह अर्जेंट भी हो जाता है लेकिन अगर समाप्त हो गयीं तो फिर पोस्टमार्टम ही करना रह जायगा और उसके लिये काम रोको प्रस्ताव इस तरह का नहीं आ सकता। माननीय रामनारायण जी ने यह कहा कि उनकी इत्तला यह है कि अभी तक उस गांव में वह बीमारी फैलती जा रहा है। और उसी इत्तिला के भरोसे जो कि उन्होंने अपने कार्यकर्त्ताओं के द्वारा प्राप्त की है और जो कुछ मेरे पास लिखित ब्योरे रूप में भेजी भी है इन सब बातों के आधार पर मैं समझता हूं कि इसको अर्जेंट मानना चाहिये। क्योंकि सरकार के पास ही जैसा इस समय मालूम होता है वाकयात से और कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अभी तक उनको पूरी इत्तला नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

७० मौतें हो गई जिसकी कल तक तक उनको इत्तला नहीं थी, उनको इन्क्वायरी करना पड़ी। तो यह शक पैदा होता है कि जो इत्तला आती है ७० आदमियों के मरने के बाद भी उसकी सूचना असरकारी कार्यकर्ताओं को पहले मिल जाती है, और सरकार के पास नहीं पहुंचती। इसलिये मैं माननीय सदस्य की सूचना को ज्यादा मान्यता देता हूं। बीमारी है या नहीं इस बारे में शंका का कारण तो हो ही जाता है। तो मैं उसको अर्जेन्ट भी समझता हूं और जनता के लिये महत्व का तो है ही। सरकार से भी ताल्लुक इस अंश में आ जाता है कि सरकार को इस बात की सूचना कार्यकर्त्ताओं द्वारा दे दी गयी थी, यह स्पष्ट दिखाई देता है उनके पत्र व्यवहार से। इसलिये मैं इसको वैध करार देता हूं और अब माननीय सदस्य अनुमति के लिये प्रार्थना करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बातें तो मैं इस सम्बन्ध में कह ही चुका हूं और आपकी अर्जेन्सी और पब्लिक इम्पार्टेंस का डिक्लेयर करना, बात भी मैं समझता हूं कि सदन के लिये और कोई अब चारा नहीं रह गया कि उसको काम रोको प्रस्ताव देने की इजाजत होनी चाहिये और माननीय मंत्री जी ने बरहज म्युनिसिपैलिटी कि बात तो कही, लेकिन मेरी इत्तला यह है कि आस-पास के गांवों जो ५० मैंने बताये तो पचौहा गांव में ४, राजपुरा गौरा में ४, कपरवार में ३ और लोरथा में ५ आदमी मरे। यह तो इत्तिला मेरे सबसे नजदीक है जिसके बारे में सरकार के अधिकारियों को अब तक मौका नहीं मिला और इस बात को भी मंत्री जी ने नहीं कहा कि इतनी लापरवाही बरती गई कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ आज तक नहीं गये। तो ऐसी सूरत में इस तरह इतनी मौतें हो जायं और हेडक्वाटर्स पर खबर न हो सरकार की उपेक्षा के कारण ऐसा हो जाय, और मंत्री जी की इस प्रकार की उपेक्षा को मैं समझता हूं जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने को कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते हम।

श्री अध्यक्ष—आप मैरिट्स पर आ रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति दे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक इस बीमारी को रोकने का विषय है उसके लिये अब पूरा प्रबन्ध हो गया है। करीब ८० हजार इनौक्यूलेशन्स लग चुके हैं इस वक्त तक....

श्री अध्यक्ष—आपको कोई आक्षेप है अनुमति देने में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किस कारण आक्षेप करता हूं वही बता रहा हूं। ८० हजार इनौक्यूलेशन्स लग चुके हैं। १० हजार म्युनिसिपैलिटी में जहां की आबादी १६ हजार है इनौक्यूलेशन्स लग चुके हैं और जो कार्य इस बीमारी को रोकने का किया जा रहा है वह बाकायदा चालू है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बहस की आज कोई अर्जेन्सी नहीं है और जो प्रस्ताव मेरे मित्र ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। एक बात और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं जो मैंने मृत व्यक्तियों की संख्या बतायी थी वह भी एक पखवारे की बतायी थी। मेरे पास जो सूचना है उससे इस बीमारी में ६३ व्यक्ति और १०६ सीजर्स हुआ। तो ७ से १४ जुलाई तक के आंकड़े जो मैंने दिये थे, वह वे आंकड़े थे जिसमें बताया गया था ७० व्यक्ति रोगग्रस्त हुये और ४० मृत्यु हुई। अभी आपने ७० मृत्यु कहीं इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि उसको अपनी इत्तिला के मुताबिक ठीक कर दूं।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों कृपा कर अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १८ सदस्य खड़े हुये)

[श्री अध्यक्ष]

अनुमति देने के पक्ष में १८ सदस्य हैं। ३६ सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो इस कामरोको प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति नहीं है।

बाकी अब जो प्रस्ताव हैं वह मैं अब कल लूंगा।

उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी अब अपना जो विधेयक है चूंकि अभी-अभी उसकी प्रतियां मेरे पास आयी हैं और बंट नहीं पायी हैं तो इसलिए मैं समझता हूं कि सवा दो बजे वह उसको उपस्थित कर दें क्योंकि सिर्फ इसे उपस्थित ही करना है। पुर:स्थापित करना है, जब प्रतियां बंट जायगी उसके बाद वह पुर:स्थापित कर सकेंगे।

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर अब विचार जारी होगा, खंडों पर। कल माननीय शिक्षा मन्त्री जी को मैंने यह कहा था कि वह इस विषय को एक दफा और देख लें, क्योंकि सदन से राय लेने के पेश्तर सदन यह जानना चाहेगा कि इस में प्राइवेट विद्यार्थियों को भी इम्तहान में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं। चाहे नियमों के अन्तर्गत मिले और चाहे इस विधेयक में यह बात मौजूद हो। किसी तरह कहीं पर विधेयक में ऐसी चीज आयी है कि यह अधिकार सरकार को दिया गया है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—यह अधिकार यूनिवर्सिटी को दिया गया है और यदि यूनिवर्सिटी उसके अन्तर्गत ऐसे नियम बनाती है तो अधिकार होगा वरना नहीं होगा। यह नियमों के अधीन प्राइवेट कैंडीडेट्स के लिए अधिकार रखा जायगा या नहीं रखा जायगा यह है विधेयक में।

श्री अध्यक्ष—यह इसमें है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, नियमों के अधीन ऐसा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, वह अधिकार है उसको। यह तो है ही इसमें।

श्री अध्यक्ष—तो यह जरा आप बता दें इसमें यह बात कहां है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसी में खंड ४ का उपखंड (१) है और (१-क) में उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को यहां एक चीज छूट गयी है, उपाधियां लिखा जाना चाहिए, यहां "व्यक्तियों को" के बाद 'उपाधियां,' उपाख्यायें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत प्रतिबन्धों को पूरा करते हों।

"उपाधियां" शब्द छूट गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके लिये संशोधन उपस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि यह शाब्दिक नहीं मालूम पड़ता।

श्री हरगोविन्दसिंह—वह डिग्रीज का छूट गया है, डिप्लोमाज का रह गया है। इंग्लिश में ठीक है।

श्री अध्यक्ष—इंग्लिश में है?

---

* संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† २४ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, इंग्लिश में है।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि जहां पर "ऐसे व्यक्तियों" लिखा हुआ है वहां "ऐसे सभी व्यक्तियों" कर दिया जाय और "उपाधियां" बढ़ा दिया जाय, तो हो जायगा। यह माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है। ऐसे सभी व्यक्तियों को उपाधियां, उपाख्यायें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत प्रतिबन्धों को पूरा करते हों।"

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, "सभी" के माने हैं सभी व्यक्तियों।

श्री अध्यक्ष—तो मैं राय ले लूं, प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिये जायं—

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं तथा एतदर्थ अभिज्ञात (recognised) किसी ऐसी संस्था के, ऐसे अध्यापकों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को छोड़ कर, जो नियत किये जाने वाली शर्तों को पूरा करते हों, किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई उपाधि न दी जायेगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त उपाधि के लिये अभिप्रेत शिक्षण-पाठ्यक्रम (course of study) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध कालेज द्वारा उस परीक्षा के लिये प्रस्तुत न किया जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। खंड ४ के उपखंड (१०) के बाद उपखंड (११) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय—

> "(११) हरिजन छात्रों एवं स्त्री छात्राओं के लिये एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था बनाना जिससे संस्कृत विद्या की अभिरुचि उनमें जाग्रत हो और संस्कृत शिक्षा के सीमित क्षेत्र की व्यापकता बढ़े।"

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यदि मैं कागजी सबूतों को एकत्र कर आपके सम्मुख प्रस्तुत करता तो शायद इसकी पुष्टि कर पाता कि मेरा यह संशोधन कितना उपयुक्त है। परन्तु इसके अभाव में केवल अनुभवों के आधार पर ही जो आज हमें प्राप्त हुए हैं मैं कुछ बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य आपस में जोर से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं जरा हल्की आवाज में आपस में बातें करें।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, जहां तक संस्कृत विद्या का सम्बन्ध है इसका तो एक इतिहास है परन्तु वैसे भी ऐसा माना गया है कि दो तीन सौ वर्ष पूर्व से और आज तक संस्कृत विद्या पर वर्मानुयायियों का प्रभाव रहा है और आज भी सम्भवतः है। आप श्रीमन्, अगर देखें कि अपने प्रान्त में जितने विद्यालय संस्कृत के चल रहे हैं, चाहे वे राजकीय कोष से पोषित हों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा, मठों द्वारा या राजाओं द्वारा संचालित हों तो आप देखेंगे कि आर्य समाजियों द्वारा संचालित विद्यालयों के अलावा और उन तमाम विद्यालयों में ब्राह्मणों के सिवाय अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। हमने अपने जिले में भी देखा है और प्रान्त के अन्य बहुत से जिलों

[श्री रामेश्वर लाल]

में भी जहां जाने का अवसर मिला है और संस्कृत के विद्यालयों को देखा है---यों तो हैं ही बहुत कम, अंगुलियों पर गिनने लायक---वहां हमने यह देखा है कि संस्कृत के विद्यार्थी हरिजन छात्र शायद ही कहीं देखने को मिलें। स्त्रियों का जहां तक सम्बन्ध है, वैसे तो धर्मग्रन्थों में जिन पर आगे चल कर धर्मावलम्बियों या ऐसा कहिये बड़े-बड़े लोगों का प्रभाव हो गया जिन्होंने अपने मतलब के ग्रन्थों की विद्वानों से रचना कराई उन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को वेद पाठ या संस्कृत पाठ करने की अनुमति ही नहीं दी है। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि जो प्रान्तीय सरकार बनारस में इस तरह का एक विश्वविद्यालय खोलने जा रही है इस अवसर पर वह हमारे इस संशोधन को इसके भावार्थ को समझते हुये स्वीकार करेगी।

श्रीमन् यह सही है कि आज विश्वविद्यालयों में और प्रान्त के अन्य जो इंस्टीटयूशन्स हैं पढ़ाई लिखाई के उनमें हरिजनों को और पिछड़ी हुई जाति के लोगों को पढ़ने-लिखने को कुछ सुविधा है। लेकिन श्रीमन्, आप गौर से देखेंगे तो उन इंस्टीटयूशंस में जो प्रान्त में संस्कृत के अलावा और विद्या केन्द्र हैं वहां पर हर प्रकार के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर व्यवस्था के लोग अध्यापक हैं। किन्तु संस्कृत के प्रायः अधिकतर विद्यालयों में अध्यापक पंडितगण हैं, और "पंडित" से मेरा मतलब ब्राह्मण जाति से है और मैं यह समझता हूं और श्रीमन्, आप भी जानते होंगे कि ब्राह्मण ने अपने को विद्वान समझ लिया या जिसे समाज ने विद्वान के रूप में आदर करना प्रारम्भ कर दिया, उन्होंने कुछ अपनी देन भी दी और वह कर्म करने की प्रवृत्ति जो है, कर्मयोग जो है, उससे वह अपने को दूर रखने लगे और आज यही कारण है कि श्रीमन् आप देखेंगे कि ब्राह्मण विद्वान् चाहे आचार्य हो या महामहोपाध्याय हो आज हल चलाते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे और छोटे-मोटे काम जो अंग्रेजी या और साहित्य के विद्वान करते हुए दिखाई देते हैं वह करने में हिचकते हैं और वह इतने साम्प्रदायिक विचार के बन गये हैं कि वह दूसरी जातियों को उस विद्या को जिसमें वह पारंगत बन गये हैं दूसरे को पढ़ाना नहीं चाहते और देखना नहीं चाहते कि वह भी पारंगत हों। तो इसी समस्या को हल करने के लिए और सरकार की मंशा के अनुरूप मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे। क्योंकि स्त्री शिक्षा वैसे तो साढ़े तीन परसेंट है ही यहां, लेकिन संस्कृत में स्त्रियों का अध्ययन बहुत ही न्यून है, एक परसेंट भी नहीं होगा और वही हालत आज हरिजनों की भी है। मैं समझता हूं कि जब एक विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है तो वहां पर इन दो पिछड़ी हुई जातियों को प्रमुखता और प्राथमिकता देनी चाहिये और विशेष व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्त्री जाति और पिछड़ी हुई हरिजन जाति के लोग विशेष सुविधा से विशेष प्रकार का अध्ययन वहां पर कर सकें। इसलिए यह संशोधन रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन अभी इस भवन के सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे इस बात का दुःख है कि यह संशोधन समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है। मुझे आप क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि मुझको इस संशोधन के पीछे कुछ साम्प्रदायिक भावना का भी आभास होता है। मैं जानता हूं कि सरकार की नीति स्त्रियों तथा, हरिजन भाइयों के सम्बन्ध में बड़ी स्पष्ट है। उनके लिए हर किस्म की जो शिक्षा हमारे इस प्रदेश में है उसमें जितनी सुविधाएं सम्भव हो सकती हैं वह दी गयी हैं और वही सुविधाएं इस विश्वविद्यालय के अन्दर भी दी जायंगी। हम जानते हैं कि आज भी सरकार की तरफ से इस तरह का जी० ओ० है कि जितने भी छात्रावास और होस्टल्स हैं उनके अन्दर १/७ तादाद हरिजन विद्यार्थियों की होनी चाहिये यदि वे वहां दाखिल होना चाहें तब। यही स्थिति हाई स्कूल और कालिजों की

भी है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे शायद यह भी भ्रम हो कि कोई ऐसा समय था जब हमारे हरिजन भाइयों को संस्कृत के अध्ययन में तो नहीं, कुछ जो उच्च हमारे धार्मिक ग्रन्थ, जैसे वेद, इत्यादि हैं इनके पढ़ने में कुछ कठिनाइयां थीं। मैं समझता हूं कि आज की सरकार के सामने इस तरह की कठिनाइयां नहीं हैं और वह सब सुविधाएं उनको आलरेडी मिल चुकी हैं। तो जहां तक यह है कि उनको सुविधाएं हों तो केवल संस्कृत में ही नहीं बल्कि हर प्रकार की जो शिक्षा है, यहां तक कि टेक्नीकल एजूकेशन में भी काफी सुविधाएं दे दी हैं। मैं समझता हूं कि जब इतनी सुविधाएं मौजूद हैं तो उसमें इस तरह का एक प्रावीजन जोड़ देना उचित नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि हमें अपने दिमाग से इस बात की सफाई कर लेनी चाहिये और मेरा अपना इस विषय में निश्चित मत है कि हरिजन भाइयों का कल्याण हरिजन बने रहने में नहीं है बल्कि जितनी जल्दी यह चीज खत्म हो जाय और सब मिल कर एक ही नेशन के इंटीगरल पार्ट बन जायं तो अच्छा होगा क्योंकि यदि दो ऐंटटीज हों, कुछ जाति अलग हों और दूसरी जाति अलग हों, यह जातीयता का भेदभाव रखने वाली चीज है। जब कि हमारे विधान में यह चीज है कि हमें कोशिश करना चाहिये कि जहां तक हो हमारे दिमाग से यह बात खत्म हो जानी चाहिये कि हरिजन हम से अलग हैं, या दूसरी चीज हैं। यदि इस प्रकार की भावना है तो मैं समझता हूं कि बार-बार इस पर जोर देना कि उनके लिये यह चीज अलग होनी चाहिये, अलग नियम बनाये जायं, उचित नहीं है। इससे अलगाव की भावना जिन्दा रहती है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जिन्होंने इसको इस भवन में पेश किया है वह इसको वापस ले लेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं यद्यपि उन्होंने एक वर्ग की पाठशालाओं को अपने भाषण में प्रशंसा से ग्रहण किया है यानी उनका कहने का मतलब यह है कि आर्य समाज की संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है। उनकी विचारधारा ऐसी होते हुये भी मेरी राय में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर यह चीज आज से दो वर्ष पहले आई होती तो उनका समर्थन करने की मेरी इच्छा होती, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अभी हाल में संस्कृत कालेज बनारस में स्त्रियों के लिए पृथक कोर्स तथा पुरुषों के लिये पृथक कोर्स रखा जाता था। आज से कुछ वर्ष पहले एक महिला ने चाहा कि वह पुरुषों के कोर्स में प्रवेश पा सके और पुरुषों के समान पढ़ने में सुविधा पा सके तो वहां के अधिकारियों ने उसको वह सुविधा नहीं दी थी और उन दिनों के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसके लिये कुछ प्रबन्ध किया था। पिछले साल तक पाठ्यक्रम अलग था जिसको ज्ञानप्रभा नाम दिया जाता था जिसमें स्त्रियां बैठ सकती हैं और आचार्य वगैरा में स्त्रियां नहीं बैठ सकती थीं। लेकिन पिछले साल से यह सब भेदभाव हटा दिया गया है और सब लोगों को वह सुविधा प्राप्त हो गई है जो ब्राह्मणों और दूसरे वर्ग को प्राप्त है। ऐसी अवस्था में जब संस्कृत कालेज में भेदभाव नहीं है जिसमें, ब्राह्मणों का प्राधान्य है तो संस्कृत विश्वविद्यालय जो सरकार की ओर से बनाया जा रहा है जो कि शिक्षा में या किसी चीज में भेदभाव नहीं रखता है तो एक विशेष संशोधन को लाकर पाबन्दी दिखाना मेरी राय में उचित नहीं प्रतीत होता है।

इसके अलावा अन्य दलीलें नवलकिशोर जी ने दी हैं कि महिलाओं के और हरिजनों के लिये संस्कृत शिक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जाय यह अच्छा है लेकिन कोई रिजर्वेशन रखना उनकी आगे की उन्नति में बाधा डालना है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनकी भावना के प्रति विशेष विचार रखते हुये भी महिलाओं को और हरिजनों को संस्कृत की विशेष सुविधा दी जाय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन को इस विधेयक में आवश्यकता नहीं है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। मुझे दुःख इस बात के लिये है कि मैं माननीय रामेश्वरलाल जी से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। यदि उनका संशोधन देखा जाय तो यह एक तरह से वेग है। वह यह कि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था वह बनाना चाहते हैं। श्रीमन्, वह क्या होगी? इस व्यवस्था की वह क्या रूपरेखा चाहते हैं, उनके भाषण से स्पष्ट नहीं हो सकी और आज जब हम देखते हैं कि श्रीमन्, भारत जो एक सेक्यूलर स्टेट है और साथ ही साथ हरिजनों के लिये सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिये मुझे यह अधिकार नहीं है जैसा कि मेरे दो माननीय लायक मित्रों ने कहा है। वह कह सकते हैं कि वह काफी है यह चीज मैं उनके ऊपर छोड़े देता हूं कि सरकार काफी कर रही है या नहीं और जैसा कि मेरे लायक दोस्त माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि वह यह चाहते हैं कि हरिजन यह भूल जायं कि वह हरिजन हैं और नेशन में इस तरह से सम्मिलित हो जायं कि यह भेदभाव ही मिट जाय। मैं उनसे सहमत हूं लेकिन साथ ही साथ इसमें एक वास्तविकता है जो भुलाई नहीं जा सकती वह यह है कि इस मनोवृत्ति को हटने के लिये समय चाहिये। यह सहसा एक रात में नहीं हो सकती इसके लिये समय लगता है। शनैः-शनैः वह भावना उनमें आ जायगी। मान्यवर, जो मुझे इसके सम्बन्ध में कहना है वह यह है कि यह रोग क्या है? जो भ्रम है संस्कृत के बारे में वह यह है कि समझा यह जाता है कि केवल ब्राह्मणों के लिये यह विधेयक है। हमारे माननीय शास्त्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ सीमा तक पहले रहा होगा तो रहा होगा। उस कालेज में जहां पर ब्राह्मणों का ही आधिपत्य है, अधिकता है मैं समझता हूं कि जो कुछ वह कह चुके हैं, मैं समझता हूं कि न इसमें कोई सार है न यह वास्तविकता है। कोई भी पढ़ावे चाहे वह ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों संस्कृत के समझने में और संस्कृत भाषा की पढ़ाई में अगर देखा जाय तो इतनी बाधा नहीं है जितनी लोग समझते हैं। श्रीमन्, मैं संशोधन से बाहर न जाकर केवल इतना ही लोगों को बतलाना चाहता हूं कि जब परशुराम जी के पास महाभारत में कर्ण शिक्षा ग्रहण करने गये थे तो उस समय उन्होंने अपने को शूद्र ही कहा, क्योंकि वह उस समय क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिये तैयार न थे। तो उस समय भी शूद्र जिनको कहा जाता था उनको शिक्षा दी जाती थी। हो सकता है कि किसी कट्टरवादी ने किसी को पढ़ाने से इन्कार किया हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस भारतीय समाज में या संस्कृत शिक्षा के लिये शूद्रों का कोई स्थान नहीं था। संस्कृत उनको पढ़ाई जाती थी और उनको पढ़ने का पूर्ण अधिकार था।

श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि जब हर कालेज में और हर यूनिवर्सिटी में उनके लिये रिजर्वेशन मौजूद है इस विधेयक में कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है कि जिससे इस विश्वविद्यालय में कोई हरिजन पढ़ न सके। तो ऐसे संशोधन की आवश्यकता उन्हें क्यों प्रतीत हुई मेरी समझ में बात नहीं आयी। मैं नहीं समझ सका कि वह विशिष्ट व्यवस्था क्या है जो वह चाहते हैं। रिजर्वेशन चाहते हैं? उनके अमेंडमेंट से यह भी व्यक्त होता है कि वह एक प्रचार चाहते हैं, क्योंकि वह कहते हैं "अभिरुचि उनमें जागृत हो और संस्कृत शिक्षा के सीमित क्षेत्र की व्यापकता बढ़े" तो संकीर्णता तो इस विधेयक में कहीं नहीं पाई जाती। यह किसी एक जाति विशेष के लिये सीमित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में इस संशोधन का लाना मैं समझता हूं इस बात का द्योतक प्रतीत होता है कि एक भावना है, एक कम्प्लेक्स है जिसको इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स कहा जा सकता है। और उसके वशीभूत होकर, उससे भयातुर होकर इस तरह के संशोधन इस विधान सभा में प्रायः आया करते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि ऐसा क्यों होता है और आज मैं साहस और अधिकारपूर्ण तौर पर कहने के लिये तैयार हूं कि हरिजनों के उत्थान के लिये जो कुछ किया जाय वह कम होगा। उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे बराबर लाया जाय और हमारी बहुत उदारता होगी कि अगर हम उनके अपने से ऊपर भी उठा सकें, लेकिन इस भावना को लेकर कोई भी मुल्क बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इन भावनाओं का दुष्परिणाम क्या हुआ है यह भारत में सभी को विदित है। श्रीमन्, पहले ज्वायंट एलेक्टोरेट का नाम सुनने से कोलाहल मच जाता था, लेकिन आज इस देश में एडेल्ट फ्रेंचाइज है और उसके लिये कोई चूं भी नहीं करता। तो माननीय नवलकिशोर जी ने जैसा बतलाया वह ठीक है और मुमकिन है कि उनके कहने का उनके दोस्तों पर कुछ अधिक प्रभाव पड़े। परन्तु जो कुछ मुझे इस संशोधन में खटकता है उसको यदि माननीय सदस्य अपने जवाब में अधिक साफ कर सकते तो संभव था कि सदन इस पर और गम्भीरता से विचार कर सकता। वह चाहते क्या हैं? हरिजनों के लिये इसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। यह मौका नहीं है कि मैं इस पर ज्यादा कुछ कहूं, लेकिन यह यूनिवर्सिटी तो सब के लिये—ब्राह्मणों, वैश्यों, क्षत्रियों आदि के लिये खुली है। यदि यही हाल रहा तो माननीय मंत्री जी कुछ आगे यह कठिनाई अनुभव करेंगे और पायेंगे कि पढ़ने के लिये छात्र ही नहीं आते। इसका जो अभिप्राय है वह तो सहराहनीय है किन्तु दुःख की बात यह है कि वह वास्तविकता से दूर है, व्यावहारिकता को वह नहीं समझते, वह समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

अगर तो यह हालत है कि संस्कृत पढ़ने के लिये अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। जो उनकी आदतें हो चुकी हैं वह सुधर नहीं पातीं। यह ठीक है कि आप फीस माफ कर देंगे, लेकिन जो और सुविधायें वह भोगते आये हैं वह सरकार यहां नहीं दे सकती और दूसरी पाठशालायें भी नहीं दे सकतीं। तो इसलिये अगर आप यहां हरिजनों को कोई विशेष सुविधा देना चाहते हैं कि जिससे कोई भेदभाव टपके तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और जब कोई संकीर्णता नहीं कि हरिजन उसके कारण उससे लाभ नहीं उठा सकते तो मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट में थोड़े समय के लिये श्रीमन्, रिजर्वेशन हो सकता है किसी जाति के लिये, उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह कहना किसी भी समाज के लिये कि वह किसी के लिये मुद्दतों तक रिजर्वेशन करता रहे तो मैं समझता हूं कि वह उसी जाति या समाज के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। ऐसा करने से जो प्रकाश और विकास का अवसर उनको मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकेगा। तो मैं चाहूंगा कि वह इस संशोधन को वापस लें और अगर वापस नहीं लेते तो इस पर प्रकाश डालें कि वह व्यवस्था किस तरह की चाहते हैं कि जो इस यूनिवर्सिटी में रखी जाय।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री रामेश्वर लाल जी का संशोधन है मैं उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। संशोधन में यह कहा गया है कि हरिजन छात्रों एवं स्त्री छात्राओं के लिये एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था बनाना, जिससे संस्कृत विद्या की अभिरुचि उनमें जाग्रत हो और संस्कृत शिक्षा के सीमित क्षेत्र की व्यापकता बढ़े। जहां तक श्रीमन्, इस संशोधन का प्रश्न है यह बिलकुल साफ है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह समाजवादी सदस्य की ओर से संशोधन आया है और उसमें साम्प्रदायिकता की झलक आती है। मैं उन माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की ओर ले जाना चाहता हूं कि जिस संविधान के रचने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को है उसमें हरिजनों के लिये कुछ विशेष सुविधायें देने का विधान उसमें किया है। चुनाव के संबंध में, पार्लियामेंट की सीट के संबंध में सुविधा उनको दी गयी है। तो अगर समाजवाद पार्टी की तरफ से इस प्रकार का सवाल आता है तो मैं नहीं समझता हूं कहां से इसकी दुर्गन्ध मिलती है कि समाजवादी सदस्य ने किसी साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित होकर इस संशोधन को रखा है।

[श्री रामसेवक यादव]

अब जहां तक इस संशोधन की उपयोगिता का प्रश्न है मैं कहना चाहूंगा कि जैसा अभी अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि आज स्कूल खुले हुये हैं। विश्वविद्यालय खुले हुये हैं उनमें किसी प्रकार की भी रुकावट इस प्रकार की नहीं है कि वहां पर हरिजनों को दाखिला न मिल सके। किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात को मानता हूं कि प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय अवधेश प्रताप सिंह का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या वह बता सकेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटी, कालेज और हाईस्कूल और दूसरी पाठशालायें संस्कृत की या हिन्दी की हैं उनमें कितने हरिजन जाते हैं। आज हमको इतनी ही आवश्यकता नहीं है कि कितने कालेज या यूनिवर्सिटी हमारे यहां खुलें, आज तो प्रश्न सामने यह है कि इस प्रदेश के बसने वाले नागरिकों की कैसी क्षमता है ? वह अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या नहीं वह अपने बच्चों के लिये फीस का भार बरदाश्त कर सकते हैं या नहीं। उनकी पुस्तकों का मूल्य जो होगा उसको वह सहन कर सकते हैं या नहीं और उतने मूल्य की वह खरीद सकते हैं या नहीं। आज उनके अन्दर इस शिक्षा के भार को सहन करने की क्षमता नहीं है। तो महज यूनिवर्सिटी का बनाना काफी नहीं होगा। जहां तक हरिजनों का संबंध है हरिजन इस प्रदेश में सबसे गरीब लोग हैं। आज हरिजनों के पास रोटी रोजी का साधन नहीं है, उनके पास खेतीबाड़ी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आज कुछ लोग पढ़-लिखकर किसी जगह पर पहुंच गये हों तो पहुंच गये हों लेकिन हरिजन समुदाय में भारी बहुमत में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी रोजी का साधन नहीं है। उनके पास रहने के लिये मकान नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी बनारस में खोलकर हम अवधेश प्रताप सिंह जी की दलील मानले कि वे लोग वहां जाकर पढ़ने लगेंगे और संस्कृत के विद्वान बन जायेंगे। अवधेश प्रताप सिंह जी भले ही यहां पर लच्छेदार भाषण दे दें और कुछ लोग इस तरह के हो जायं— लेकिन उनके लिये यह संभव नहीं होगा जिनके पास कोई साधन नहीं है।

आज हरिजनों के लिये बराबरी की बात कही जाती है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि अभी भी समाज के अन्दर कितनी विषमता है। हरिजनों और सवर्णों के बीच में जिस प्रकार की विषमता है उसको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। उसको तभी दूर किया जा सकता है जब कि हरिजनों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचे उठाया जाय। दूसरी जातियों के समकक्ष लाने का प्रयत्न किया जाय। यह तभी हो सकता है जब कि यूनिवर्सिटी में उनके रहने सहने, उनके भोजन आदि की सुविधा उनको दी जाय। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी इस देश के राष्ट्रपति हैं और शायद मैं समझता हूं कि वह बहुत उच्च कोटि के विद्वान भी हैं और उनके दिल में इस तरह की भावना के लिये बहुत स्थान है कि इस प्रकार का भेद हरिजन और सवर्णों के बीच से मिट जाय लेकिन उनके द्वारा बनारस में उन जैसे विद्वान ने एक ऐसी परम्परा का परिचय दिया है जो....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप असंगत हो रहे हैं और इसमें यह नहीं आना चाहिये। यह विवाद में विषयान्तर हो गया।

श्री रामसेवक यादव—हमारे अवधेशप्रतापसिंह जी ने इस तरह की बात कही थी तो मैं बता रहा था मिसाल के तौर पर और इसीलिये उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। तो जब इस तरह की बात चले तो सिर्फ मौखिक बात कह देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। कम्पलैक्स की बात कही गई, लेकिन कम्पलैक्स की बात हो या न हो, वास्तविकता से आंख मूंदना बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। आज हमारे प्रदेश में जो चीजें है वे हैं, उनको अगर हम आंख मूंद कर छोड़ दें और एक बार हरिजन समझ लें कि उनकी दशा सुधर गई है और वे ऊंचे उठ गये हैं और उच्चवर्ग के लोग समझ लें कि हरिजन ऊंचे उठ गये हैं

तो यह उचित बात नहीं होगी, सच्चाई और ही है। हमें प्रयास करना ही होगा कि चाहे शिक्षा में नौकरी में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेतीबाड़ी में, हम हरिजनों को सुविधायें दें। जहां तक इस विश्वविद्यालय के हरिजनों को सुविधा देने का प्रश्न है, वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। दाखिले में कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ यह हो सकता है कि उनको फीस संबंधी या किताबों से या रहने सहने से संबंध रखने वाली बातों की व्यवस्था में सुविधा दी जाय। माननीय शिक्षा मंत्री या कोई सदस्य यह कह सकते हैं कि यह वेग है। तो मैं उनसे कहूंगा कि वह इसे मान लें और रूल्स में यह आसानी से साफ किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह और अन्य सदस्य अपने विशाल हृदय का परिचय देंगे और इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय रामसेवक जी ने यह कहा कि चूंकि संविधान में हरिजन के लिये संरक्षण रखा गया है तो यहां भी यह रख दिया जाय। १० वर्ष में ५,६ वर्ष तो हो चुके हैं और २,४ वर्ष शेष हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा की कमी साधारणतया ग्रामीण जनता में है और अगर वह कहते कि ग्रामीण जनता को सुविधायें दी जावें, तो मैं समझ सकता था, परन्तु मैं समझता हूं कि आज हरिजनों में एक सुधार की भावना है और बहुत सा पिछड़ा वर्ग है जैसे सांझी बागवान वगैरह उनमें इतनी उत्तेजना नहीं है कि वह आगे बढ़ें। अगर उनके लिये रखते तो मेरी समझ में आता। आज हरिजन काफी आगे आ रहे हैं। पहले संविधान में रख दिया गया था। आज तो हरिजनों को कहीं पर रुकावट नहीं है। जहां चाहें वहां वे जा सकते हैं, जिस संस्था में चाहें वहां बैठ सकते हैं। आज उनकी कालेजों और स्कूलों में फीस माफ है और संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उनको वे सुविधायें होंगी। संस्कृत पढ़ने वालों को आमतौर से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हरिजनों के लिये एक विशेष तौर से रखने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत में हमारी तमाम संस्कृति भरी पड़ी है और हमारे आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की विचारधारा संस्कृत में भरी पड़ी है इसलिये इसे प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यह सबके लिये एकसा होना चाहिये। मुझे तो यह दिखाई देता है कि अलग-अलग की बात कहने से भेदभाव बढ़ता जाता है। हमको इसे मिटाना है, इसलिये ऐसा कोई भी संशोधन उचित नहीं जान पड़ता है।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उद्देश्य और सिद्धांत की बातें तो बहुत सी कही जा सकती हैं लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हमारी संस्कृत की पाठशालाओं में स्त्रियों का और हरिजनों का स्थान शायद नाम-मात्र का होगा। बहुत सी ऐसी पाठशालायें हैं और संस्कृत कालेजेज हैं जिनमें एक भी हरिजन नहीं हैं। यह प्रश्न तो उपस्थित है और हमें देखना है कि उसकी क्या वजह है, आखिरकार क्या बात है कि हरिजन और स्त्रियों में संस्कृत का उतना प्रचार नहीं है, संस्कृत को पढ़ाने के लिये उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिये। यह दूसरी बात है कि यह संशोधन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है लेकिन अगर कोई वास्तविकता है, अगर कोई जरूरी बात दिखाई पड़ती है तो उसमें कोई न कोई नुक्स अवश्य है जिसकी वजह से हमारी स्त्रियों को और हमारे हरिजनों को उतना मौका संस्कृत पढ़ने का नहीं मिलता है, जितना कि दूसरी जातियों को मिलता है। अगर ऐसी कोई बात है तो हमको उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। यह ठीक है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में या गवर्नमेंट संस्कृत कालेज में कोई ऐसी रोकथाम नहीं थी। लेकिन अभी एक उदाहरण दिया गया कि एक स्त्री को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं मिली इस प्रकार की वास्तविकता की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर हमारे समाज में ऐसी कोई चीज है तो हमें उसकी दवा ढूंढनी है। यह हो सकता है कि हमारे समाज में ऐसी कोई कमजोरी हो। लेकिन अगर समाज और सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

का ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि स्त्रियों और हरिजनों में संस्कृत भाषा का ज्यादा प्रचार हो तो मैं समझता हूं कि इन दोनों वर्गों में संस्कृत विद्या की कमी रह जायगी जिसके लिये हमें विशेष ध्यान देना है।

यह संशोधन जो इस वक्त यहां उपस्थित किया गया है अगर वह नहीं माना जाता है, क्योंकि वह उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि एक कानून को होना चाहिये फिर भी मैं शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ अवश्य ध्यान दें और कम से कम यह बात तो हो ही जानी चाहिये कि वहां के जो पदाधिकारी हों वह इस मनोवृत्ति के न हों कि यह वेद वाणी देव वाणी है और इसको पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है जैसे कि अभी बहुत से अध्यापकगण इसी मनोवृत्ति को लेकर वहां पढ़ाते हैं। हमको इस ओर विशेष ध्यान देना होगा ताकि अगर कोई हरिजन या स्त्री इस विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वे अछूत की तरह ट्रीट न किये जायं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ग वहां जाता है तो उसका वहिष्कार कर दिया जाता है। वहां तो ऐसे ही लोगों को रखना चाहिये जो इस मनोभावना से वंचित हों और परे हों।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक संशोधन की भावना का संबंध है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। आज हमारे देश में इस प्रकार का वातावरण है कि संस्कृत पाठशालाओं में हरिजन और स्त्रियों को समुचित स्थान नहीं दिया जाता। मेरे ही शहर हाथरस में बहुत सी संस्कृत पाठशालायें हैं जिनको सरकार की ओर से सहायता भी दी जाती है, लेकिन उन पाठशालाओं में एक भी हरिजन विद्यार्थी नहीं है। मैंने अपने यहां के पंडितों से जो इन पाठशालाओं को चलाते हैं यह अनुरोध किया था कि अपनी इन पाठशालाओं में वे हरिजन विद्यार्थियों को भी शिक्षा दें। मगर उनकी तरफ से उत्तर साफ यही मिला कि इन पाठशालाओं में हरिजन विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन पाठशालाओं को चलाने वालों को इस प्रकार का आदेश दें कि आज इस बात की आवश्यकता है कि संस्कृत की विशेषता को समझते हुये और संस्कृत भाषा के प्रचार की महता को जानते हुये इसका प्रचार भारत के प्रत्येक नागरिक में होना चाहिये। इसके प्रचार के लिये यह भवना नहीं होनी चाहिये कि यह केवल उच्च वर्ग के विद्यार्थियों के लिये है बल्कि देश के अन्दर जितने भी रहने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था उचित होनी चाहिये।

जहां तक माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है, अगर मैं यह कहूं कि इस संशोधन में बड़ी साम्प्रदायिकता की भावना निहित है तो कोई अनुचित न होगा। माननीय सदस्य इस संशोधन को प्रस्तुत करके चाहते हैं कि आज भी हरिजन विद्यार्थियों की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में पृथक कर दी जाय। तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हरिजनों को, तथा स्त्रियों को किसी विश्वविद्यालय में एक अलग प्रकार की शिक्षा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है कि हरिजनों को जो समाज के एक बहुत ही आवश्यक अंग हैं उनको उच्च वर्ण कहे जाने वाले समाज में घुला मिला दिया जाय। अगर आज भी हम उनके लिये अलग प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि हम यही चाहते हैं कि हरिजन सदैव अलग बने रहें। आज इस बात की आवश्यकता नहीं है। तो मैं संशोधन कर्त्ता से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से दूसरे विश्वविद्यालयों और कालेजों में हरिजन विद्यार्थियों के लिये विशेष स्थान सुरक्षित हैं तथा उनको विशेष सुविधायें हैं उसी प्रकार से इस संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये भी विशेष प्रकार की सुविधायें दें ताकि ये हरिजन विद्यार्थी वहां जाकर अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

*श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, जो संशोधन भवन के सामने उपस्थित हुआ है मेरा अपना खयाल है कि एक गलत दृष्टिकोण से यहां पर आज उसके ऊपर विवाद हो रहा है। इसका आशय जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने बतलाया है और मैं समझता हूं कि ठीक ही कहा, वह यह है कि उसमें ये सुविधायें हरिजनों और स्त्रियों को भी प्राप्त हों और वे भी संस्कृत की ओर आकर्षित हों। यही एक आशय उन्होंने बतलाया और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मुझे विश्वास है कि उसमें किसी जाति या वर्ग विशेष के लिये प्रतिबन्ध हो, यह चीज अनुचित होगी और नहीं होनी चाहिये। हम और आप इस आशय को सामने रख कर इस पर विचार करें कि इस संशोधन को मान लेने के बाद ही जो हमारे और आपके आशय हैं, जो हम चाहते हैं उसकी पूर्ति होती है या नहीं होती है। यदि उसकी पूर्ति इस संशोधन के द्वारा ही होती हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे कतई कोई संकोच इस संशोधन को मान लेने में नहीं होगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि हरिजनों को अधिक से अधिक और यदि संभव हो सके तो और लोगों से अधिक उनको सुविधायें दी जायं और दी जा रही हैं जिसमें वे अधिक शिक्षित हो सकें और वे जल्दी से जो हमारे समाज के रहन-सहन का स्तर है उसमें वे भी सम्मिलित हो जायं और कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहे। यह सभी चाहते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको इस प्रस्ताव का, इस संशोधन का विश्लेषण करना है केवल एक दृष्टि से कि आया इस संशोधन से हमारे आशय की, जो हम चाहते हैं पूर्त्ति होती है या नहीं। मैं समझता हूं वह नहीं होती और जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि यह विद्या हमारे देश में ही अवनति की ओर जा रही है, लोग इसको बढ़ाने के लिये, उसमें अपनी ज्ञानवृद्धि के लिये इतने उत्सुक नहीं हैं जितनी हमारे जो साधारण विश्वविद्यालय हैं उनमें जाने के लिये उत्सुक हैं, तो यदि वास्तव में कुछ ऐसा है तब तो किसी प्रतिबन्ध की जरूरत नहीं है। प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता या इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अर्थ तो यह हुये कि हम यह स्वीकार करते कि हमारे विश्वविद्यालय में एक प्रकार का प्रतिबन्ध चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो, जिसके कि अर्थ यह होते कि स्त्रियां और हरिजन उसमें नहीं जा सकेंगे, उनके खिलाफ एक प्रतिबन्ध इस बिल में लगाया गया है और इसी कारण से इसकी आवश्कता हुई, लेकिन बरखिलाफ इसके वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि यदि कोई विश्वविद्यालय या कोई पाठशाला केवल हरिजन होने के कारण किसी को भरती करने से इंकार करता है तो मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि चाहे कोई विश्वविद्यालय हो या संस्कृत पाठशाला हो या संस्कृत विश्वविद्यालय ही क्यों न हो यह सरकार से एक पैसा भी न पा सकेगी इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

अभी थोड़े दिन हुये, चूंकि आजकल लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे हैं, मेरे पास कुछ हरिजन विद्यार्थी आये और उन्होंने बताया कि हमारा ऐडमिशन नहीं हो रहा है। वहां के वाइसचांसलर ने बताया कि हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है, नम्बर्स फिक्स हैं, इतने नम्बर जिसने पाये होंगे उनको लिया जायगा, कम वालों को नहीं लिया जायगा। मैंने इस विषय में कोई जाब्ते का खत या पत्र तो नहीं लेकिन आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के वाइसचांसलर को निजी तौर पर पत्र लिखे और मैंने लिखा कि अगर हरिजन लड़कों के दूसरों की अपेक्षा कम नम्बर भी हों या औरों के बराबर हों तो उन्हें प्रिफरेंस दिया जाय और मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि हम इतने लड़कों को अपने यहां रखेंगे, आपने अखबार में भी देखा होगा। तो यह बात अपने स्थान पर है कि किसी को हरिजन होने के कारण कहीं जगह नहीं मिली ऐसी बात आगे न होगी और आप हम सब जानते हैं कि इस वक्त यहां अनटचेबिलिटी ऐक्ट लागू है इसलिये मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं है।

दूसरी एक बात कांस्टीट्यूशन की भी कही गई और यह कहा गया कि जिनका रिजर्वेशन कांस्टीट्यूशन में है इसलिए ऐसा कोई रिजर्वेशन न किया जाय, यह गलत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविंद सिंह]

मेरा खयाल है कि यह इतला भी जो दी गई यह भी गलत है, कांस्टीट्यूशन में जो हरिजनों के लिए रिजर्वेशन किया गया उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसके अलावा इसी कांस्टीट्यूशन में यह भी है कि किसी को आप कम्युनिटी या और किसी कारण से कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं दे सकते। अगर हाई कोर्ट में रोज रिट होता है यह डिस्क्रिमिनेशन है दो के बीच में—एक को कानून द्वारा अधिक सुविधा हो गई और एक वर्ग उससे वंचित हो गया इसलिये यह अल्ट्रावायरिस है। रोज यह हाई कोर्ट से होता है आर्टिकिल १४ के द्वारा कोई कानून ऐसा होता है तो वह अल्ट्रावायरिस हो जाता है। इसलिये मुझे अपनी जगह पर शक है कि अगर यह चीज रक्खी जाय—कांस्टिट्यूशन जितना प्रोवाइड कर देता है कि ये सुविधायें आप दे सकते हैं उसमें अलग अगर आप और अधिक सुविधायें दें तो मेरा अपना ख्याल है कि वह अल्ट्रावायरिस है। दूसरी बात यह कि आपने आगरा यूनिवर्सिटी का बिल पास किया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बिल पास किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बिल पास किया इस तरह से चार बिल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में पास कर चुके हैं। किसी में कोई ऐसी धारा नहीं रक्खी गयी, संस्कृत यूनिवर्सिटी में रख कर मामले को जटिल कर देना है।

यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इन चार यूनिवर्सिटीज के कांस्टीट्यूशन में यह तो नहीं रक्खा गया फिर संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्यों रक्खा गया। वह अपने यहां तो ऐसा बना सकते हैं। चूंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में ऐसा संरक्षण दिया गया है इस लिये वह तो ठीक है लेकिन हमारे बिलों में कोई ऐसा संरक्षण नहीं है। इसलिये लड़ने के बाद अदालत में चाहे जो भी फैसला हो जाय लेकिन इस प्रकार से एक भ्रम हो सकता है तो जैसे आपने उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी वैसे मैं समझता हूं कि ऐसी किसी सुविधा की आवश्यकता ही नहीं है जब कि हर एक कांस्टीट्यूशन मजबूर है इस बात के लिये कि उसके पास जो भी विद्यार्थी जाय बिला उसकी जाति पूछे हुए उसको भरती करे बशर्ते और जो नियम हों वह उसके अनुकूल हों तो इसकी एक तो कोई आवश्यकता नहीं है और जहां तक सुविधा की बात है यह बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि आखिर क्या सुविधा चाहते हैं। सुविधा आपने बताई फीस की हो सकती है और चीजों की भी हो सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत या और कहीं भी कोई हरिजन विद्यार्थी पढ़ता हो उसको फीस नहीं देनी पड़ती, वह फीस सरकार देती है। यही नहीं बल्कि जितने डिग्री कालेजेज हैं फीस के अलावा सबको स्कालरशिप दिये जाते हैं चाहे वह एक हों या हजार की संख्या में हो और वही बात लागू होगी संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये। तो फिर यह सुविधा की कमी तो नहीं रह गई। कोई इंकार नहीं कर सकता उनको पढ़ाने के लिये उनसे फीस नहीं ली जाती, उनको स्कालरशिप दिया जाता है उनको होस्टल की जगह दी जाती है, उनको किताबों के लिये बुक एड दी जाती है तब तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं। यह तो नियम बने हुए हैं हां और नियम के अनुकूल उनको यह सुविधायें आज भी प्राप्त हैं और इन्हीं सुविधाओं को रख कर भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे खयाल में यह निरर्थक सी चीज है कि आप इसको रक्खें। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी बात तो नहीं है। मुझको अभी डाक्टर साहब से मालूम हुआ कि उनके यहां एक हरिजन है जो जिले भर में पूर्ण मध्यमा के इम्तिहान में टाप हुआ है और संस्कृत कालेज में पढ़ने के लिये उसको भेजा है रामेश्वर लाल जी जहां के हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी मेरे सामने भी आये—मुसलमान, हरिजन धोबी भी जो संस्कृत बहुत फ़िक्वेंटली बोल सकते थे। कानून में तो उस चीज को जगह मिलती है जिसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता पहले समाज में उत्पन्न होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये कानून बनता है।

यह कानून का नियम होता है। यहां आवश्यकता है ही नहीं। हां, आवश्यकता इस बात की जरूर हो सकती है कि माननीय सदस्य को यह अवसर मिलेगा, क्योंकि यह बे दाँ इलेक्शन आ रहा है नजदीक, जिसमें वह कह सकते हैं कि मैंने हरिजनों

के लिये यह प्रस्ताव भेजा था। तो ऐसी बातों को कानून में जगह नहीं मिलती। क्योंकि कोई ऐसी असुविधा आज है ही नहीं। जो भी पढ़ने जाय वह पढ़ सकता है। अगर कोई उसको नहीं रख सकता है तो उसको जेल भेजा सकता है। तो इस सुविधा को इसमें रखने का प्रयोजन करना मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये बड़े लाभ का हो, उनके लिये सुखद हो, उनको कोई फायदा पहुंचे, यह बात नहीं है। फायदा तो उनको जितना दिया जा सकता है, या जितना इसमें संभव है देना वह आज भी है। तो इस कारण मैं यह समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है और इस आशय की पूर्ति हो रही है और जो रामेश्वर लाल जी हरिजनों के बहुत भारी हामी हैं, तो मैं एजूकेशन मिनिस्टर की हैसियत से वादा करता हूं कि जितने हरिजन लड़के संस्कृत पढ़ने के लिये लावेंगे वह विश्वविद्यालय में जहां कहेंगे मैं भर्ती करा दूंगा। इसलिये मैं समझता हूं कि वे इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप संशोधन नहीं पेश कर सकेंगे, क्योंकि आपने उसमें बहुत देरी की है। इतने आदमी बोल चुके हैं तब आपने संशोधन भेजा है। जो संशोधन चल रहा है उसी पर बोल लीजिये आप।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं श्री रामेश्वर लाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज शिक्षा मंत्री जी ने रामेश्वर लाल जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन की मंशा और उसके भाव का समर्थन किया है दिल से। इस बात की भी खुशी है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय रामेश्वरलाल जी को सम्बोधित करते हुए इस सदन को सूचना दी है कि वह जितने भी हरिजन छात्र हों सबको जिस भी विश्वविद्यालय में या कालेज में कहें मुफ्त पढ़ने के लिये भेज देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी के इस आश्वासन और हमारे संविधान संशोधन के समर्थन के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मगर श्रीमन्, जहां मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं वहां अगर इस सदन में मैं अपना डर और जो प्रचलित व्यवस्था है उसको न कहूं तो मैं समझता हूं कि धर्मकीर्ति के आदेशानुसार मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूंगा। क्योंकि उन्होंने सभासदों के लिये स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी सभासद अपने सच्चे भावों को छिपाता है सभा में और उसको व्यक्त नहीं करता तो वह किसी चोर से बढ़ करके अपराधी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मैं परिपूर्णानन्द जी की बातों का ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता, उनको बतला दूं। तो श्रीमन्, मैंने आज इस संशोधन पर प्रथम बार शिक्षा मंत्री जी को पाया है, उन्होंने बहुत ही संयत भाषा में और बहुत ही संयत ढंग से अपने भाव को व्यक्त किया.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनका आप भी अनुकरण करेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है। हम तो श्रीमन्, कभी कभी इच्छा न रहते हुए पालन करते हैं ताकि आइन्दा वे भी वैसा ही रहें। तो अब मैं श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कि वह उद्देश्य और कारण को अपने सामने रखें। उद्देश्य और कारण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति की संरक्षिका तथा इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी की जननी दोनों ही रूप में संस्कृत का महत्व सर्वविदित है। अब जहां राष्ट्र की संस्कृति की चर्चा होती है श्रीमन्, वहां पर हमको अवश्य इस विषय पर आना होगा कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति है क्या, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी इस संशोधन का विरोध करते हुये कहा है कि और किसी कालेज और यूनिवर्सिटी में तो ऐसी शर्त नहीं रखी गयी है, फिर संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये ही ऐसी शर्त क्यों रखी जाय। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और किसी भी विश्वविद्यालय या कालेज के लिये जो कानून बने हुये हैं उनके उद्देश्य और कारण का अवलोकन करें। किसी कालेज के उद्देश्य और कारण में ऐसी भाषा नहीं लिखी हुई है। यहां की प्राचीन संस्कृति की

[श्री राजनारायण]

रक्षा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा करने के लिये ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ऐसा किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी कालेज के एम्स ऐण्ड आबजेक्ट्स, उद्देश्य और कारण में नहीं लिखा हुआ है। तो जब किसी दूसरे कालेज और दूसरे विश्वविद्यालय के उद्देश्य और कारण में राष्ट्र की संस्कृति का शब्द नहीं लिखा हुआ है और इस काशी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक में यह शब्द लिखा हुआ है, खासतौर से तब यहां पर श्रीमन्, शंका होती है कि किस तरह की राष्ट्र की संस्कृति और किस राष्ट्र की रक्षा इस विधेयक द्वारा होगी? क्योंकि श्रीमन्, आप हमसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे और इस सदन के और बहुत से सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि हमारे ही राष्ट्र में, हमारे ही देश में हरिजनों को वेद पुस्तक का पढ़ना मना है। हमारे ही यहां स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप करना मना है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि काशी बिश्वविद्यालय में एक बार मु० महेश प्रसाद जी की लड़की के वेद पढ़ने के विषय में बड़ा भारी विवाद खड़ा हुआ था। वह संस्कृत में वेद का अध्ययन करना चाहती थी और पदाधिकारियों ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें वेद का अध्ययन करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम मुसलमान की लड़की हो। तो मैं तो यही चाहता था और इसीलिए मैंने जो आपकी सेवा में संशोधन प्रस्तुत करने की कोशिश की थी उसमें माननीय रामेश्वर लाल जी से निवेदन किया था कि हरिजन के आगे मुसलमान शब्द भी जोड़ दिया जाय। तो हम चाहते हैं श्रीमन्, अब जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने सही मानी में कहा है कि वह माननीय रामेश्वर लाल जी के भावों की कद्र करते हैं और माननीय रामेश्वर लाल जी की जो भावना है उस भावना को वह व्यवहारतः चरितार्थ करना चाहते हैं मगर कानून को भाषा के रूप में लिखना नहीं चाहते। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की सहूलियत के लिये यदि उनकी यह भावना है और जैसा कि वह कहते हैं मुझे मानना चाहिये कि उनकी यह भावना होगी। तो मैं उनकी आसानी और उनकी सहूलियत के लिये चाहता हूं कि वह इस संशोधन को जरूर स्वीकार करें क्योंकि जब कानून में यह भाषा लिखी रहेगी तब माननीय शिक्षा मंत्री जी आसानी से दूसरे लोगों से कह सकते हैं कि देखो हमने कानून को ऐसा स्पष्ट रूप दे दिया है ताकि इसमें शक की गुंजाइश न रहे और कानून बनने के बाद फिर इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी भी समय किसी भी व्यक्ति विशेष को ब्राह्मण का चरण धोने का अधिकार है या होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी देवता की उपाधि देने की आवश्यकता है या नहीं। मैं केवल प्रसंगवश कहना चाहता हूं कि हमारे देश में संविधान और कानून के अन्दर अधिकार प्राप्त होते हुये भी हरिजनों को मन्दिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, लाठी चल रही है, वह रोके जा रहे हैं तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने सदन से निवेदन किया है, अपील की है कि सदन जरा बैठ कर के गम्भीरता से विचार करें कि इस संशोधन को मान लेने से क्या समस्याओं का समाधान हो जायगा? मैं जरूर चाहता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी की इस भावना में मैं उनके साथ चलना चाहता हूं कि हम जरूर यहां बैठ कर विचार करें, सोचें कि क्यों आवश्यक है इस संशोधन का आना। अभी माननीय श्री नवल किशोर जी यहां पर दिखलायी नहीं पड़ रहे हैं। तो बोलते समय कहा गया कि एक सोशलिस्ट सदस्य की ओर से ऐसा संशोधन आया। हमारे मित्र अवधेश प्रताप सिंह जी ने भी सोशलिस्ट सदस्यों के द्वारा ऐसा संशोधन प्रस्तुत होने पर आपत्ति की। तो जहां हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों में आज ऐसा विस्तृत मतभेद है कि एक सोशलिस्ट को क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये तो श्रीमन्, आप स्वतः समझ सकते हैं कि हमारा विषय कितना गम्भीर और कठिन हो जाता है। मैं आप के द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिज्म कोई वैकुअम में नहीं बनता, समाजवाद कोई खाली स्थान में नहीं बनता और जो समाजवाद के ज्ञाता हैं ---मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, सम्पूर्णानन्द जी इस समय हैं नहीं ---मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी भी इस बात से सहमत होंगे कि समाजवाद जो स्थापित होगा अपने देश में वह यहां की परिस्थितियों पर

और यहां का जो खंडहर है इसी पर तो स्थापित होगा ? यहां पर जाति-पांति की रूढ़ियां और विषमताएं कायम हैं, वर्ण विद्वेष कायम है, हिन्दू मुसलमानों की समस्या कायम है तो इस समस्या को केवल सदन में कह देने से कि यह समस्या नहीं है और वह हरिजन अपने को हरिजन क्यों समझें, ब्राह्मण क्यों न समझें, यह भाव क्या है ? मैं जानना चाहता हूं माननीय नवल किशोर और अवध प्रताप सिंह जी से कि वह यह क्यों चाहते हैं कि हरिजन अपने को ब्राह्मण कहने लगें, क्यों न वह ब्राह्मण अपने आप को भंगी कहने लगें, ब्राह्मण अपने आप को हरिजन कहने लगें ? महात्मा गांधी ने यह आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया था जब उन्होंने कहा था कि यदि हमारा पुनर्जन्म हो तो भंगी के घर में हो। आज उसी महात्मा गांधी के पद-चिह्नों पर चलने वाले ये हमारे कांग्रेसी महानुभाव ऐसे उद्गारों को प्रस्तुत करते हैं जिसमें जात पांत की व्यवस्था अपने वर्तमान स्वरूप में कायम रहे, इसका मुझे सख्त अफसोस है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि वह याद करें क्या इसी सदन में हमने उनसे निवेदन नहीं किया था कि अभी-अभी कानपुर के डी० ए० वी० कालिज के हरिजनों को अन्य विद्यार्थियों के साथ भोजन नहीं करने दिया जाता। जब गरमी का सेशन खत्म हो रहा था तो क्या वहां के हरिजन छात्र माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मिलने नहीं गये थे और मेरी अब तक भी जानकारी है, मैं अभी कानपुर में गया था, वहां के हरिजन छात्रों को पारसाल जब तक सेशन चल रहा था तमाम लोगों के साथ भोजन नहीं करने दिया जाता, सामान्य मेस में खाने की व्यवस्था नहीं की जाती। उनके सारे रेकार्ड को, अगर कोई चैलेंज करेगा तो उनका पूरा-पूरा लिखित लेखा मैं प्रस्तुत कर सकता हूं।

अब भी श्रीमन्, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जब शिक्षा मंत्री जी या इस सरकार की मंशा है वह अपने मंशा के प्रति यदि ठीक रूप में उसको कार्यान्वित करने के लिये विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह माननीय रामेश्वर लाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन है उसकी गम्भीरता और उसकी गुरुता को समझेंगे। श्रीमन्, जब मैं इस संशोधन पर बोल रहा हूं तो मैं आप के द्वारा एक निवेदन और भी करना चाहता हूं। मैं २३ तारीख को वाराणसी गया हुआ था। वहां का एक वैदिक मंडल है, वह वैदिक मंडल क्या चाहता है, उसने अपने पूरे सुझाव लिखित रूप में मेरे पास प्रस्तुत किये हैं। श्रीमन्, वहां के बहुत से प्रोफेसर जो वहां पर काम करते थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन लोगों का एक मत से कहना है कि यह प्राचीन रूढ़िवादी व्यवस्था को प्रफुल्लित और प्रस्फुटित करने के लिये ही काशी नरेश को वाइस-चांसलर रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उसी पर आ रहा हूं। उनका यह कहना है कि यहां पर जो विद्या का पाठ कराया जायगा, जो शिक्षा दी जायगी वह शिक्षा ऐसी होगी जिसमें पुरानी रूढ़िवादिता, पुरानी कुरीतियां और बुरी प्रथाएं फिर से कायम की जायंगी और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है और श्रीमन्, मैं जानता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी जानने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, उनके यहां उनके दल में भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो चाहते हैं कि ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह असंगत हो रहा है। आप हरिजनों के लिये चाहते हैं, उसी पर आइये।

श्री राजनारायण—इसलिये मैं बार-बार इसी संशोधन पर आता हूं और इस संशोधन पर बार बार इस लिये आता हूं कि यदि इसमें हरिजनों के लिये, स्त्रियों के लिये और मुसलमानों के लिये समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो हमें डर है कि आगे चलकर के शायद संस्कृत के विद्वान सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू जो प्राचीन संस्कृत के ज्ञाता अपने को मानते हैं और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जितने हमारे प्राचीन ग्रन्थ हैं उनमें जातिपांति का भेदभाव मिलेगा, पूजा विधि में भेद भाव मिलेगा और जिनको संस्कृत की प्राचीन पुस्तकें कहा जाता है उनमें

[श्री राजनारायण]

रूढ़िवाद और विषमता की व्यवस्था को सुरक्षित किया गया है। अगर वह व्यवस्था कायम होगी और तमाम सम्मानित सदस्य एक राय के होंगे कि हरिजनों को निषेध है, स्त्रियों को निषेध है और मुसलमानों को निषेध है तो फिर कैसे वर्ण व्यवस्था कायम होगी ?

श्रीमन्, हमारे शास्त्री जी ठीक कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा संस्कृत के विद्वान आयें और वह हमारा साथ दें। मैं उनका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि पहली अक्तूबर को जो सारे देश के लोग काशी विश्वनाथ के मन्दिर में इकट्ठा हो रहे हैं। मैं उसके संबंध में आपको बतला देना चाहता हूं ताकि सम्मानित सदस्य समझेंगे.....

श्री अध्यक्ष—असंगत बात आप न कहें। संशोधन पर आ जाइये। आपने शिक्षा मंत्री जी की काफी तारीफ पहले ही की है।

श्री राजनारायण—इसीलिये मैं बराबर उनके कार्यों की ओर ध्यान दिला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी, उनके सहयोगी और उनके समकक्ष विचार रखने वाले जो चाहते हैं कि हमारे यहां से जातिपांति की व्यवस्था समूल नष्ट हो, सामाजिक समानता की सुरक्षा हो तो आज उनको सुविधा की भाषा को प्रकट नहीं करना चाहिये, चित्त की दुर्बलता को प्रकट नहीं करना चाहिये, जैसा सोचते हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिये सफ़ाई के साथ कानून में भाषा का इस्तेमाल होना चाहिये। मुझे भय रहता है और लोग अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं रहेगा तब तो और आशा है कि जो मंशा है उसके विपरीत व्यवहार होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य समारे संशोधन का समर्थन करेंगे और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह कहते हैं कि कोई हरिजन हो, मुसलमान हो, या कोई और भी हो अगर उसको किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने में बाधा होगी तो वह उसका विरोध करेंगे। मैं चाहता हूं कि वह अपने इस भाव को ठीक रूप से कार्यान्वित करने के लिये इस संशोधन को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक ऐसे स्पष्ट और सुन्दर कार्य के लिये जैसा कि संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक उस में कितना विवाद चल रहा है। मैं तो यह समझता था कि यह शीघ्र ही तय हो जायगा। यहां पर बहुत सी ऐसी बातें कही गयी हैं। मैं तो स्वयं हरिजनों का ही नहीं बल्कि प्राणीमात्र का सेवक हूं और मैं कोई भेदभाव नहीं समझता हूं और बहुतसी भ्रमोत्पादक बातें कही गयीं। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में हमारी हंसी होगी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतना अधिक भेदभाव रखा गया है। मैं नहीं समझता हूं कि एक भी प्रमाण दिया गया हो कि स्त्रियां न पढ़ें, शूद्र न पढ़ें, ऐसी बात हो। हम तो गुण, कर्म और स्वभाव से मानते हैं और स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। सैकड़ों वर्ष की बात नहीं बल्कि ५०-६० वर्ष से विश्वविद्यालयों में से जैसे गुरुकुल कांगड़ी है और वृन्दावन में विश्वविद्यालय है वहां से अच्छे-अच्छे स्नातक निकले हैं जिन्हें आज हरिजन कहा जाता है या कुछ भी कहा जाय, जो दलित समझे जाते थे। यह बात मानी हुयी है कि हमारे देश के पतन के समय में हम लोग बहुत नीचे गिरे हुये थे। उस समय ऐसी-ऐसी बातें हुयीं और इसी से देश गिरा। लेकिन अब हम लोगों के नेत्र खुल गये हैं। महर्षि दयानन्द ने हमें बतला दिया है कि वेदों में क्या लिखा है।

यकेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्य:

प्राणी मात्र के लिये, कोई भी हो, हमारी यह कल्याणी वेद वाणी सब के लिये है। हां, मूर्ख और विद्वान् में भेद होना दूसरी बात है, ईमानदार और बेईमान में भेद होना दूसरी बात है, वह तो होगा। लेकिन ब्राह्मण है तो ईमानदार होगा और कोई दूसरा हो तो बेईमान होगा, ऐसी बातें हमारे यहां शास्त्रों में कहीं भी नहीं मिलतीं। मैं इसके लिये चैलेंज देता हूं और कोई भी सज्जन मुझे इसका प्रमाण देकर बतलायें। जो हमारे शास्त्रों और वेदों के लिये कलंक की बातें हैं उनको कहते हुये किसी को संकोच भी नहीं होता।

मैं तो बड़े ध्यान से देख रहा था इस संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को कि कितने बड़े-बड़े विद्वानों ने मिल कर इतना बड़ा काम किया। हो सकता है कि उसमें कोई कमी रह गयी हो लेकिन इसके लिये कोई रुकावट नहीं। अब वह समय नहीं रह गया कि हम लोग यह झगड़ा करते फिरें कि इनके लिये यह रखें, उनके लिये वह रखें। कोई रुकावट हो तब तो वह ठीक है। लेकिन जहां सब के लिये मार्ग खुला हुआ है, किसी के लिये कोई रुकावट नहीं है वहां ऐसा करना किसी प्रकार उचित नहीं है। हां, मंदिर प्रवेश आदि की कुछ बातें हैं वे तो सनातन धर्म से सम्बन्ध रखती हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय की सरकार स्थापना कर रही है और काशी के पंडितों की राय से कर रही है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमें कोई दिखला दे कि किसी पाठशाला में या मदरसे में हरिजनों के लिये कोई रुकावट है तो उनकी सहायता बन्द कर दी जायगी। कौन साहस कर सकता है कि हरिजन लोग न जायें? क्या काशी में हरिजन विद्वान् नहीं मिल सकते? मैं नहीं समझता कि इतने उच्च विचारों को लेकर महान् पंडितों ने जो यहां पर यह कार्य प्रारम्भ किया है उसमें इस प्रकार की बातें पैदा होंगी। दूसरी बात यह कि हरिजन शब्द को मैं वास्तव में पसन्द नहीं करता। यदि यह शब्द रहा तो हमारे यहां भेद भाव की भित्ति खड़ी रहेगी। इस भेद भाव को तो मिटाना है। यह दूसरी बात है कि कुछ दिनों के लिये, उन्हें ऊपर लाने के लिये, उन्हें अपने में मिलाने के लिये, उनकी रुकावटों को दूर करने के लिये उनके साथ रियाअतें करके हम उनकी कुछ सहायता करें। लेकिन वैसे तो हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं। महर्षि दयानन्द का उदाहरण मैंने दिया। महात्मा गांधी ने भी इस ओर महान् प्रयास किया। महात्मा गांधी के लिये तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने हरिजनों के लिये काम तो किया लेकिन वे ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन महर्षि दयानन्द तो ब्राह्मण थे और उन्होंने ऐसे समय में काम किया जब भेद भाव बहुत जोरों पर था और छुआछूत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है इस बात की घोषणा हमारे वेद और आर्य ग्रंथ करते हैं। यह सब होते हुये भी ऐसी बातें कहना मैं समझता हूं कि इससे अपने देश को बदनाम करने के सिवाय और कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिये हमें अपनी भारतीय संस्कृति में कलंक नहीं लगाना चाहिये। हम ऐसी बातें नहीं पसन्द करते कि वही पुरानी बातें जिनका इतना तीव्र विरोध हो चुका है और जिनसे हम अब बहुत ऊंचे उठ चुके हैं उनकी बिना पर यह कहा जाय कि हम मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं, इसके लिये प्रचार करते हैं। अभी यहां किसी सज्जन ने मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करना चाहा मैंने उनसे कहा कि आप हिन्दी का अभ्यास बढ़ाइये। हम तो चाहते हैं कि संस्कृत सब देशों में फैले, सारे संसार में फैले। भला हम किसके लिये भेदभाव डालेंगे, यह बात कभी नहीं हो सकती और मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा नहीं है। हम लोगों को बहुत मिलजुल कर दूध और शक्कर की तरह एक दूसरे से मिलकर रहना है और हम एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते हैं, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' हममें कोई भेदभाव नहीं है। हम सभी लोग छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सब को किसी ने कहीं जन्म लिया हो, सबको समान अधिकार है। इसके लिये कहीं किसी को रुकावट नहीं है। मैं इसके लिये चैलेंज देता हूं, मैं शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हूं। किस आर्षग्रंथ में है इसका कहीं भी प्रमाण दिया जाय। हां रूढ़िवादी ऐसा कहते हैं लेकिन किस आर्षग्रंथ में है, इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा भेदभाव हो। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव इस देश में आज सिवाय बदनाम करने की बात के और कुछ नहीं होगे। यह प्रस्ताव बिलकुल अनुपयोगी है, घातक है और इसको यहां आना ही नहीं चाहिये था क्योंकि इसके आने के कारण ही आज यह भेदभाव यहां इस समय देख रहा हूं कि हो रहा है। यह किसी कालेज में, किसी जगह और होती.....

श्री अध्यक्ष—अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत काफी कह चुके हैं।

श्री रणंजयसिंह---श्रीमान्, मुझे बड़ा दुख होता है जब प्राचीन ग्रंथों को लेकर ऐसा कहा जाता है। प्रमाण क्यों नहीं दिया जाता। किसी आर्षग्रंथ में ऐसी रूढ़िवादिता नहीं है। कहां ऐसा है? इन शब्दों के साथ मैं यही निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव अनुपयुक्त है, उत्तम नहीं है, उचित नहीं है इसलिये मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव या तो वापस ले लिया जाय या फिर रद्द कर दिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। कारण यह मैं बतलाना चाहता हूं। कि आज हमारे देश में जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि गरीबी बहुत है। हमारे घरों में खाने का ठिकाना नहीं है। मैं तो शिक्षा मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी विद्यार्थी चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो चाहे वह स्त्री ही हो जब भी वह दाखिल होना चाहेंगे उनकी भरती करा दी जायगी। यह भी छोड़िये, आज जो सब से बड़ी बात है वह यह है कि आज हमने संसार को पंचशील की देन दी और वह उत्तर प्रदेश की देन है, उस उत्तर प्रदेश में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, किसी हरिजन के साथ नहीं, किसी मुसलमान के साथ नहीं, जो हमारा नाविक है वही आज इस देश का संरक्षक है। बीच के बाबू लोग, मध्यवर्ती लोग हमारे इस रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकते। मान्यवर, मैं अहसान फरामोश नहीं हूं। मैंने इस देश का इतिहास पढ़ा है। वर्षों यहां मुसलमानों ने हुकूमत की, अंग्रेजों ने हुकूमत की लेकिन हरिजनों को किसी ने उठाया तो वह हमारी यही कांग्रेस है और हमें पूर्ण आशा है कि संस्कृत के पढ़ने में हमें कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३५३-३५६ पर)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आपके द्वारा एक जानकारी हासिल करनी है। यह जो मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक पुरःस्थापित किया गया है इसके बारे में मैं मंत्री जी से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि इस पर कब बहस होगी क्योंकि यह हमारे कार्यक्रम से संबंधित है और मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो विधेयक चल रहा है इस पर अगर हम विचार स्थगित भी कर दें तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप मंदिर प्रवेश के बारे में जानते होंगे कि प्रत्येक रविवार को वहां हजारों हरिजनों का जत्था जाता है और वहां बराबर मारकाट, लड़ाई झगड़ा हुआ करता है तो इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दी ही विचार हो जाय। मैंने इस विधेयक को पहले देखा नहीं था, लेकिन मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को पहले ही बता दिया था कि एक अक्टूबर को बनारस में सारे देश के पैमाने पर एक बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन होगा और २१ अगस्त को यहां होने वाला है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक पुरःस्थापित हो चुका है अब क्या इसके ऊपर आपने भाषण देने की अनुमति दी है। श्रीमन्, मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं कि क्या मौके का लाभ उठा कर और दूसरी बातें इस सिलसिले में कही जा सकती हैं? अगर ऐसा है तो हम को भी मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने माननीय सदस्य को एक बात पूछने के लिये मौका दिया था।

श्री राजनारायण---मैंने एक ही बात कही थी। मैं पूछ रहा था कि हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि यदि इस संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार करना स्थगित कर के ही हम इस विधेयक को ले लें विचार विनमय के लिये तो ज्यादा अच्छा होगा और इसके लिये मैंने बताया भी माननीय मंत्री जी को मिल कर कि २१ अगस्त को इस असेम्बली भवन के सामने हमारा एक प्रदर्शन होगा और पहली अक्टूबर को विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने होगा। उस पर भी इसका असर पड़ेगा और अगर इस पर पहले विचार हो गया तो हम बड़ी झंझट से बच जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं इस सम्बन्ध में श्रीमन्, राजनारायण जी के विचारों से सहमत हूं कि इस विधेयक पर शीघ्रातिशीघ्र विचार होना चाहिये। तो इसके लिये मैं अधिक तो नहीं, इतनी अवश्य जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि सरकार के कार्यक्रम के अनुसार इस विधेयक पर विचार होना कब निश्चित हुआ है और मैं चाहूंगा कि इस पर अविलम्ब विचार हो।

श्री उपाध्यक्ष---यदि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं।

आचार्य जुगल किशोर---इसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि इस विधेयक पर अल्द से जल्द विचार होने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि शायद अगस्त के पहले सप्ताह में यह आ जायगा।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

खंड ४ (क्रमागत)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि भारतीय इतिहास हमको यह बतलाता है कि इस देश में वर्षों मुसलमानों ने शासन किया और वर्षों अंग्रेजों ने शासन किया लेकिन जो सुभीता हमको अपने कांग्रेस के राज्य में मिला, कांग्रेस के शासन काल में मिला, अपने बंधुओं ने, अपने देशवासियों ने स्वराज्य मिलने के बाद जो अधिकार हमें दिये वह किसी से छिपे नहीं हैं। आज सन् १९५७ का एलेक्शन नजदीक है अगर कोई विरोधी दल का सदस्य यह प्रस्ताव रखे कि हरिजनों के लिये बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन दिया जाय इससे हम बहकने वाले नहीं हैं। हमारे लिये यह सब सुविधा संविधान में दी हुई है। हमारे लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हमारे लिये दरवाजा खुला है। हर यूनिवर्सिटी में हमारे विद्यार्थी जा सकते हैं, उनके लिये कोई रुकावट नहीं है। हमको माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी और कोई किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी तो वह हमारे साथ होंगे और हमारे लड़कों को वहां पर भरती करायेंगे। मैं जानता हूं और मैं इससे नहीं घबराता हूं लेकिन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि चाहे कोई लाल टोपी वाले हों या सफेद टोपी वाले हों या काली टोपी वाले हों हम सब से कहना चाहते हैं कि वह जमाना चला गया जब हमारे लोग किसी प्रकार से दबते थे लेकिन आज तो सब सीना तान कर चल सकते हैं।

मैं उस भंगी कालोनी को भूला नहीं हूं जहां पर भंगी कालोनी में बड़े-बड़े शाह, बडे-बड विद्वान गान्धी जी के पास मिलने आया करते थे। क्रिप्स जैसे अंग्रेज उसी भंगी कालोनी में गान्धी जी से मिलने आये थे। जिसने कहा था कि हिन्दुस्तान में आज मसाल और चिराग जल रहा है। आज हिन्दुस्तान में जवाहरलाल जी की हुकूमत है जिसने दुनिया को पंचशील दिया है। उसके राज्य में कहीं पर भी हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार की ज्यादती नहीं हो सकती, आज हमारे लिये खुला दरवाजा है। कम्पटिशन में जो भी आये उसके लिये रास्ता खुला हुआ है। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां परिपूर्णानन्द जी और गिरधारीलाल जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के पढ़े-लिखे विद्यार्थी रहे हैं जो यहां पर आज विराजमान हैं। सेंट्रल गवर्नमेन्ट में

[श्री शिवनारायण]

भी जगजीवन राम जी हिन्दू यूनिवर्सिटी में पढ़े है। ये लोग हिन्दू यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और यह दोनों ही हरिजन छात्र रहे हैं। हमारे लिये कहीं पर रुकावट नहीं है। अब हमारे लिये रास्ते साफ हैं। आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अभी पारसाल हमने अपने एक रिश्तेदार लड़के को दाखिल कराया था जो बी० एस-सी० में पढ़ता है। वह सेकिंड पास होकर निकला है। आज भी उसका नाम लिस्ट में टंगा हुआ है। हमारे लिये कोई रुकावट नहीं है। हमारी गवर्नमेन्ट हमारी बहुत सहायता कर रही है। हमारी टांजिग की पालिसी नहीं है। जो सहायता मिलती है उससे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। हां, इतना जरूर कहूंगा और मैंने इसको कल भी कहा था कि सरकार यह करे कि संस्कृत को अगर उसको हरिजन, चमार, स्त्री, ब्राह्मण और दूसरी जातियों को पढ़ाना है तो उसको कम्पलसरी कर दें। संस्कृत को स्कूलों में अनिवार्य विषय कर दे जिससे सब जातियां चमार, मुसलमान और स्त्री पढ़ सकें। तब फिर मैं कहूंगा कि कोई रुकावट नहीं होगी और संस्कृत के बहुत पंडित निकलेंगे।

आज जितने भी सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं उनमें हमारे लड़कों को संस्कृत में डिस्टिंक्शन मिलता है। हमें संस्कृत पढ़ने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे यहां जितने हमारे शास्त्र हैं वह सब संस्कृत में ही लिखे गये हैं उसके अन्दर महान् विद्यायें छिपी हुई हैं। वह भाषा एक ज्ञान का भन्डार है। विमान और भिन्न प्रकार की विद्यायें उसके अन्दर हैं। यहां पर जर्मनी के बहुत से विद्वान आते हैं और आकर उनको पढ़ते हैं। हमारे देश में पन्त जी का शासन है और एक प्रजातान्त्रिक राज्य चल रहा है। कोई आदमी भ्रम में नहीं रह सकता। हमारे लिये जितने रुपये की आवश्यकता होती है वह मिलता है और हमारे बच्चों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध किया जाता है। कोई प्रतिबन्ध हमारे लिये नहीं है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन और स्त्रियों को मिलाकर लगभग ७५ प्रतिशत यह हो जाता है। कोई भी आदमी इनको इगनोर नहीं कर सकता। सब कहते हैं और हम भी कहते हैं कि इन लोगों के एजुकेशन के लिये सुविधा होना जरूरी है। जो हमारे लिये घपले पैदा करेंगे वह खुद ही घपले में फंस जायंगे और वह खुद बैकग्राउन्ड में पड़ जायेंगे और हम लोग आगे चलते जायेंगे। मुझे याद है कि सन् १९०६ में एक बात हमने कही थी कि "Those who will join us we will join them and those who will not join us we will not join them" हमने अगस्त सन् १९४७ में स्वराज्य प्राप्त किया। मैं माननीय राजनारायण से साफ कहना चाहता हूं।

श्री राजनारायण—यह कौन से सन् की बात है ?

श्री शिवनारायण—सन् १९०६ की बात है।

मैं किसी पर हिट नहीं कर रहा हूं। तो मान्यवर हमारे देश की परम्परा है। हमारे यहां तो लिखा है कि जन्मनाजायतेशूद्रः जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। आगे है कि 'कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा'। जो पढ़ेंगे वहीं पंडित बनेंगे चाहे वह कोई जाति का हो। कबीरदास कठौती में गंगा को ले आये थे और उसमें से अंगूठी निकली थी। तो भाई मैं साफ कहना चाहता हूं कि बात वह कही जाय जिसमें न हमारा घाटा हो न आपका घाटा हो। उचित अनुचित का विचार रख कर बात कहनी चाहिये। मैं नहीं कहता कि आप सवाल न उठावें सवाल उठाने में कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल वर्क करो। मैं कहता हूं कि गो टू दी मासेज ट्रेन दी मासेज। (Go to the masses, train the masses) और वी शैल कम विद यू (we shall come with you) मेरी कांस्टीट्यूएंसी में सोशलिस्ट हैं, लाल टोपी वाले। ३० तारीख को सीताराम जी गये थे। मैंने उनके सामने भी कहा था और एक-एक बात का जवाब दिया था और वे सन्तुष्ट हो गये। मंदिर का प्रश्न उठाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि मंदिर और मस्जिद का प्रश्न नहीं है। वह पत्थर का भगवान हमको कुछ नहीं दे सकता। नेहरू हमको

दे सकता है जो शक्ति में हैं वही दे सकते हैं और दे रहे हैं। 'विश्वासम फलंदायकम' विश्वास से फल मिलता है। मैं रामेश्वरलाल जी से कहना चाहता हूं कि ठंढे दिल से आप सोचें। भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा हतो कुंजरों वानरोवा। तो आज वह पोलिटिक्स हमारे देश को नहीं है। आज हमारे सामने पूज्य बापू जी का चित्र है जिसने अंग्रेजों से कह दिया कि हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं। हम नानवायलेन्स से अपना आन्दोलन करेंगे और कानून तोड़ेंगे और जेल जावेंगे। यही हमारे देश का सिद्धांत है और आज भी हमारे देश के बड़े-बड़े लीडर उस पर चल रहे हैं। सारा संसार आज उसी पर आने के लिये तैयार है। संस्कृत की यूनिवर्सिटी खुल रही है तो खुशी से कह दीजिये कि सबके लिये हो। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हिन्दी में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। सरकार ने एक आर्डिनेन्स निकाला है कि इम्पोरेरा लोग इम्तिहान न दें। सरकार इसे रद्द करे नहीं तो इसका प्रतिफल बहुत बुरा होगा। बहुत गरीब लोग मुल्क में हैं। कोई ५० रुपये का और कोई १०० रुपये का क्लर्क है लेकिन वह चाहता है कि मैं अंग्रेजी संस्कृत और हिस्टरी का विद्वान बनूं। आप उसे पढ़ने दीजिये। हमारे देश के विद्वान पत्ते खाकर और तपस्या करके पढ़े हैं। पाणिनी और चाणक्य ने जंगलों में बैठकर तपस्या की। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कमियों को दूर किया जाय। संस्कृत को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। संस्कृत में कोई जातपांत का प्रश्न नहीं है।

मेरे मित्र ने कहा कि इसमें जाति-पांति का स्लोगन लगता है लेकिन ऐसी बात नहीं है जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार वह तरक्की करता है। एकलव्य ने मूर्ति बनाकर ही धनुष बाण चलाना सीख लिया और पूरा पंडित बन गया। व्हेयर देअर इज ए विल देअर इज ए वे। चाहे रिजरवेशन रहे या न रहे जो मेहनती है जिसमें बुद्धि है वह आगे अवश्य बढ़ जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इसका माननीय राजनारायण जी ने विरोध किया। विश्वविद्यालय खुलेगा आपका नाम रहेगा, आपके बच्चे पढ़े हमको तो सफर करके जाना होगा। मैं रामेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं कि हमारे लिये कोई रुकावट नहीं है। मैं एक हरिजन मेंबर की हैसियत से कहना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस गवर्नमेन्ट पर विश्वास है, उसने हमें विश्वास दिलाया है। वे हमारे बच्चों की यथाशक्ति मदद करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। हमको साइकोलोजिकली आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बनारसीदास जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कहा कि हरिजन हरिजन का हाथ पकड़ कर न उठायेगा तो कौन उठायेगा? हम ईमानदारी से कहते हैं कि हम इस देश के शुभचिन्तक रहे हैं और आज भी हैं। मुझे कोई चिन्ता नहीं है। वर्तमान मनु मौजूद है--डाक्टर अंबेदकर जिसने भारत का विधान बना डाला फिर हम अपने को चमार कहने से क्यों गुरेज करें। मैं जब कहीं जाता हूं तो बिना हिचक कहता हूं कि मैं चमार हूं। मैं इस योग्य हूं कि कुछ कर सकता हूं और करता हूं। हमारे देश में आज जाग्रति है। इतिहास बताता है कि कांग्रेस के लोगों ने पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्र से कहूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

*श्री शारदाबख्श सिंह (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है और जिस भावना से किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज हमारे देश में अछूत वर्ग एक कलंक की तरह समाज में विद्यमान है। यह सभी जानते हैं कि हरिजन और स्त्री वर्ग को हर प्रकार से प्रोत्साहन देकर, शिक्षा की सुविधा देकर समान स्तर पर लाया जाय और इसीलिये आज सदन के समक्ष यह चीज प्रस्तुत की गयी है। यह सही है कि कांग्रेस सरकार द्वारा अछूतों को संविधान में और वैसे भी राजनैतिक संरक्षण देकर तथा अन्य सुविधायें देकर यह कार्य किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने यह विचार व्यक्त किये कि अछूत वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से सविधा दी जा रही है और देते रहेंगे चाहे वे सविधायें जो वे प्राप्त करते हैं वे कानून के रूप में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा बख्श सिंह]

प्राप्त हों या न हों। कोई भी इस बात से तो इंन्कार नहीं कर सकता कि उनको सुविधायें दी जा रही हैं लेकिन इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उनसे राजनैतिक लाभ उठाया जा रहा है। उसके द्वारा दिखाया जाता है कि उनके ऊपर कृपा की जा रही है। आज उसी का फल है कि आज कांग्रेस की कृपा को समझने वाले ऐसे लोग कहते हैं कि हम पत्थर को भगवान नहीं मानते। नेहरू जी और पंत जी को भगवान मानते हैं। इसलिये आज कांग्रेस सरकार अछूतों को सुविधा दे कर राजनैतिक लाभ प्राप्त करने का व्यवसाय कर रही है और लोगों में यह भावना पैदा करती है कि वह उसी प्रकार से उन पर कृपा करती है जिस प्रकार से भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। हम भी चाहते हैं कि अछूतों को लाभ होना चाहिये, उनको विशेष सुविधायें होनी चाहिये लेकिन वह कानून में आनी चाहियें। जिससे कानूनन वह उस अधिकार को प्राप्त कर सकें और कृपापात्र बनने के लिये उनको प्रयत्न न करना पड़े और इस प्रकार से उनको किसी का दास न होना पड़े।

कौन यह नहीं जानता कि कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं उन्हीं को सुविधायें दी जा रही हैं और जो लोग कांग्रेस से अलहदा हैं उनके बीच में अड़ंगे लगाये जा रहे हैं। सुविधायें देकर अपने दल के रूप में लाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिये कि कोई सरकार अछूतों से इस प्रकार अनुचित लाभ न उठा सके यह आवश्यक है कि कानून द्वारा यह अधिकार प्राप्त कराया जाय। अगर कोई उनको वह अधिकार न दे तो कानूनन वह उन अधिकारों को प्राप्त कर सकें। यदि शिक्षा मंत्री जी का यह विचार है कि अछूतों को विशेष सुविधायें होनी चाहिये तो फिर कानून द्वारा शिक्षा मंत्री जी उनको यह सुविधायें क्यों देना नहीं चाहते? अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका स्पष्ट अर्थ यही है कि कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि जिसको वह अपना कृपापात्र चाहे बनाये और जिसको न चाहे न बनाये। आज हम जानते हैं कि अछूतों को समान स्तर पर लाने के लिये उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। अशिक्षा के ही कारण वे पिछड़े हुए रहे हैं इसलिये उनको शिक्षा के लिये विशेष सुविधा दी जानी आवश्यक है। यदि हम उनको शिक्षित कर दें अन्य समाज के समान उनको शिक्षित करके समान अधिकार प्राप्त करा दें तो फिर उन पर कृपा करने की कोई आवश्यकता ही न रहेगी। इसके लिये आवश्यक है कि अछूत वर्ग को कानूनन अधिकार दीजिये, अपनी सारी शक्ति समेट कर उनकी मदद कीजिये। परन्तु एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के सम्बन्ध में माननीय राज नारायण जी ने जो भाव व्यक्त किया है उससे मैं बिलकुल असहमत हूं। उन्होंने यह बात कही है कि उसके उद्देश्य में यह लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिये इस विश्व-विद्यालय की स्थापना हो रही है और उन्होंने इस प्रकार यह विचार व्यक्त किया है कि भारतीय संस्कृति में हमारे अछूतों के प्रति अन्याय करने की भावना रही है। यद्यपि मैं समझता हूं कि जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान है वे इस बात को मानेंगे कि हमारी संस्कृति में उद्देश्य और विचारों की सहिष्णुता और उदारता विशेष रही है। आज हम इस संस्कृति पर गर्व करते हैं कि भारत देश की अपनी संस्कृति संसार के लिये एक देन है और उस संस्कृति को अपना कर आज संसार के जितने भी देश हैं जो एक दूसरे के साथ सहिष्णुता के साथ रह सकते हैं उनके लिये एक आदर्श संस्कृति है। हम तो इसमें अपना गौरव समझते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक संस्कृति के लिये सहायक हो सकती है और इस रूप में शिक्षा मंत्री जी ने भी बतलाया है कि वे भी चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि शिक्षा के आधार पर हमें वर्ग समाप्त करने चाहियें। बहुत से ब्राह्मण और भंगियों की क्या-क्या बात उन्होंने कह डाली। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब अपने को भंगी कहें ताकि संस्कृत विद्या के द्वारा सारी अछूत जाति को समान उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो सके। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो अछूत हैं वे भी ब्राह्मण बनें इस प्रकार से अच्छे से अच्छे हो जायं। ताकि उनको समान अवसर मिले और इस तरह सब के सब ब्राह्मण बन जायं न कि सब ब्राह्मण भंगी बन जायं। क्योंकि उसमें असमानता का कोई सवाल नहीं है। जो भी

विद्वान् है, जो भी शिक्षा ग्रहण करता है उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। इसलिये यह बातें कहना कि जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब को अछूत बनाया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहना कोई उचित नहीं है।

दूसरी बात जो उन्होंने ब्राह्मण भंगी आदि जातियों की बात कही हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से वर्णाश्रम का एक विशेष स्थान रहा है जिसके अनुसार कुछ वर्ग बने हुए थे और उसी के अनुसार काम की व्यवस्था भी की गयी थी जिससे कुछ विभक्तता मालूम होती है। हमारे आश्रम इस प्रकार के बने हुए हैं जिसके द्वारा एक प्रकार की एकता और एकात्मकता उत्पन्न होती है। पहले ब्रह्मचर्याश्रम में २५ वर्ष की अवस्था तक के विद्यार्थी चाहे वे किसी भी जाति के हों हर एक साथ-साथ रह सकते थे जिससे उनमें एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होता था जिससे हम अपने राष्ट्र की संस्कृति में एकता और एकात्मकता ला सकें। उसके द्वारा व्यापक दृष्टि की भावना व्यक्त होती है। इसी तरह से सन्यासाश्रम में समाज की सेवा करते हुए समाज कल्याण की भावना से काम करने का प्रयास किया गया इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मतलब यही है कि प्राचीन परम्परा के अनुसार सब को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दे सकें। जिस तरह से प्राचीन परम्परा के अनुसार सबको चाहे वह अछूत हो या ब्राह्मण हो किसी भी वर्ण का हो उसे चाहिये कि वह अपनी संस्कृति का अपनी भाषा का अध्ययन करे। एक बात यह कही गयी कि मुसलमान विद्यार्थियों को भी इस विश्वविद्यालय में स्थान देना चाहिये। हम तो इस बात की प्रशंसा करते हैं कि चाहे कोई मुसलमान हो या चाहे किसी भी वर्ग का हो सब की इस देश के अन्दर एक संस्कृति और एक भाषा होनी चाहिये जिससे हिन्दू मुसलमान सभी एक उद्देश्य को लेकर इस देश में खड़ा हो सकें। हम तो बराबर मुसलमान भाइयों को भारतीय राष्ट्र में भारतीय परम्पराओं को समझने की कोशिश करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि वे संस्कृत विद्या का पठन-पाठन करें तो यह बहुत उचित ही होगा। इस शब्दों के साथ में यह प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को माननीय शिक्षा मंत्री जी मान लें, तो अच्छा हो।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैंने दो एक बार चेष्टा की थी कि मैं उठकर इस संशोधन के विरोध में दो तीन बातें निवेदन कर दूं, सम्भव है उससे कुछ सफाई हो जाय, लेकिन कुछ ऐसा क्रम रहा कि मैं इससे पहले कुछ निवेदन न कर सका। मुझे बड़ा दुख हुआ यह देख कर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो इतना अच्छा बिल पेश किया है उससे कुछ राजनैतिक और अनुचित लाभ उठाने के लिये ऐसी बातें सदन के सम्मुख कही गयीं जिन का इस बिल और इसके साथ ही इसके इस खंड से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। आप जिस समय सदन में नहीं थे, जबकि अनायास काशी, विश्वनाथ के मंदिर, हरिजन प्रवेश और न जाने कौन-कौन सी आसमान और जमीन से चीजें लाकर इस संशोधन से मिलाने की चेष्टा की गयी। इस विधेयक का जो उद्देश्य था उसके विषय में इस सदन में कोई ऐसा नहीं है जो उससे परिचित न हो और जिसको इस चीज की जानकारी न हो लेकिन मौके बेमौके राग अलापने की बात कायम है और रहेगी। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं वह विषय तो ऐसा है जिसके सम्बन्ध में पहले उस शब्द पर ही विचार करने के बाद सम्भवतः धारणा अधिक अच्छी बन सकती होगी। अभी उधर से जिस महाशय ने विश्वनाथ जी के मंदिर आदि का जिक्र किया उन्होंने बार-बार संस्कृति का इतना उपयोग किया कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक संस्कृति से सम्बन्ध नहीं रखता वह एक नितांत दूसरा विषय है। हम तो यहां संस्कृत से सम्बन्ध रखते हैं और उसी पर विचार करने के लिये यहां इस समय उपस्थित हैं और हम उसकी परिपाटी से दूर भी नहीं जा सकते।

हमारे साथी ने अभी कहा और सही कहा कि जो कोई भी हमारे प्राचीन साहित्य और शास्त्रों से परिचित होगा वह कदापि यह कहने का साहस न करेगा कि इसमें कोई रूढ़िवादिता, जातिवाद और भेदभाव पैदा होता है और वह सब इतना खराब है कि इसको पढ़ने से समाज में दोष लगेगा। जिसने भी उनको पढ़ा होगा और अध्ययन किया होगा वह कदापि ऐसी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बात न कहेगा और यदि ऐसी बात होती तो जो बड़े महापुरुष जो सनातनी भी नहीं थे जैसे स्वामी दयानन्द जी थे, उन्होंने भी उसका अध्ययन कर के कहा था कि शास्त्र खराब नहीं हैं, व्याख्या में दोष है। इसलिये रूढ़िवादिता का जो आक्षेप है वह गलत है और वह उनके न समझने के कारण है, जिसको वह समझे ही नहीं। ऐसी बात कहना कि संस्कृत पढ़ने वाले किन्हीं प्राचीन चीजों में फंसकर जातिवाद, जातिभेद या रूढ़िवादिता में फंसे रहते हैं या यह विद्या फलदायक नहीं है, यह सब बात कहने वाले आदमी की गैरजानकारी को साबित करती है। एक तरफ तो यह बात है और फिर यह भी कहा गया कि स्त्रियां संस्कृत नहीं पढ़ सकतीं और कहा गया कि हमारे यहां किसी जमाने में उनके पढ़ने की मनाही थी, मैं समझता हूं यह गलत बात है और यदि ऐसा होता तो मांडवी इतनी पंडित न पैदा होतीं और मंडन मिश्र को मुकाबिला करने के अतिरिक्त शंकराचार्य को उनकी पत्नी का भी मुकाबिला करना न पड़ता यह सब इतिहास की बात है। स्त्रियां हमेशा इस देश में पंडिता रही हैं और अब भी बहुत विद्वान् स्त्रियां यहां मौजूद हैं। यह कहना कि स्त्रियां संस्कृत की ओर आकर्षित नहीं हैं या हरिजन संस्कृत की ओर आकर्षित नहीं हैं केवल यह कहना ही सही न होगा, जितना कि यह कहना कि और बहुत सी जाति के लोग ब्राह्मणेतर, संस्कृत की तरफ आकर्षित नहीं हैं।

विद्या की एक खास बात है, अर्थात् "अर्थ करीच विद्या" जिसकी एकनामिक वेल्यू हो जिसका उपयोग हो सके उसका आकर्षण कम होता है। परम्परा के अनुसार पुरोहित के काम के लिये, ज्योतिष के काम के लिये ऐसा समझा गया, और बहुत से कामों के लिये भी यही समझा गया कि ब्राह्मण ही उन कामों को कर सकता है और चूंकि ब्राह्मण ही इस काम को कर सकते हैं उन्होंने वह विद्या पढ़ी और लोगों ने उसमें प्रवेश करना कुछ आवश्यक नहीं समझा उनके लिये अर्थकरी न होने की बात थी। आज जब कि माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय का विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो वह इस विद्या को वास्तव में अर्थकरी बना देना चाहते हैं। इस विद्या को व्यापक और व्यवसायी बनाना चाहते हैं और इसके कूप मंडूकत्व को दूर करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह मिलान करना कि जाति भेदभाव के कारण ऐसा हुआ हो गलत बात है। मैंने निवेदन किया था कि संस्कृत कालेज में पहले जो आचार्य हुआ करते थे बहुत दिनों तक प्रायः यूरोपियन होते थे और ये योरोपियन दकियानूसी ख्याल के होंगे, बहुत पीछे ले जाने वाले होंगे यह भी शायद वही कह सकते हैं जो कि जानबूझ कर इस सदन के सामने कुछ सही बात न कहना चाहते हों। इस विषय के बीच में यह बात ला देना कि बनारस के मंदिर में क्या हो रहा है वह अनुचित बात है। मैं भी बनारस का रहने वाला हूं। कहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है यहां उन चीजों को लाने की जरूरत नहीं है।

मैं अपने उन माननीय साथी से, जिन्होंने एक नयी बात कही, निवेदन करना चाहता हूं कि यह कैसे कोई कह सकता है, पढ़ा लिखा समझदार आदमी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हीं हरिजनों के लिये कुछ किया है जो हरिजन कांग्रेस की विचारधारा रखते हों। यह ऐसी बात कि अगर किसी के सामने कही जाय तो प्लेटफार्म पर तकरीर करने पर तो किसी को कुछ जचे और रुचे लेकिन जो नियम और विधान को जानता है उसे नहीं। प्रत्येक हरिजन विद्यार्थी जो शिक्षा पाता है मुफ्त में तो क्या उससे पूछा जाता है कि तुम किस विचारधारा के हो ? जब हरिजन विद्यार्थी को पुस्तकों के लिये दाम मिलते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम किस विचारधारा के हो ? ६ विद्यार्थियों पर एक हरिजन विद्यार्थी होना चाहिये तो क्या पूछा जाता है कि तुम किस विचारधारा के हो ? ऐसी बात न तो है और न हो सकती है। ब्योरे में कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें कहा जाय कि इसमें और अधिक करना चाहिये, कुछ न भी हो सका हो। एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ था उसको जितना ऊंचा उठाया जाना चाहिये उठाया जाय, जो अधिकार उनको मिलते हों मिलने चाहिये और यह कहना कि जानबूझ कर कांग्रेस ने केवल कांग्रेस विचारधारा के हरिजनों के लिये कुछ किया है यह केवल ऐसी बात है जो इस सदन की मर्यादा के लिये शोभा नहीं देता। डी० ए० वी० कालेज इत्यादि

का जिक्र किया गया कि जहां कुछ ऐसा भेदभाव होता रहा होगा जरूर होता होगा लेकिन कालेज के अध्यापकों की तरफ से, शासन की तरफ से नहीं होता। विद्यार्थियों में कुछ लोग हो सकते हैं जो एक बात चाहते हों लेकिन दूसरे वह न चाहते हों। हरेक चीज की गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी लाद देना ऐसी बात है जो उचित नहीं है। यह हिन्दू धर्म की खासियत है, यह उसका बड़प्पन है कि दस आदमी एक जगह पर बैठे हों तो यह पता नहीं चलता कि कौन किसका उपासक है, किस संस्कृति का है, किस के मन में क्या व्याप्त है।

कुछ यह व्यापकता है। लेकिन सदन में किसी साहब का यह कहना---जो समाजवाद का बहुत बड़ा ज्ञान रखते होंगे---मेरे ख्याल में जितना रखते हैं मैं ही समझता हूं---कि मनु ने किसी सभा में व्यवहार की बाबत बतलाया है पर यह नहीं कहा कि मनुस्मृति में और कितनी बातें हैं जिनमें से यदि एक भी वह याद रखते तो समाजवाद का ही कल्याण नहीं होगा, उनका भी बड़ा भारी कल्याण होता। शास्त्र का ही वचन है कि "शुनिचैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः"। हमने यह नहीं कहा कि ऐसे वाक्यों को निकाल दो, इस चीज को पढ़ो नहीं। मनु ने किसी सभा के लिये क्या कहा उसे उन्होंने कहीं पढ़ लिया और उसे यहां कह दिया---ऐसी चीजें कहने से लाभ नहीं होता। यदि इस हरिजन समस्या को दूर करना है तो इस प्रकार के विशिष्ट अधिकारों को मांग करने से शिक्षा का स्तर नीचे गिर सकता है और संस्कृति के वाङ्मय पर दोष छा सकता है और जिस तरह से संस्कृत कालेज को पनपाना चाहते हैं उसमें संस्कृत के विपरीत आघातमय कार्य हो सकता है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को बेकार का एक राजनीतिक प्रचार का विषय बना लेना नितांत अनुचित बात है और कदापि ऐसे मामलों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ऐसा आघात नहीं करना चाहिये जिससे लोगों की ऐसी भावना हो कि प्राचीन भारतीय सभ्यता बड़ी गलत थी और अब नये जमाने के नये नौजवान पैदा हुए हैं वे एक ऐसी सभ्यता बना रहे हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। सभ्यता के गुण और दोष समय के अनुसार बनते बिगड़ते हैं लेकिन जो उसकी प्राचीन नीव है वह इतनी दृढ़ है कि उसी के कारण आज भी भारतीय सभ्यता न केवल पवित्र है बल्कि सम्पूर्ण संसार की सभ्यताओं के ऊपर सिरमौर है, आदर्श है।

*श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को पढ़ा और इसके समझने की कोशिश की। लेकिन मैंने यह समझा कि यह संशोधन जो संशोधक की मनोभावना है उस प्रकार से नहीं लिखा गया। यह संशोधन चाहता है इस प्रकार की कन्डीशन्स पैदा की जायं जिसमें हरिजन छात्रों को विशेष सुविधा हो। उस यूनीवर्सिटी में संस्कृत पढ़ने की। हमारा भी तजुर्बा यह है और मैं समझता हूं संशोधक महोदय का भी यह तजुर्बा होगा कि विद्या किसी भी सुविधा से लादी नहीं जा सकती। विद्या तो अन्दर से स्फुरन हो कर, अपने मन में उस प्रकार की जागृति करके ही प्राप्त की जा सकती है। मुझे ख्याल आया अपने लड़के का। एक ही लड़का है मेरा उसका नाम है रवीन्द्र नाथ और मैथेमेंटिक्स में बावजूद इसके कि मैं ट्यूटर रखता हूं, बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन आखिर जब नतीजा निकलता है तो सिफर आता है। और मैं जब पढ़ता था तो अर्थमेटिक में कभी ऐसा मौका नहीं हुआ हाई स्कूल तक जब ५० में ४९ से कम नम्बर आये हों। जो सुविधायें मुझे तब हासिल थीं आज उसके बजाय उसको ज्यादा सुविधा दे रहा हूं फिर भी लड़के का सिफर आता है। तो यह जो पढ़ना है यह तो मैं समझ सकता हूं आप यह संशोधन करें कि हरिजनों को भी वही सुविधायें हों जो किसी और को प्राप्त हों। किसी प्रकार की असुविधा हरिजन छात्र को संस्कृत पढ़ने में नहीं होनी चाहिये। यह मुनासिब संशोधन होगा और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई संशोधन हो तो शिक्षा मंत्री उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर आपको यह भय है कि कोई उस संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने में असुविधा होगी तो आप यह संशोधन रख सकते हैं कि उसमें हरिजन छात्रों को पढ़ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये उनको भी बराबरी के अधिकार प्राप्त होने चाहिये। लेकिन इस प्रकार का संशोधन जैसा कि इस प्रकार रखा गया है मेरे दृष्टिकोण में व्यावहारिक रूप से कतई तौर पर अव्यावहारिक है।

हमारे भाई जो इस वक्त अपोजीशन में हैं या हमारे माननीय सदस्य जो इधर बैठे हैं उनको सब प्रकार की सुविधा इस प्रकार की है कि यदि वे किसी विद्या को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जरा हम लोग सोचें कि हम में से कितने ऐसे हैं जिनको सब सुविधा प्राप्त होते भी संस्कृत विद्या क्यों हमने नहीं प्राप्त की? जिसकी जिस ओर रुचि होती है वह उस विद्या को प्राप्त करता है। मैंने अपने लड़के की बात बतायी। अब मैं अपनी स्त्री की बात करता हूं। मेरी स्त्री को हर प्रकार की रुकावट इस बात की रही मैके में और ससुराल में कि किसी स्कूल में न पढ़ें। लेकिन उन्होंने प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य संस्कृत में पास किया, उनको जिद है पास करने की और मैं पास नहीं कर पाया। तो किसी प्रकार की सुविधा दे कर आप किसी विद्या को पढ़ा देंगे यह मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर गलत है। विद्या रुचि से आती है, उस काम में पड़ने से। तो इस प्रकार से मेरी समझ में जो संशोधन आया हुआ है यह निरर्थक है और मैं समझता हूं जिस प्रकार का मैंने सुझाव दिया है उस प्रकार से वह अपने संशोधन को परिवर्तन कर लेंगे कि हमारे हरिजन छात्रों को उसमें उस प्रकार की सुविधा होनी चाहिये जिस प्रकार कि और छात्रों को है। एक बात मैं मानता हूं।

हमारे माननीय मिस्टर सिंह जी ने कहा कि इस वक्त राजनैतिक दांवपेंच चल रहे हैं, यह बात बिलकुल सही है। एलेक्शन पास है और ऐसे मौके पर कोई बात ऐसी कहनी चाहिये जिससे चुनाव में अपना मैदान तैयार हो जाय। यह मैं समझता हूं। इसका बहुत अच्छा मौका है और यह संशोधन इसके लिये बहुत ही मुनासिब है क्योंकि हरिजनों के वोट इस सूबे में काफी हैं और अगर यह संशोधन पेश किया जाता है तो यह समझा जायगा कि भाई यह तो हमारे माफिक हैं और यह बाकी हमारे माफिक नहीं हैं। लेकिन यह बात बहुत अच्छी है। अभी हमारे भाई जो पहले लीडर आफ दी अपोजीशन थे और आजकल राजनारायण सिंह जी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जितने ब्राह्मण और क्षत्री हैं उन सब को भंगी लिखना चाहिये अपने को। हमारे लिये यह निहायत खुशी की बात है। हमको वह सब अधिकार प्राप्त हो जायंगे जो कि आज हरिजनों को प्राप्त हैं। लेकिन इससे हरिजनों का बहुत नुक्सान हो जायगा क्योंकि कम्पीटीशन में या नौकरियों में जो आज उनकी सीटें मिल जाती हैं वह नहीं मिल सकेंगी। तो राजनारायण सिंह जी की बात तो हरिजनों के लिये निहायत कुठाराघात साबित होगी। इसलिये मैं तो नहीं समझ पाता कि भाई राजनारायण सिंह जी हरिजनों के हिमायती हैं या अपने हिमायती हैं। उदाहरण जो उन्होंने पेश किया है वह तो ठाकुर साहबान के लिये या पंडित साहबान के लिये ज्यादा मददगार होगा।

तो मैं आप से अर्ज कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष जी, कि यह जो संशोधन आया है वाकई यह बड़ा अच्छा एक पोलिटिकल स्टंट है। लेकिन जो बातें कही गयी हैं वह ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। सच्चाई वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। बात यह है कि इस तरफ जो सरकार ने जितने उद्योग एक के बाद दूसरे किये हैं जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है इधर से भी और उधर से भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर किसी बारे में सब से अधिक एक मत रहा है तो वह इसी सवाल के बारे में रहा है। इस सरकार ने या इस सरकार से पहले जो कांग्रेस संस्था रही है उस संस्था ने जिस प्रकार से सामान्य रूप से हरिजनों की उन्नति के लिये उद्योग किया है, अभी हमारे भाई ने उनके लिये कहा था कि वह कलंक या अभिशाप के रूप में हैं, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह इस प्रदेश में, इस समाज की रीढ़ हैं। गांव सभाओं में जा कर आप देखें जहां हरिजन रहते हैं वहां वह गांव सभाओं के प्रधान हैं और बड़े-बड़े राजे साहबान जो उस गांव में रहते हैं वह उसके साधारण सदस्य दिखाई देते हैं।

उस सारी स्थिति की कायापलट हो गई है। आज कोई हरिजन गर्दन नीचे कर के नहीं चलता। वह भी साधारण नागरिकों के समान अकड़ कर गर्दन उठाकर अब चलता है। इसलिये यह संशोधन जो है मैं अपने भाई मिस्टर सिंह से सहमत हूं कि यह सारा पोलिटिकल स्टंट है और असल में यह संशोधन हरिजनों के खिलाफ है इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय, बड़े गौर से मैंने अपने संशोधन के पक्ष और विपक्ष में जो भाषण हुए उनको सुना। मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जो हमारे संशोधन के पक्ष में अपना विचार प्रकट किये हैं और मैं उन माननीय सदस्यों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसे पोलिटिकल स्टंट कह कर नजरअन्दाज करने की चेष्टा की है। श्रीमन्, मैंने पहले आखीरी भाषण जो माननीय दीक्षित जी का हुआ है उसकी चर्चा कर देना आवश्यक समझता हूं। आपने अपने परिवार का इतिहास सदन के सामने रख दिया। शायद यह पहला मौका होगा जब अपने लड़के और स्त्री के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने सदन में बातें कही हों और विज्ञापन किया हो। यह पहला मौका है जब कि पोलिटिकल स्टंट का खिताब देने वाले हमारे साथी अपने परिवार की सारी बातें यहां सदन में कह गये। आपने कहा कि सुविधा का कोई भी असर नहीं पड़ता है शिक्षा पर और प्रमाण में आप ने कहा कि मेरा लड़का बावजूद इसके कि मैं उसको बड़ी सुविधा देता हूं फेल कर गया और मेरी स्त्री जिसको कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी लेकिन मध्यमा, शास्त्री और आचार्य क्या-क्या पास कर गयी। श्रीमन्, केवल एक लड़का पैदा करने की सुविधा यदि वह न दिये होते और एक दर्जन लड़के पैदा किये होते तो मध्यमा और आचार्य क्या कोई और निम्नता का दर्जा होता तो भी उसको वह पास न कर सकती होती। तो मैं कहना चाहता हूं कि सुविधा आप ने दिया, लेकिन आप के पास ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते कि सुविधा क्या है। इसको समझने की आप ने कोशिश नहीं की, वर्ना वह नहीं पास कर सकती थी इतने प्रतिबन्ध के बाद तो यह तो द्योतक है आप ने जो भाषण दिया कि आप चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा न हो, और मैंने संशोधन में रखा है कि स्त्री शिक्षा दी जाय। तो कैसे मैं यह विश्वास कर सकता हूं श्रीमन्, कि आप मेरे इस संशोधन के पक्ष में अपना विचार देंगे। वह तो स्त्री का साहस है कि उसने आप के प्रतिबन्धों को लाद कर समाज में अपनी बुद्धि की प्रखरता का परिचय दिया।

मुझे सब से बड़ा आश्चर्य तो शिवनारायण जी के भाषण को सुन कर हुआ। मुझे एक घटना याद आती है --शिवनारायण जी सदन में मौजूद हैं, वह काट नहीं सकेंगे। एक बाई-एलेक्शन के सिलसिले में वह देवरिया गये थे और उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि वह हमारे जिले के एक गण्यमान्य कांग्रेसी नेता के घर गये तो प्लेट में उनको खाना मिला, थाली में नहीं मिला, सदन में भाषण तो वह कुछ भी दे सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इच्छा रहते हुये बाहर शिकायत करना और यहां सराहना करना क्या यह पोलिटिकल स्टंट नहीं है। दिल में तो यह भावना कि हरिजन को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है और सरकार उचित व्यवस्था हरिजनों के लिये नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है तो सदन में इस तरह का भाषण देना यह उनका पोलिटिकल स्टंट है या हमारा है? मुझे सब से बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिवनारायण जैसे आदमी जो बी० ए० की परीक्षा तीन चार वर्ष से लगातार दे रहे हैं वह कहते हैं कि पंत भगवान हैं, नेहरू भगवान हैं और मैं भगवान को नहीं मानता।

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैंने यह कहा था कि जो जिन्दा है, कुछ दे सकता है उसे भगवान समझता हूं, पत्थर को नहीं समझता हूं। आप समझे नहीं।

श्री रामेश्वरलाल--तो इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री उपाध्यक्ष--यह प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन उनका था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। श्रीमन्, वह यह है कि माननीय रामेश्वरलाल जी बोल रहे हैं, आप ने इनको बैठने का आदेश नहीं किया, कहा भी नहीं और सम्मानित सदस्य खड़े हो कर अपनी तकरीर भी कर गये। यह उन्होंने अवैध कार्य किया है। आप उनको माफ कर दें, आप कोई कार्य करें यह मैं नहीं चाहता। सदन की मर्यादा की आप रक्षा करें।

श्री रामेश्वरलाल---मैं शिवनारायण जी की तरफ से प्रार्थना करूंगा कि आप उनकी ऐसी हरकतों को माफ करेंगे। श्रीमन्, शिवनारायण जी ने दो परस्पर विरोधी बातें कहीं---वह तो हमेशा कहा करते हैं, लेकिन मैं उनकी आज की बात के लिये यह कहना चाहता हूं कि एक बात तो उन्होंने व्यक्तिवाद की पूजा करने का रास्ता बताया और नेहरू और पंत को भगवान कहा और यह कहा कि देश का शासक नेहरू है और साथ ही यह भी कहा कि आज डेमाक्रेसी की सरकार है। मैं श्रीमन्, नहीं समझता कि उनके इस विरोध का क्या असर हम पर होगा या शिक्षा मंत्री जी पर होगा। मैं समझता हूं कि उनके विरोध का असर माननीय शिक्षा मंत्री जी पर कुछ नहीं होगा और उनका भाषण हमारे संशोधन के समर्थन में समझा जायगा, ऐसा वह समझेंगे और सदन भी समझेगा।

श्रीमन्, माननीय नवल किशोर जी ने और माननीय अवधेश प्रताप जी ने तो यह कहा कि इनफीरियारिटी कम्पलेक्स का द्योतक है। अब मैं क्या कहूं। मैं यह समझता हूं कि जितने भी सदस्य इस हमारे संशोधन के विरोध में बोल रहे हैं वह सब इनफीरियारिटी कम्पलेक्स से डर रहे हैं। वह जानते हैं कि यह संशोधन विरोधियों द्वारा आया है और अगर यह स्वीकार हुआ तो उसका असर तो होगा ही.....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। संशोधन की जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---मैं समझता हूं। श्रीमन्, मुझे आप से यह निवेदन करना है कि जितने भी विरोध में सदस्य बोले, देवदत्त जी कह रहे हैं कि कांस्टीट्यूशन में है और मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि विद्यार्थियों को, जो हरिजन हैं उनको सुविधा और किताबें मिलती हैं। माननीय शिवनारायण जी, पिपल जी और उधर के बैठने वाले हरिजन सदस्य आये दिन कहते रहते हैं कि सरकारी नौकरियों में १८ प्रतिशत जो हरिजनों को मिलनी चाहिये वह हरिजनों को प्राप्त नहीं हो रही हैं। मंत्रियों की ओर से बराबर इसका यह जवाब मिलता है कि योग्य व्यक्ति हरिजनों में प्राप्त नहीं हुये हैं। मैं चाहता हूं कि बनारस में जो कारखाना शैक्षिक खुल रहा है उसमें योग्य व्यक्ति पैदा किये जांय। जब मैं कहता हूं कि योग्य मस्तिष्क पहुंचे तो शिवनारायण जी कहेंगे कि यह तो पोलिटिकल स्टंट है। मैं कहना चाहता हूं और आप को यह मानना पड़ेगा कि संस्कृत साहित्य पर एक जाति का प्रभुत्व रहा है। १५वीं सदी में जब पंडितों और मुल्लाओं के खिलाफ विद्रोह हो रहा था उस समय यहां के राजे महाराजे तथा मठाधीश आदि शिक्षा दे रहे थे कि राजा पिता है उसका विरोध मत करो। धर्म की हजारों पुस्तकें लिखी गयी हैं जिनमें प्रमाण दिये जा सकते हैं कि राजा ईश्वर तुल्य है, पिता तुल्य है।

श्रीमन्, आज हम यह कहना चाहते हैं कि बीसवीं सदी के युग में जो शिक्षा पहले दी गई थी और यह बतलाया गया था कि राजा ईश्वर के समकक्ष है और इस तरह की बहुत सी बातें कही गई थीं और इस तरह से लोगों को कुमार्ग पर ले जाया गया तो उसको सुमार्ग पर लाया जाय और हम चाहते हैं कि जो पिछड़े हुये हैं वह आगे आयें और उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में हो।

श्रीमन, मैं परिपूर्णानन्द जी के कथन से सहमत हूं कि पुरोहिती करने वाले लोगों ने शिक्षा पर अधिकार किया, वह पढ़े क्योंकि उसका अर्थ से संबंध था। लेकिन मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं आप के द्वारा कि संस्कृत पढ़ने वालों ने एक व्यवस्था यह बना दी कि दान लेने का हक सिर्फ ब्राह्मण को है और दान से ही संस्थायें

चलती थीं तो जिन लोगों को दान लेने का हक था, उन लोगों ने इन संस्थाओं में जा कर शिक्षा प्राप्त करना शुरू की और दान के टुकड़ों पर शिक्षा प्राप्त की। हरिजनों को दान लेने का अधिकार नहीं था इसलिये उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ। यही कारण है कि पिछड़ी जाति के लोग तथा हरिजन संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने नहीं गये। समाज ने प्रतिबंधात्मक कानून बना कर उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया। इसलिये आज जरूरी है कि उनमें संस्कृत की शिक्षा हो और वह अपने देश की संस्कृति और संस्कृत साहित्य और उसके साथ-साथ और भी चीजों का ज्ञान जो साहित्य में भरा पड़ा है, उसको वह अध्ययन कर सकें। इसके लिये हमने रखा है स्त्री और हरिजन यें जो लोग हैं उनके लिये विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार करे। विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था से मेरा मतलब है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क हो, उनके लिये पुस्तकों की व्यवस्था निःशुल्क हो, उनकी पढ़ाई निःशुल्क हो। श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इस सदन में कि वे जितने भी हरिजन विद्यार्थियों को लाकर कहेंगे कि उनको भर्ती करा दो, मैं भर्ती करा दूंगा। लेकिन मैं उनसे बड़े अदब से पूछना चाहता हू कि क्या शिक्षा मंत्री जी हमेशा हमारे शिक्षा मंत्री रहेंगे? यह सवाल उठता है कि आज जो आश्वासन शिक्षा मंत्री जी ने दिया है ७-८ महीने के बाद क्या वे यह आश्वासन देने के योग्य रहेंगे? हो सकता है रहें और यह भी हो सकता है कि न रहें। आज शिक्षा मंत्री हैं कल पुलिस मंत्री हो जायं। तो हम क्यों उनके आश्वासन पर जो महज एक मुगालते में डालने वाली बात है भरोसा करें? और फिर, जब शिक्षा मंत्री जी यह आश्वासन देते हैं तो उनको विधेयक में इसे जोड़ लेने में क्या आपत्ति है आपत्ति की बात एक ही है कि यह संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से आया है। मैं कहता हूं कि विरोधी पक्ष को जाने दो, मैं इस संशोधन को देने के लिये तैयार हूं किसी भी उधर बैठने वाले सदस्य के नाम पर ही इस संशोधन को आप स्वीकार कर लीजिये। यह बहुत आवश्यक संशोधन है।

माननीय रणंजय सिंह जी चले गये। उन्होंने तो चैलेंज दिया जैसे आर्यसमाजी दिया करते हैं। सुना है कि आर्य प्रतिनिधि मंडल के वे कभी सभापति थे और दयानन्द मंडल ऐसे नाम की कोई संस्था है उसके मातंड या सभापति हैं। चैलेंज क्या था यह बात तो मेरी समझ में नहीं आयी लेकिन अगर वे यहां होते तो मैं अदब से उनसे कहता कि आज भी आर्य समाजी जब तक उसका संस्कार नहीं कर लेगा तब तक उसके साथ बैठ कर खाना नहीं खायेगा। मैं प्रमाण दे सकता हूं और मैं उनको प्रमाण समझता हूं जो उन्होंने कहा कि मैं तो मानव समाज का कल्याण चाहता हूं। लेकिन एक आर्य समाजी मानव समाज का कल्याण तभी चाहता है जब वह आर्य समाजी बन जाय। अगर एक मुसलमान चाहे कि वह उनके साथ चाय पी ले तो वह उसके साथ तब तक चाय नहीं पियेगा जब तक वह अपनी विधि के अनुसार, वेदों के अनुसार संस्कार न कर ले।

एक सदस्य—यह गलत है।

श्री रामेश्वरलाल—मेरे मित्र कहते हैं कि यह गलत है। लेकिन जो शुद्धि आन्दोलन चला, यह मेरी जानकारी है और जहां शुद्धियां हुई हैं वहां मैं रहा हूं कि एक आर्यसमाजी जब तक उस को शुद्ध न कर ले वेद की रीति से तब तक उसका छुआ हुआ अन्न ग्रहण नहीं करता था। हमारे रणंजय सिंह जी और दीनदयालु शास्त्री जी का तो कहना है कि यह तो साम्प्रदायिक है और इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि राज्य तो राहत देना चाहती है, कानून बनाना चाहती है, संविधान में भी राहत दी हुई है, यह ठीक है। लेकिन समाज राहत देना चाहता है या नहीं सवाल इस बात का है। आज जिन लोगों का समाज पर प्रभुत्व है वे बराबरी के अधिकार देने में सकुचाते हैं। इसी सदन में ऐसे सदस्य हैं जो हरिजनों के हाथ का छुआ नहीं खाते हैं। कांग्रेस के मेम्बर शिप फार्म को देखिये, सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरशिप फार्म को देखिये, वहां छुआछूत और अस्पृश्यता का नाम तक नहीं है, लेकिन मेरा दावा है कि आज इस सदन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हरिजनों को छुला कर नहीं खाते हैं। तो फिर शंका

[श्री रामेश्वरलाल]

उत्पन्न होती है। और हमारी यह शंका करना कि अगर बनारस में यह विश्वविद्यालय खुला तो वहां पर जो ये बड़े-बड़े मार्तंड और विद्वान प्रिन्सिपल, अध्यापक और न जाने क्या-क्या बन कर बैठेंगे वे हरिजनों को प्रवेश नहीं होने देंगे बिलकुल ठीक है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय। यहां रणंजय सिंह जी नहीं हैं फिर भी मैं कहना चाहता हूं.....

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---मैं संदेशा पहुंचा दूंगा।

श्री रामेश्वरलाल---जरूर पहुंचा दीजियेगा। उन्होंने कहा कि वेद में कहां लिखा है कि छोटा बड़ा नहीं होता। विद्वानों ने समय-समय पर वेद की बड़ी व्याख्या की है, टीकायें लिखी गयी हैं। आर्य समाज के विद्वान् हैं जो मानते हैं कि मूर्ति पूजा का वेद में कहीं स्थान नहीं है लेकिन दूसरे हैं कि जो मानते हैं कि वेद में राम है, गंगा है, जाति व्यवस्था है, वर्णाश्रम है। दयानन्द आदि दूसरे विद्वान् हैं कि जो कहते हैं कि वेद में इसका चर्चा कहीं भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी इन समस्त विद्वानों का समिश्रण बने और वहां पर शिक्षा पायें वे लोग कि जिनके अन्दर इस प्रकार के अंकुर हों। चूंकि अंकुरों को आगे बढ़ाने की आज आवश्यकता है तो उनको क्यों न इसमें स्थान दिया जाय। मैं समझता हूं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि इसमें शिक्षा प्राप्त कर लें तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं उतनी कि जितनी एक हरिजन कर सकता है। अगर एक हरिजन उसमें शिक्षा प्राप्त करके निकलता है तो हो सकता है कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में हो और इसलिये मैं चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्रीमन्, जहां तक शिक्षा मंत्री जी के भाषण का सम्बन्ध है, आपने अपने भाषण में कहा कि एक बड़ा विचित्र सवाल उठता है कि चार यूनिवर्सिटी के बिल इस सदन में आ चुके हैं लेकिन सदन में कोई ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं किया। यह पूछा जा सकता है कि यह जो पांचवीं यूनिवर्सिटी का बिल आया है उसमें इस तरह का संशोधन क्यों आया। श्रीमन्, यह जो चार यूनिवर्सिटीज हैं वह आधुनिक शिक्षा का केन्द्र हैं जहां अंग्रेजी तथा और दूसरी भाषायें पढ़ायी जाती हैं, राजनीतिक आदि विषय भी पढ़ाये जाते हैं, लेकिन यह तो हमारा पहला प्रयास है और इसमें हमने यह देखा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संस्कृत अध्ययन का अधिकार समाज के पंडितों ने समाज के पिछड़े हुए लोगों को नहीं दिया है। आज एक भी हरिजन अध्यापक संस्कृत का आप बता दें। डाक्टर साहब हमारे उपमंत्री हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि देवरिया का एक विद्यार्थी है कि जो फर्स्ट आया है। मैं उन से जानना चाहूंगा कि उनके जितने रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूटशन्स हैं उन सब में हरिजन जाति के कितने अध्यापक हैं? यदि हों तो वह एक दो का नाम बताने की कृपा करें। पाठशालाओं में कितने हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं वह भी बतायें। यदि उनको जानकारी नहीं है तो पूछ लें। यह बात मैं उन के नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि शायद अंगुलियों पर गिनने काबिल आदमी भी उनको न मिलेंगे कि जो विद्यार्थी रहे हों। तो इसलिये इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हो कर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। एलेक्शन स्टंट या पार्टी प्रोपेगेंडा करने का इस संशोधन से हमारा मतलब नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हम यह संशोधन पास कर उन पिछड़े हुये लोगों को, उन गिरे हुए लोगों को, जिन को समाज ने नीचे गिराया है और जिसके लिये उचित वर्गीय समाज दोषी है, वह उनको अपना कर, उनके लिये एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था करके उनको शिक्षित करने का प्रयत्न करे। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। आशा है कि माननीय मंत्री जी सद्भाव पूर्वक इस संशोधन पर विचार करने की कृपा करेंगे।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी के उत्तर के भाषण के पश्चात् मुझे कहने का कुछ साहस तो नहीं होता लेकिन फिर

भी अभी कतिपय माननीय सदस्यों ने जो अपनी विचारधाराओं को सदन में व्यक्त किया है उस पर मैं एक बिहंगम दृष्टि डालना उचित समझता हूं। संकीर्णता किसी भी देश के लिये अभिशाप है और रहती है। इस तरह से संकीर्णता का अभिशाप जो हमारे देश में सदियों से व्याप्त है उसी संकीर्णता की भावना को प्रेरित करने के लिये इस बिल में जो संशोधन किया गया है माननीय रामेश्वर लाल जी द्वारा उसका मैं विरोध करता हूं। इस तरह का संशोधन आज से १०० साल पहले रामेश्वर लाल जी था उनकी पार्टी का कोई सदस्य अंग्रेजों के समय में लाये होते तो वह माना जा सकता था लेकिन हमारे देश में जहां पर जनतांत्रिक राज्य की स्थापना हुयी है वहां पर जनतांत्रिक भावना को प्रेरित करने के लिये और शिक्षा का जनता में प्रोत्साहन देने के लिये सरकार पहले से ही जागरुक है। इसी कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हुये बतलाया था कि जहां तक हरिजनों के विद्यार्थियों का प्रश्न है उनके लिये शिक्षा संस्थाओं में ६ विद्यार्थियों में एक हरिजन विद्यार्थी को जगह दी जायगी। इसी प्रकार से होस्टल में ६ विद्यार्थियों के पीछे एक हरिजन विद्यार्थी स्थान पायेगा। इस प्रकार से उनके लिये बराबर सुविधा रखी गयी है। इसके साथ-साथ उनको वजीफा भी दिया जाता है। उसकी फीस भी माफ है। उनको किताबों के लिये भी पूर्ण सहायता दी जाती है। तो जहां तक स्थान पाने का प्रश्न है सरकार इसके लिये जागरुक है, लेकिन जहां तक संकीर्णता की भावना जनता में प्रेरित करने का प्रश्न है किसी भी देश में इस तरह की भावना को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

अगर समाज वाद की ही भावना को लिया जाय तो रूस में इस तरह की भावना व्यक्त की गयी है। वहां पर मुसलिम और क्रिश्चियन दो जातियां हैं लेकिन आपस में दोनों के अच्छे सम्बन्ध हैं। लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है अगर इस तरह के संशोधन को हम मान लेते हैं तो हम समाज को संकीर्णता की तरफ ले जाते हैं। सरकार का यह लक्ष्य है कि देश में वर्गविहीन समाज की स्थापना हो। तो जब इस तरह का हमारा दृष्टिकोण है तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस संशोधन का विरोध करें। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है उनको हम रामेश्वर लाल जी की विचारधारा के अनुकूल नहीं मान सकते। यह संशोधन जो उपस्थित है इसको मैं विरोध करता हूं और चाहता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१०) के बाद उपखंड (११) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(११) हरिजन छात्रों एवं स्त्री छात्राओं के लिये एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था बनाना जिससे संस्कृत विद्या की अभिरुचि उनमें जाग्रत हो और संस्कृत शिक्षा के सीमित क्षेत्र की व्यापकता बढ़े।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७,

विपक्ष में—६४।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

संस्थाओं को सम्बद्ध करना।

५—विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र (territory) में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध (affiliate) कर सकता है और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को अभिज्ञात (recognize) कर सकता है तथा वहां के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय--

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा,

जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "सरकार" व "एतदर्थ" के बीच शब्द "संविधानानुसार" जोड़ दिया जाय । खंड ५ के द्वारा विश्वविद्यालय को यह शक्ति दी जा रही है कि वह भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकता है या विदेश के किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी दे सकता है । उसमें प्रतिबन्ध यह लगाया गया है कि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा, जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे । यानी इस प्रदेश के बाहर किसी भी कालेज को सम्बद्ध करने के लिये उस प्रदेश की राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करेगी ।

संविधान के अनुसार विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कानून बनाना राज्य सरकार की सूची में निहित किया गया है । मान लिया जाय कि बिहार का कोई कालेज अपने को इस संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध करना चाहे तो इस खंड ५ के अनुसार बिहार के कालेज को पहले बिहार की सरकार से कहना होगा और फिर बिहार की सरकार उस कालेज की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करेगी । यानी, इसका अर्थ यह हुआ कि दो राज्य सरकारें बीच में आवेंगी । पहले बिहार की राज्य सरकार, फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और फिर संस्कृत विश्वविद्यालय । अब सवाल यह उठता है कि बिहार का कालेज बिहार की सरकार से किस कानून के मातहत इस प्रार्थना को करेगा चूंकि वहां यू० पी० का क़ानून लागू नहीं होता। बिहार की सरकार कौन से क़ानून के अनुसार या विधान की किस धारा के अनुसार यू० पी० की सरकार से प्रार्थना करेगी कि बिहार के संस्कृत कालेज को इस बात की इजाजत दी जाय कि वह संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो। आप देखेंगे कि प्रतिबन्ध इस धारा में इस प्रकार का है जिसे मैंने अभी पढ़ा था । बहुत से ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ऐसी भी शिक्षा संस्थायें हो सकती हैं जिनका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार करती है । फिर इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अगर केन्द्रीय सरकार किसी शिक्षा संस्था को संस्कृत विद्यालय को सम्बद्ध कराना चाहे तो एफीलिएट करने के लिये उसको भी लिखना होगा। इसलिये इस प्रकार का जो खंड ५ में लिखा हुआ है वह संविधान के विरुद्ध है इसलिये उसको नियमानुकूल करने के लिये और उसको वैधानिक रूप देने के लिये "सरकार" और "एतदर्थ" के बीच विधानानुसार जोड़ दिया जाय । इन शब्दों के बढ़ाने से केन्द्रीय सरकार को या प्रान्तों की सरकारों को विधान की सूची के अनुसार जो मदें हैं उनके अनुसार कार्य करना होगा और आवश्यकता पड़े तो कानून बनाना होगा और उसके अनुसार वे अपने संस्कृत विद्यालयों को सुविधा दे पायेंगे । मेरे संशोधन के द्वारा जहां विधान के अनुसार यह बात संभव हो सकेगी वहां दूसरे राज्यों में जो संस्कृत महाविद्यालय हैं वे भी सम्बद्ध हो सकेंगे और इस प्रकार से विधान की जो मर्यादा है उसका पालन हो सकता है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी हमारे इस संशोधन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे, शायद उन्होंने विचार कर भी लिया होगा और वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मेरे इस विरोध करने का कारण है श्रीमन्, इसमें बिलकुल साफ है कि जब तक सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे । तो सरकार ही विधान बनाती है और विधान के अनुसार चलने का रास्ता उसको मालूम होता है तो फिर कौन सी ऐसी सरकार होगी जो संस्तुति करेगी और विधान के रास्ते को छोड़ कर करेगी । वह अपना रास्ता और अधिकार सब समझती है । इसलिये मैं इस पर और अधिक बहस नहीं करना चाहता। मैं यह समझता हूं कि यहां पर शब्द "विधानानुसार" रखने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती और जैसा बिल में रक्खा गया है वैसा ही ठीक है ।

डाक्टर सीताराम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी के विरोध के पश्चात् मुझे कोई आवश्यकता मालूम नहीं देती कि मैं माननीय नारायणदत्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करूं क्योंकि कोई कार्य जो सरकार करना चाहती है वह विधान के अनुसार ही करती है । इसलिये "विधानानुसार" शब्द जो वह बढ़ाना चाहते हैं मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत करें और भाषण भी दें तो यह पहली मर्तबा मेरे सामने परिस्थिति पैदा हुयी कि मैं उसको समझने की कोशिश करूं क्योंकि अभी तक माननीय नारायण दत्त तिवारी के जितने भी संशोधन आते रहे हैं मैं बिना किसी तरह से सोचे समझे उनका समर्थन करता रहा हूं । यह बिलकुल ठीक है और उसका समर्थन करना ही चाहिये । मैं अभी भी चाहता हूं कि उनके संशोधन का समर्थन करूं । इसलिये जरा माननीय नारायण दत्त जी ही शब्दों को समझा सकें तो ठीक हो, क्योंकि इसकी जो भाषा है और जो इनके भाव हैं वे दोनों परस्पर विरोधी हो रहे हैं । श्रीमन्, खंड ५ जो इस विधेयक का है उसकी भाषा यह है—

"विश्वविद्यालय यानी संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकता है और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को अभिज्ञात कर सकता है तथा वहां के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति दे सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय—

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा, जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे ।"

इसके पूर्व शिक्षा में सरकार से पूछ कर या सरकार द्वारा उसको एफिलिएट कराने का आवेदन-पत्र हो, ऐसी बात नहीं हो सकेगी । अगर ऐसा वे नहीं चाहते हैं, मैं उनकी भावना की सराहना करता हूं । मैं भी यही चाहता हूं कि सरकार को हर जगह न घसीटा जाय और यदि कोई शिक्षा संस्था अपने को एफिलिएट कराना चाहे और यदि सरकार द्वारा यह विश्वविद्यालय उसको एफिलिएट करना चाहे तो दोनों का एफिलिएशन हो जाय । इस तरह का एफिलिएशन कराने से यदि यह भाव है तो उस भावना की अभिव्यक्ति नहीं होती ।

माननीय रामेश्वर लाल जी ने बिलकुल सही कहा है कि इसका भाव यह है, माननीय नारायणदत्त जी ने केवल एक शब्द के लिये कहा कि "विधानानुसार" जोड़ दिया जाय । वह विधानानुसार क्या होगा, विधानानुसार तो वही होगा जो भारतीय संविधान में निहित है । माननीय नारायणदत्त जी ने विधानानुसार जोड़ने की बात भी कही और न जोड़ने की बात भी कही । तो ऐसी कोई साफ बात माननीय नारायणदत्त जी ने नहीं कही कि विधानानुसार तो

[श्री राजनारायण]

काम होगा लेकिन विधानानुसार न होगा तो उसके लिये सरकार क्या करेगी। मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और नारायण दत्त जी इसके ऊपर जरूर सोचें और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसकी आज्ञा दें और अगर आप इस स्तर पर भी आज्ञा दें तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूं। मुझे रामसेवक जी बता रहे हैं कि श्री राम नारायण त्रिपाठी ने कल बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये थे, उनकी नकल मेरे पास है। लेकिन श्रीमन्, मैं आप के कार्यालय के अधिकारी के सम्बन्ध में कहूंगा कि यद्यपि आप के यहां के अधिकारी ने मुझे सफाई दी लेकिन मैं उनकी सफाई से संतुष्ट न हो सका। अब तक यहां की जो प्रथा रही है वह आपको मालूम है, ११ बजे की डाक से कल वह रिसीव हुए लेकिन फिर भी वह नहीं छपे हैं, श्री रामनारायण जी ने उनसे बातचीत भी की तो सुबह उनसे कहा गया था कि ठीक है यह संशोधन अध्यक्ष महोदय के सामने आ जायेंगे, आप अपने संशोधनों को पढ़ते जायेंगे और वह हो जायगा। मैं आप से कहूंगा कि अगर वह लिये जायं .....

श्री उपाध्यक्ष--नियमों में तो अवधि रहती है।

श्री राजनारायण--जी हां, रहती है, नियम के अनुसार ३६ घंटे पूर्व वह आने चाहिये। लेकिन यह नहीं लिखा है कि इसी क्लाज पर बहस होगी, इसलिये अगर एक दिन पहले वह भेज दिये जाते हैं तो एजेंडे में कर दिये जाते हैं। वह संशोधन सारे बिल पर हैं, अभी कल परसों तक वह चलेंगे इसलिये आजतक की जो परिपाटी रही है कि इस तरह से संशोधन एजेंडे में आ जाते हैं और उन्हीं में से संशोधन पर हमारा संशोधन है। माननीय रामनारायण जी का संशोधन है कि "खंड ५ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।" अगर आप इसको ले लें तो इसी संशोधन पर मेरा संशोधन है। हमें इसका आश्वासन भी दिया गया था .....

श्री उपाध्यक्ष--इससे तो उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण--जी, वह तो है, ५ खंड पर ही श्री रामनारायण त्रिपाठी का संशोधन है और अगर वह निकाल दिया जाता है तो श्री रामेश्वर लाल जी का विरोध ठीक हो जाता है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि .....

श्री उपाध्यक्ष--अभी तो पहले इस पर विचार हो जाय।

श्री राजनारायण--ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। खंड ५ का प्रतिबन्ध यह है कि "(क) विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा अथवा भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे।" माननीय रामनारायण जी ने कहा था कि खंड ५ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय और हम समझते हैं कि अगर यह प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो माननीय नारायणदत्त जी का "विधानानुसार" जोड़ना भी बेकार होगा। वैसे सही मानों में यह प्रतिबन्ध अच्छा नहीं है और मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि श्री रामेश्वर लाल जी ने जो विरोध किया है वह सही किया है, यह प्रतिबन्ध न रहे और श्री नारायणदत्त जी जो मन्शा व्यक्त कर रहे हैं वह उनके संशोधन से पूरी नहीं होती और वही तो केवल विधायन में ले जाकर हमें फंसा रहे हैं। इसलिये सरकार इस पर विचार करे कि हर समय हर स्तर पर सरकार के हाथ में सारी शक्ति चली आ रही है, चाहे वह संस्कृत का क्षेत्र हो या किसी आधुनिक विद्या का क्षेत्र हो या कोई भी विश्वविद्यालय का क्षेत्र हो, एफीलियेशन का क्षेत्र हो या अध्यापकों से संबंधित विषय हो हर क्षेत्र में सरकार शक्ति अपने हाथ में रखना चाहती है, चाहे शिक्षा विशेषज्ञों की जो वहां की कमेटी है वह कुछ भी चाहे। मेरा निवेदन है कि सरकार जो इस बिल के द्वारा ज्यादा शक्ति अपने हाथ में ले रही है वह उसके हाथ नहीं जानी चाहिये। माननीय नारायणदत्त जी अपने संशोधन के द्वारा जो सरकार के हाथ में शक्ति नहीं देना चाहते

हैं भाव के द्वारा वह चली जा रही है। इसलिये माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन अपनी जगह पर उपयुक्त नहीं हो रहा है। मेरा नारायणदत्त जी से निवेदन है कि वे अपने संशोधन पर विचार करें ताकि उनकी और हमारी भावना एक साथ हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी भावनाओं को एक जगह रखते हुये इस संशोधन को एलाउ करें ताकि हमारी भावनायें प्रतिबिम्बित हो जायं।

*श्री अवधेश प्रतापसिंह—मान्यवर, मुझे महान् दुख है जब मुझे यह कहना पड़ता है कि माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक उनकी भावनाओं का प्रश्न है मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं लेकिन जिस रूप में संशोधन रक्खा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और उसका कारण बहुत साफ है और मैं समझता हूं कि उसको सुनने के बाद माननीय नारायण दत्त जी को भी कोई विशेष आपत्ति नहीं रह जायगी।

मान्यवर, यदि यह मान लिया जाय जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा विधानानुसार तो उसके लिटरली मानी हैं विधान के अनुकूल। लेकिन यह विधान कौन-सा है। हर एनऐक्टमेंट, हर पीस आफ लेजिस्लेशन विधान हो सकता है। छोटे नियम भी विधान कहा जा सकता है परन्तु भारतीय संविधान से उसका अभिप्राय हो तो वह एक दूसरी वस्तु है। कोई भी लेजिस्लेशन हो, कोई भी रूल बनाया गया हो वह विधानानुसार है। उसके आगे पीछे नहीं जा सकते लेकिन भारतीय संविधान जो है वह एक दूसरी ही चीज है। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जो असंगत हो और जिसमें कोई यह कठिनाई हो। यह ठीक है कि भारतीय संविधान में तीन लिस्टें हैं। एक है यूनियन की, दूसरी है स्टेट की और तीसरी है कांन्करेंट लिस्ट। लेकिन जो मुझे इस पर आपत्ति है वह दूसरी जगह है। मैं यह मानता हूं कि संशोधन जो है वह हेपिली वर्डेड नहीं है या जिस अभिप्राय से लाया गया है वह मकसद को पूरा नहीं करता। जिस उद्देश्य से यह संशोधन सदन के सामने रक्खा गया अगर सरकार उसे स्वीकार भी कर ले तो उसका अभिप्राय पूरा नहीं होता। विधानानुसार अपनी जगह पर कोई मानी नहीं रखता। अगर यह होता "भारतीय संविधान के अनुसार" तब भी उसका एक स्थान होता।

दूसरी बात मुझे उनसे निवेदन करनी है आपके द्वारा कि भारतीय संविधान का कोई प्रश्न इसमें नहीं उठता। लेकिन श्रीमन्, जहां पर यह प्रोवाइजो है, उसकी जो भावना है जिसके विरुद्ध माननीय नारायणदत्त जी इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं और वह यह कि उत्तर प्रदेश के बाहर कोई एफिलियेशन चाहे तो यह लाजमी होगा कि वह सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से सिपारिश करे और तत्पश्चात् वह स्वीकार किया जा सकता है। मैं माननीय उपमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां पर पूरा ऐक्ट आपने बनाया है वहां पर राज्य सरकार डिफाइन नहीं है—राज्य सरकार के मानी क्या होंगे क्योंकि राज्य सरकार इस ऐक्ट में बहुत-सी जगह आया है। आपकी सरकार से भी उसके मानी लग सकते हैं और दूसरे सूबों की सरकार से भी मतलब हो सकता है।

तीसरी बात जो कठिनाई की है वह यह है कि अगर विशेष तौर से कोई छात्र उत्तर प्रदेश आना चाहता है तो वह किसको लिखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगा। मैं यह कहता हूं कि अगर किसी दूसरे मुल्क से इस प्रदेश में पढ़ना चाहे, बनारस में शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को यूनाइटेट किंगडम की सरकार लिखेगी, यह सम्भव नहीं है, यह मुमकिन नहीं है, यह किसी भी इंटरनेशनल कोड के मुताबिक नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेंट को लिखे। अगर यूनाइटेड किंगडम की सरकार या अमेरिका की सरकार को या आस्ट्रेलिया या कनाडा की सरकार को लिखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से खतोकिताबत कर सकती है। आपके चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल को नहीं लिख सकती।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

लिहाजा अगर एक जगह आपने यह लाजिमी और अनिवार्य नहीं समझा कि विदेश के छात्रों के लिये आपने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है तो मेरी समझ में नहीं आता वह कौन-सा तरीका है जिसके आधार पर आप दूसरे सूबे से अगर छात्र बनारस में पढ़ना चाहें तो उनके लिये आप यह प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। हर चीज की कसौटी होनी चाहिये। यह कि आपकी तानाशाही हो, आपकी इच्छा हो और इच्छानुसार नियम बनाये जायं और जो आप चाहें वह उचित है और सही है तो उसका तो इलाज मेरे पास नहीं हो सकता है। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी हैं, मैं आशा करता हूं कि उपमंत्री महोदय को यह समझाने का प्रयास करेंगे और सम्भवतः मैं आशा भी करता हूं उनका प्रयास सफल भी होगा यदि वह चाहेंगे तो।

मान्यवर, अगर किसी विदेशी मुल्क के छात्र को आप सीधे इस यूनिवर्सिटी को अधिकार देते हैं कि उसको एफिलियेट कर सके, उसको मान सके तो अब दूसरी जगह के उनके छात्र इस यूनिवर्सिटी में विद्या अर्जन कर सकें तो अब परिस्थिति यह उत्पन्न होती है कि सिर्फ अगर पंजाब का कोई छात्र आना चाहता है तो उसमें कौन-सी महान् आपत्ति हुयी जाती है तो यह मैंने माना कि संशोधन का विरोधी हूं लेकिन मैं आशा करता हूं कि नवल किशोर जी जो सदैव मंत्री महोदय की सहायता के लिये तत्पर रहते हैं और जिनकी उदारता से वह बहुत कुछ संतुष्ट भी रहते हैं, आशा करता हूं वह किसी दूसरे संशोधन द्वारा इस त्रुटि को दूर करें और ऐसे दिग्गजों के रहते हुए, बगल में जब बैठे हुए हैं, ऐसी महान् भूल करें तो यह कदापि शोभा नहीं देता सदन के लिये अच्छा नहीं मालूम होता है और किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं। जहां तक उनकी इच्छा है, जिस उद्देश्य और लक्ष्य से वह संशोधन लाये हैं वह श्रेयस्कर है, लाभप्रद है और पूर्णतः मैं उससे सहमत हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, जो नारायणदत्त जी ने संशोधन पेश किया है सही तो यह है कि मैं उनके संशोधन को पूर्णतया समझ भी नहीं सका, क्योंकि उनका संशोधन न स्पष्ट ही है और यह भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता कि वह इस संशोधन के द्वारा क्या चाहते हैं। उन्होंने यह बताया कि यदि उनका संशोधन नहीं माना जायगा तो उसके लिये बहुत से कांस्टीट्यूशनल कम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे। क्या पैदा हो जायेंगे यह बात हमारे सामने अभी नहीं आयी। उनके संशोधन में विरोध करते हुए कुछ और नये कम्प्लीकेशन्स माननीय राजनारायण जी और श्री अवधेश प्रताप जी ने पैदा कर दिये और पैदा करने की कोशिश की। जहां तक इसकी भाषा है मैं यह समझता हूं कि भाषा बहुत स्पष्ट है और इसमें यह है कि विश्वविद्यालय किसी भी स्कूल को, किसी भी संस्था को, जो हमारे देश के किसी भी हिस्से में स्थित हो, उसके लिये मान्यता दे सकती है, एंफिलियेट कर सकती है और अपने इम्तहान के लिये, उम्मीदवारों के लिये जो हमारे देश के किसी क्षेत्र से या बाहर से आये हों उनके लिये आज्ञा प्रदान कर सकती है। उसके साथ-साथ एक प्रतिबन्ध भी है कि यह किसी ऐसी संस्था को जो कि यू० पी० के बाहर है एफिलिएट नहीं करेगा और उसके बाद दूसरा यह है कि भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे। इसका मतलब यह है कि इन दो चीजों में अगर कोई स्कूल या कोई संस्था हमारे प्रदेश के बाहर स्थित है और वह ऐसा चाहती है कि वह हमारे इस विश्वविद्यालय से एफिलिएट हो या किसी संस्था का कोई ऐसा अध्यापक हो जो हमारे देश के अन्दर किसी संस्था में काम करता है या वह सरकार द्वारा संचालित संस्था है और वह चाहती है कि उसको रिकग्नाइज किया जाय तो यह जभी हो सकेगा जबकि उस प्रदेश की या क्षेत्र की सरकार इस किस्म की सिफारिश करे। तो मैं यह नहीं समझ सकता कि इसमें क्या एम्बिगुइटी है। मान लीजिये कि पंजाब या बिहार की कोई संस्था यह चाहती है कि उसको संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएट किया जाय तो मुनासिब है कि पंजाब की सरकार या बिहार की सरकार इस बात की सिफारिश करे कि उसको इस

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर लिया जाय, एफिलिएट कर लिया जाय क्योंकि यदि इसमें ऐसी बात न रखी जाय तो यह भी एक अन्देशा हो सकता है, शिकायत की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से इंटरफियर करना चाहती है दूसरे क्षेत्रों के अन्दर, दूसरे प्रदेशों के अन्दर। तो हम किसी भी दूसरे प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में जबर्दस्ती करना नहीं चाहते। इसलिये इसके अन्दर यह बात रखी गयी है कि अगर वहां का कोई स्कूल या संस्था यह चाहती है कि हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएट हो तो यह मुनासिब है कि वहां की सरकार इस तरह की सिफारिश करे। यही चीज वहां के टीचर के सम्बन्ध में भी है।

कहा गया कि विदेश के विद्यार्थियों को तो आपने आज्ञा दे दी लेकिन आपने इस तरह की पाबन्दी अपने अन्य प्रदेशों पर क्यों लगायी। कोई पाबन्दी मान्यवर, इस बात की नहीं है कि किसी प्रदेश के विद्यार्थी इसकी परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं। पाबन्दी तो दो चीजों की है कि जो संस्थायें एफिलिएट होना चाहें या जो टीचर्स यह चाहें कि उनको रिकग्नाइज किया जाय उनके लिये आवश्यक है कि उनकी सिफारिशें वहां की सरकार करे। माननीय तिवारी जी चाहते हैं कि जो सिफारिशें हों वह विधान के अनुसार हों। मैं समझता हूं कि सरकार वहां की जो सिफारिश करेगी वह किसी न किसी नियम के अन्तर्गत तो होगी ही और यह जो कहा गया कि कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमसे सीधे बातचीत नहीं कर सकती उसको तो थ्रू गवर्नमेंट आफ इंडिया ही करना होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्टेट गवर्नमेंट की आपस में भी एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे की समस्याओं पर वह डाइरेक्ट एक दूसरे से पत्र-व्यवहार करती है और उनको सुलझाने की कोशिश करती है। मैं नहीं जानता कि तिवारी जी के दिमाग में वह कौन-सा विशेष कांस्टीट्यूशनल काम्पलीकेशन है, उसके समझने में तो मैं असमर्थ हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस शब्द "विधानानुसार" को इसमें डाल देने से बजाय इसके कि कोई इसके माने को समझने में सरलता हो या कोई इसको कार्यान्वित करने में ज्यादा आसानी हो, मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा काम्पलीकेशन्स बढ़ने की संभावना है। तो इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं कि यह जो उन्होंने रखा है "विधानानुसार" इस शब्द की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। प्राविजन जैसा है इसमें तो उनको या किसी को मतभेद हो सकता है कि प्राविजन सही है या गलत है, मगर इस बात के बारे में तो कोई मतभेद तिवारी जी को नहीं है। उनको मतभेद इस बात के ऊपर है कि जो सिफारिश हो उस गवर्नमेंट की वह विधान के अनुसार हो। तो मैं समझता हूं कि यह शब्द यहां रिडंडेंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह समझता था कि अपने संक्षिप्त स्पष्टीकरण से मैं अपने इस संशोधन को सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख अच्छी तरह स्पष्ट कर सकूंगा। जैसा कि मैं आम विवाद के समय बतला चुका था मेरा यह स्पष्ट विचार था कि इस विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय महत्व का होने के नाते इस असेम्बली द्वारा नहीं बल्कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाना चाहिये था और पार्लियामेंट ने कानून बना कर इस संस्कृत यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यापित करना चाहा था। विधान सम्बन्धी जो दिक्कतें हैं वह हमारे सदन का बनाया हुआ नहीं है, विधान परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर हिन्दुस्तान का संविधान बना, वह लागू है, हम कोई परिवर्तन अपनी ओर से नहीं कर सकते। जो कुछ भी उसमें कमियां हैं, जैसा भी वह है उसे वैसा ही हमें मानना पड़ता है। हम सब यह चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय विश्व में संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का एक केन्द्र बने और इसलिये अगर इस खंड ५ के हटाये जाने का हमने संशोधन नहीं रखा तो यही एक कारण उसका था। लेकिन हमारी इच्छा के विपरीत अगर संविधान जाता है तो हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी]

उसके लिये दोषी नहीं हैं। मैं तो केवल यह चाहता था कि संविधान के अन्दर जहां तक सम्भव हो सके उस सीमा के अन्दर, उस परिधि के अन्दर यह संस्कृत विश्वविद्यालय तरक्की करे।

आप यह देखेंगे कि जिस प्रकार इस खंड ५ को लिखा गया है, हिन्दी में जो भाषा है वह बहुत मानों में अस्पष्ट है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि वह ऐसी है कि कम से कम उसको दुबारा ठीक करने की कृपा करें और विधेयकों की अपेक्षा इसके अनुवाद में गलतियां ज्यादा हुई हैं। परम्परा यह दिखाई देती है कि पहले अंग्रेजी में विधेयक ड्राफ्ट किया जाता है और जब बिलकुल लिख लिया जाता है, मंजूर हो जाता है तो उसका अनुवाद कराया जाता है। तो अनुवाद कराने से जो मूल में भाव होते हैं वह उसमें नहीं हो सकते। क्योंकि अनुवाद अनुवाद ही होता है और हम बहस अनुवाद पर करते हैं तो बहुत से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप इसी खंड की जो अंग्रेजी की शब्दावली है उसको लें ले और हिन्दी की शब्दावली ले लें, तो अनेक शब्दों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। खैर, मेरे प्रयोजन के लिये तो मैं तो केवल संविधान की धारा २४६ की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें उपधारा (३) जो है उसमें लिखा हुआ है, जिसमें मर्यादाएं निश्चित की गयी हैं २४५ धारा में और २४६ में, कि हम केवल अपने उत्तर प्रदेश की सीमाओं के लिये ही कानून बना सकते हैं —

"Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the Territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State."

हम केवल अपने उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर स्थित जगहों के लिये, यहीं के लिये ही कानून बना सकते हैं। अगर हम ऐसा कानून बनाने लगें कि यू० पी० के बाद दिल्ली और आंध्र में लागू हो तो हम बना ही नहीं सकते। अब इसी में, जो स्टेट लिस्ट है उसमें हमको अधिकार दिया गया है ११ के अनुसार कि—

"Education including universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III."

शिक्षा इसमें राजस्व विषय में रखा गया है लेकिन इसमें से ६३, ६४, ६५ और ६६ इन चार मदों को अलग किया गया है। इनमें चार प्रकार के संगठन हैं। इनमें एक तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और—

"and any other instituton declared by Parliament by law to be institutions of national importence".

और कोई भी दूसरी संस्था जिसे पार्लियामेंट ने कानून के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो। इसके साथ ही साथ जो ६५ और ६६ आइटम्स हैं केन्द्र की सूची में—

"Union Agencies and institutions for—

(*a*) professional, vocational or technical training including the training of police officers; or

(*b*) the promotion of special studies or research; or

(*c*) scientific or technical assistance in the investigation or detection of crime."

और ६६ में—

"Coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.."

कोआर्डिनेशन का कार्य जो है, सामंजस्य का कार्य भी उच्च शिक्षा संस्थाओं में राज्य की केन्द्र की सूची में लिखा हुआ है। तो अगर संस्कृत विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों के, जो यू० पी० के बाहर हैं इनमें दी जानेवाली संस्कृत शिक्षा को कोआर्डिनेट करने की कोशिश करता

है और हम उसके लिये कोई कानून बनाते हैं तो हम अपने राज्य की सूची के बाहर जाते हैं। तो मेरा अभिप्राय यह है कि अगर हम किसी दूसरे राज्य के कालेज को अपने यहां संबंधित करना चाहें और एक उस पर प्रतिबन्ध लगावें कि बिना उस प्रदेश की सरकार के लिखे हुए हम विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं करेंगे। तो यह संविधान के विरुद्ध जाता है। इसके लिये आवश्यकता होगी कि मान लीजिये कि बिहार सरकार पटना संस्कृत कालेज के लिये यह चाहती है कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के संबंध स्थापित करे तो आवश्यकता होगी कि बिहार असेम्बली में एक कानून पहले आयेगा या पार्लियामेंट कोई ऐक्ट पास करेगा तब बिहार सरकार प्रार्थना कर सकती है यू० पी० सरकार से कि पटना कालेज संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से संबंध स्थापित करे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान के अनुसार हमारी स्थिति अस्पष्ट रहेगी। मैं दूसरी तरह से लेता हूं। मान लीजिये यू० पी० में गाजियाबाद, मेरठ, आदि के कालेजज हैं और वह देहली यूनिवर्सिटी से संबंध रखना चाहते हैं तो क्या वह कर सकते हैं। सहारनपुर, मेरठ वगैरा के कालेज जिनके लिये आगरा दूर पड़ता है तो क्या वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध कर सकते हैं। यदि राज्य सरकार चाहे भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी फेडरेटिक यूनिवर्सिटी है। गाजियाबाद दिल्ली से केवल १८–२० मील की दूरी पर है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के अभाव में घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय उपमंत्री जी ऐसी कोई मिसाल दें कि जहां यू० पी० का कोई इंस्टीट्यूशन किसी यू० पी० के ऐक्ट के अनुसार या दूसरे राज्यों के कानून के अनुसार संविधान के बाद बाहर की किसी संस्था से एफिलियेट हुआ हो। कोई मिसाल है, ऐसी कोई मिसाल नहीं हो सकती है यदि ऐसा कोई मसला आयेगा तो सरकार स्वयं मना कर देगी कि अधिकार नहीं है। इसी दृष्टिकोण से दूसरे राज्यों को दिक्कत हो सकती है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो विचार प्रकट किया है उसके संबंध में मैं यह कहता हूं कि उन्होंने सही बात को समझा है और मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि जो उन्होंने रखा है विधानानुसार के बदले संविधानानुसार कर दिया जाय।

डाक्टर सीताराम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बतला चुका हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने अच्छी तरह से नारायणदत्त जी तिवारी के संशोधन का जवाब दे दिया है। जहां तक हमारे संविधान का प्रश्न है तो कोई भी सरकार जो कार्य करती है वह संविधान के अनुसार ही करती है और इसमें साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी या हिन्दी जो भी चाहें देखें "On the recommendation of the Govt. concerned" जहां से कोई अभ्यर्थी या टीचर इस संस्था में आयेगा तो उसको उस स्टेट की रिकमंडेशन पर ही आना होगा। इस तरह से कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है कि वहां की सरकार रिकमंडेशन क्यों न करे। साथ ही साथ अभी अवधेश प्रताप जी ने बतलाया कि चैनेल शब्द होना चाहिये। तो चैनेल और रेकमंडेशन दोनों में तो बड़ा अन्तर है। जैसे नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि इंग्लैन्ड का कोई विद्यार्थी यहां पर इम्तहान देने के लिये आये तो कैसे आ सकता है। तो उस हालत में यह आवश्यक हो जाता है कि इंग्लैंड की सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया को उस अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रेकमेंड करे और फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी रेकमंडेशन के साथ भेजे। जैसे अगर नारायणदत्त जी तिवारी अमरीका में चार साल रहे हों और वहां उनको पी-एच० डी० न मिली हो और तीन महीने बाकी रह गये हों और वे इंडिया आना चाहते हों और अगर आने के पश्चात् डिग्री लेना चाहते हों तो तिवारी जी को नहीं मिलेगी जब तक कि यहां की स्टेट गवर्नमेंट कन्सर्न्ड वहां की सरकार को नहीं लिखेगी।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--अमरीका की स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा या किसी और को ?

डाक्टर सीताराम--वह सब मुझे मालूम है। तो इसमें स्पष्ट है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो शब्द रखे हैं कि "सरकार" व "एतदर्थ" के बीच शब्द "संविधानानुसार" रख दिया जाय, तो कोई भी सरकार कोई कार्य करती है तो संविधानानुसार ही करती है उसके विपरीत कोई भी सरकार नहीं जाती। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'सरकार' तथा 'एतदर्थ' के बीच शब्द "संविधानानुसार" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ तथा ७

पाठ्यक्रम

६--विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाख्याओं तथा प्रमाण-पत्रों के लिये शिक्षण-पाठ्यक्रम (course of study) अध्यादेशों और विनियमों (regulations) द्वारा नियत किये जायंगे।

निरीक्षण

७--(१) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों (museums), वेधशालाओं (observatories) इत्यादि का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करा सकती है।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय की सूचना देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय को अपना एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने तथा अपना पक्ष उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार शिष्ट परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् को ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के विषय में अपने विचार ज्ञापित करेगी और प्रतिवेदन (report) पर शिष्ट परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् का मत जान लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय को ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श देगी जो की जानी चाहिये।

(४) ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, कार्यकारिणी परिषद् राज्य सरकार को, की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित, कार्यवाही के सम्बन्ध में, प्रतिवेदन देगी और प्रतिवेदन में उन विचारों (views) का भी उल्लेख करेगी जिन्हें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शिष्ट परिषद् व्यक्त करना चाहे।

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण, उचित अवधि के भीतर, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही नहीं करते तो ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण दें, विचार करने के पश्चात् वह ऐसे आदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण ऐसे आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण।

८—(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा कार्यकारिणी परिषद् की संस्तुति से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध महाविद्यालय, उसके भवन, पुस्तकालय अथवा छात्रावास और उस महाविद्यालय द्वारा किये जाने वाले अध्यापन-कार्य का निरीक्षण और महाविद्यालय से संबंधित किसी विषय में भी जांच करा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालय को अपने इस आशय की सूचना देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और महाविद्यालय के प्रबन्धक को अपना एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और अपना पक्ष उपस्थित करने (to be present and be heard) का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार आदेश दे तो विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधि उन व्यक्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों।

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित (communicate) कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय।

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करते तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे निर्देश दे सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

श्री अध्यक्ष—अब यह खंड ८ में श्री रामेश्वर लाल जी का संशोधन शाब्दिक सा ही मालूम होता है जो कि मेरे ही अधिकार से हो सकता है, "कर सकता है" और "करेगी"। तो यह अगर आवश्यक होगा तो मैं खुद कर दूंगा। अगर आवश्यक नहीं हुआ तो कोई सुधार नहीं होगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।

९—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

(१) कुलपति (Chancellor);

(१—क) प्रति-कुलपति (Pro-Chancellor);

(२) उपकुलपति (Vice-Chancellor);

(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer);
(४) प्रस्तोता (Registrar);
(५) ग्रन्थाध्यक्ष (Librarian);
(६) छात्र संरक्षक (Dean of Student Welfare);
(७) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

श्री अध्यक्ष---माननीय जगन्नाथ मल्ल। (श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) क्या इसको उपस्थित करने के लिये आपको अधिकृत किया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---प्वाइंट आफ़ इन्फ़ार्मेशन। यह जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन ९-क के विषय में है और माननीय नारायणदत्त जी का (१) के विषय में है तो पहले कुलपति वाला आयेगा तब प्रति-कुलपति वाला आयेगा या पहले प्रति-कुलपति वाला आयेगा? इसमें कुछ उल्टा हो गया है।

श्री अध्यक्ष---नारायणदत्त तिवारी जी का संशोधन तो खंड १० में है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अन्तर्गत भाग (१-क) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस उपखंड १-क के द्वारा इस विश्वविद्यालय में एक नये अधिकारी का प्रतिष्ठान किया जा रहा है और उन्हें प्रति-कुलपति की संज्ञा दी गयी है। प्रो-चांसलर शब्द बहुत आकर्षक लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रति-कुलपति की नियुक्ति से शायद विश्वविद्यालय का गौरव, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी महत्ता कुछ बढ़ जायगी। श्रीमन्, अगर हम इस प्रो-चांसलर पद को और इसकी स्थापना के इतिहास को देखें तो सदा से ही यूनिवर्सिटी संगठन के इतिहास में प्रो-चांसलर का पद एक केवल आडंबर के लिये, ऐनामेंटल आप कह सकते हैं, सौंदर्य संगठन की अभिवृद्धि के लिये, रखा जाता है,। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रो-चांसलर की आवश्यकता तथा अधिकार निश्चित किये गये हैं। वहां पर तो और भी पद निश्चित हैं, ला रेक्टर का एक पद है, प्रो-वाइस-चांसलर का पद होता है, इस प्रकार से समय-समय पर विश्वविद्यालयों के संगठन में पदवृद्धि की जाती है और पदों का अनस्थान किया जाता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना में इस पद को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। पहले जो मूल विधेयक था उसके शरीर में, उसके कलेवर में इस पद का कोई स्थान नहीं था। इस पद को प्रवर समिति में स्थान दिया गया।

इसके सम्बन्ध में आम विवाद के समय कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही सुन्दर ढंग से अपने विचार व्यक्त किये। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कुछ इतिहास भी बताया कि काशी नरेश का एक विशिष्ट इतिहास है और एक परम्परा से एक वृत्ति चली आ रही है और इतिहास के आदि काल से चली आ रही है और उन्होंने काशी नरेश के संस्कृत ज्ञान का महत्व दिग्दर्शित कराते हुये इस बात को स्पष्ट किया कि क्यों इस प्रतिकुलपति के पद की स्थापना होनी चाहिये और क्यों उनको पहला प्रति-कुलपति होना चाहिये। हमें इस पद को एक नया नामकरण देने के पहले यह देखना आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता क्या है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, प्रतिकुलपति का कोई कार्य इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है। वह केवल, यह आशा की जाती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जब चांसलर नहीं होंगे तभी कार्य करेगा। चांसलर तो सर्वदा विद्यमान रहेंगे क्योंकि चांसलर तो इस विधेयक के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माने गये हैं। बिना राज्यपाल के राज्य चल नहीं सकता। राज्य को चलाने के लिये आवश्यक है कि सर्वदा और सदैव राज्यपाल विद्यमान रहें और जब राज्यपाल राज्य में विराजमान रहेंगे तो इसका अर्थ यह है कि चांसलर भी हर समय, कोई भी क्षण ऐसा न होगा कि जब राज्यपाल चांसलर की हैसियत में, चांसलर के रूप में राज्य के अन्दर विराजमान न रहें और राज्य के बाहर भी अगर हों तो चांसलर के रूप में न हों। इसलिये जब चांसलर मौजूद है और फिर वाइस-चांसलर मौजूद है, उपकुलपति मौजूद है, तो इस प्रतिकुलपति की क्या आवश्यकता है ? यह ठीक है कि चांसलर को कुछ विशिष्ट अधिकार हैं और कुछ विशेषाधिकार उनको प्राप्त हैं और यूनिवर्सिटी का सारा कार्य चलाने के लिये उपकुलपति की नियुक्ति की जाती है कि जो अपना सारा समय देता है, कार्यकारिणी को प्रेसाइड करता है, जो कोर्ट पर भी चांसलर की गैर मौजूदगी में उसका सभापतित्व करता है, यानी उपकुलपति सारे विश्वविद्यालय के जीवन का केन्द्रबिन्दु है, वह अपना सारा समय विश्वविद्यालय के संगठन में देता है तो फिर उपकुलपति के रहते हुये इस प्रकार के निरर्थक पद का बनाया जाना क्यों आवश्यक है। यह कहा जाता है कि काशी नरेश परंपरा से संस्कृत के बड़े विद्वान रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिये इस तर्क को मान लेता हूं, तो फिर ऐसे बड़े विद्वान की योग्यताओं से, जिनको कौटुम्बिक विद्वता प्राप्त हुई है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि काशी नरेश वगैरह बहस में इस वक्त नहीं आयेंगे क्योंकि वह खंड १० में आने वाले हैं। खंड १० में इसके सम्बन्ध में आयेगा कि उन्हें प्रोवाइस-चान्सलर होना चाहिये या नहीं होना चाहिये इस विषय पर तब चर्चा होगी। सम्भव है दूसरा या तीसरा प्रति कुलपति काशी नरेश न हो और कोई हो। इसलिये काशी-नरेश को प्रो-वाइस-चांसलर मान कर इस खंड पर बहस, मैं समझता हूं, नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं केवल इसको उदाहरणार्थ कह रहा हूं और यह भी बात है कि अगर इस समय यह साफ हो जाय तो फिर आगे मैं इसको मूव नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप खंड १० पर विचार करते समय मूव कर सकते हैं कि काशी नरेश न हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आप की इजाजत होगी तो मैं मूव करूंगा लेकिन अगर यह रखा जाय कि प्रति कुलपति निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यदि प्रति कुलपति वाला अंग निकाल दिया जाय यह चीज आपकी अस्वीकृत हो गयी और वह पास हो गया तो फिर प्रति कुलपति हटा दिया जाय यह सवाल खं० १० के विचार में नहीं आयेगा। उस समय खंड १० में आप यह संशोधन दे सकते हैं कि काशी नरेश प्रो-वाइस चांसलर न हो कोई दूसरा हो।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब प्रति कुलपति नहीं रहेगा तो फिर काशी नरेश की चर्चा ही क्यों आयेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं काशी नरेश का नाम नहीं लेता हूं। मान लीजिये कि प्रति कुलपति एक बहुत बड़ा विद्वान है जिनको शताब्तियों से कौटुम्बिक रूप से विद्वत्ता प्राप्त है और वह महान् विद्वान हैं और उद्भट् विद्वान हैं तो यह महत्वहीन पद हम उनको दें यह शोभा की बात नहीं है। अगर हमको ऐसा कोई संस्कृत का विद्वान मिलता है जो जन्मना विद्वान है क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम विद्वान हैं जो जन्मना किसी विषय के विद्वान रहे हों तो अगर ऐसा आदमी कोई मिले तो उसको उप कुलपति बनाना चाहिये। अगर हम ऐसे व्यक्ति को उपकुलपति बनाते हैं तो उनके अध्ययन से और उनकी विद्वत्ता से विद्यार्थियों को सीधे लाभ होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि अगर किसी विद्वान को हम प्रति कुलपति बनाते

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हैं तो इस प्रकार का महत्वहीन पद हमको उन्हें नहीं देना चाहिये। इसके साथ-साथ जो आजकल प्रगतिशील युग है और जो नयी शिक्षा का संगठन हो रहा है उसमें ऐसे महत्वहीन पद को नहीं बनाया गया है। इस सदन में कई विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास किये गये हैं। आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पास किये गये हैं। रुड़की यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पास किया गया और गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक भी पास किया है। यह ५ विश्वविद्यालयों के विधेयक यहां से पास हो चुके हैं। रुड़की और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को नये विश्वविद्यालय बनाने का प्राविजन हो चुका है और तीन यूनिवर्सिटी के विधेयकों को हम संशोधित कर चुके हैं। वहां पर हमने प्रो-वायस चांसलर बनाना उचित नहीं समझा है। क्या वहां के लिये विद्वान प्राप्त नहीं हो सकते थे? क्या वहां पर अपने-अपने क्षेत्र में विद्वान प्राप्त नहीं हो सकते थे और विद्वानों की कमी थी और इस प्रकार से लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान प्राप्त नहीं हो सकते थे जिनको उपकुलपति का पद दे कर कोई भी विश्वविद्यालय आदर प्राप्त कर सके? किन्तु उसमें इस प्रति कुलपति के पद को उस नयी शिक्षा पद्धति के अनुसार और उस नयी शिक्षा के संगठन के नये प्रारूप के अनुसार प्रो-वाइस चांसलर का पद नहीं बनाया गया है। इसलिये यहां पर प्रतिकुलपति का पद बनाना उचित प्रतीत नहीं होता।

ब्रटिश शासन काल में प्रो वाइस चांसलर बनाने की नीति थी और उसका एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी था, यह भी सम्भव है कि कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में इसलिये भी लोग प्रो-वाइसचांसलर बनाये गये हों कि उन्होंने उनकी स्थापना में कोई आर्थिक सहायता दी हो, जैसे आज हमारे देश में बहुत से लोगों के नाम से विद्यालय चलते हैं। किसी ने ५० हजार या १ लाख रुपया दे दिया और कालेज का उनके नाम से नामकरण हो गया। यह सहायता देना अवश्य सराहनीय है मगर कालेज के संगठन में, प्रबन्ध में, इस प्रकार का पद देना जो विद्वता से संबंध रखता हो, किसी प्रकार भी उचित नहीं है। पहले यह परम्परा अवश्य निभाई गई है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये यह परम्परा उचित नहीं है। मुझे पता नहीं है, शायद सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई हो, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने इस सदन को उससे अवगत नहीं कराया है, सरकार को इस विश्वविद्यालय के बनाने में कोई आर्थिक लाभ हो रहा हो। मैं सभी दृष्टिकोण से समझता हूं कि इस प्रति कुलपति के पद को न रखा जाय और प्रवर समिति से पहले जैसे पद रखे गये थे उसी प्रकार इस विधेयक को रहने दिया जाय।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूं और उन्हें दोहराना उचित नहीं है। प्रतिकुलपति का स्थान एक डैकोरेटिव यानी सम्मान का स्थान है। इसे इसलिये रखा गया है कि महाराजा बनारस का सारा कुटुम्ब संस्कृत कालेज से हमेशा से सम्बद्ध रहा है और अब भी हम उचित समझते हैं कि जब हम उस कालेज को न्यूक्लियस बना रहे हैं अपनी युनिवर्सिटी का तो चूंकि उनका उससे पुराना और गाढ़ा संबंध रहा है इसलिये उनको प्रतिकुलपति बनाया गया है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह—मान्यवर, मैं नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ध्यानपूर्वक उनके भाषण को सुनता रहा और यह भी चेष्टा करता रहा कि उनके उद्देश्य को भलीभांति समझ लूं। वह कहते तो बहुत कुछ और अपने दिल के गुब्बार निकालते दूसरी जगह लेकिन आपके टोकने पर वह अपनी जगह सीमित रहे। अगर आप यानी सरकार यह समझती है कि यह डैकोरेटिव या सम्मान के लिये या सौन्दर्य के लिये है और अगर उनसे मेरे मित्र को इतनी घृणा है तो मैं समझता हूं कि सौन्दर्य की यूनिवर्सिटी में बहुत सी चीजें हैं जैसे कनवोकेशन एड्रेस आप देते हैं। आप के यहां उपाधियां दी जाती हैं, तो अच्छा हो कि वाइस चांसलर के हस्ताक्षर करा के वे डाक से भेज दी जावें। किसी को कठिनाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होगी और वे उस उपाधि के हक़दार भी हो सकते हैं। आपकी स्टेट में बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जहां भले ही यह समझा जाता हो कि नाम तो उनका चलता है लेकिन वह भी डैकोरेटिव किसी माने में कहा जा सकता है। सौन्दर्य से यदि मेरे मित्र को इतनी घृणा है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनको यह शोभा भी नहीं देता है। इसी सदन में यह शिकायत कई बार दूसरों को हो सकती है, माननीय परिपूर्णानन्द जी को हो सकती है, माननीय नवलकिशोर जी को हो सकती है, मुझे हो सकती है, लेकिन माननीय नारायणदत्त जी को या माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को यह शिकायत हो, यह सम्भव या उचित नहीं है।

मान्यवर, यह कहा गया कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल में थीं। उन पर उनको आपत्ति है। श्रीमन्, अगर यही समझा जाय तो किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर पर भी आपत्ति हो सकती है क्योंकि उन्हीं के काल में यह सब ऐक्ट्स बने हैं। इसलिये यह कहना कि प्रोचांसलर ब्रिटिश काल की चीज को आधुनिक युग में, स्वतंत्रता के युग में नहीं होना चाहिये, ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो न चांसलर हो सकता है और न वाइस चांसलर हो सकता है और जितने ऐक्ट्स हैं सब रद्द हो जायेंगे। यह भी कहा गया कि पहले जब किसी को प्रोचांसलर बनाया जाता था तो किसी आर्थिक लाभ और आर्थिक दृष्टि से बनाया जाता था या उसको उस संस्था से विशेष लाभ पहुंचता हो। एक उदाहरण उन्होंने यह भी दिया कि आज बहुत से स्कूल खोले जाते हैं वह इस अभिप्राय से खोले जाते हैं कि नाम हो जाय, धन उपलब्ध हो जाय और इस प्रकार से उनके चलाने में सुविधा होती है। श्रीमन्, एक तरफ तो यह कहा जाय और जब कि वह एक प्रगतिशील संस्था के सदस्य हैं तो उनकी समझ में यह अच्छी तरह से आ सकता है लेकिन वह यह नहीं समझे हैं कि यदि किसी विशेष व्यक्ति ने या उसके परिवार ने परम्परा से संस्कृत भाषा के लिये बहुत कुछ किया है, यदि वही जीवित हों और उन्हीं के कारण आज यह सुअवसर प्राप्त हो कि आज हम वाराणसी विश्वविद्यालय खोल सके हैं तो फिर मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं देखता कि उस व्यक्ति को प्रोचांसलर क्यों न बनाया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको इसमें कौन सा अन्याय और कौन सी कठिनाई दिखायी पड़ती है।

उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर इस प्रदेश में हमेशा रहेंगे और जब गवर्नर सदैव रहेंगे तो कभी जगह खाली कुलपति की नहीं रहेगी। श्रीमन्, यह ऐसी चीज है जो संयोग की है। यदि कोई ऐसा अवसर आता है जब गवर्नर या राज्यपाल बहैसियत चांसलर के नहीं जा सकते तो प्रोचांसलर कनवोकेशन को प्रोसाइड कर दें और आगे चल कर जो परिनियमों में उनको अधिकार दिये जायं उनको पालन करें। मैं राज्यपाल महोदय की पोजीशन पर कटाक्ष नहीं करना चाहता न उनको किसी और प्रकार से खींचना ही चाहता हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि इस प्रदेश में ५ यूनिवर्सिटियां हैं, और भी हो सकती हैं, भविष्य में २४ भी हो सकती हैं तब भी राज्यपाल ही सबके चांसलर होंगे। यह तो उस तरह की बात हुयी कि लंका का राजा चाहे जो हो लेकिन रानी मंदोदरी ही रहेगी, यही सिद्धांत इस विषय में आप मान कर चलना चाहते हैं तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके साथ ही यह समझना कि राज्यपाल को फुरसत नहीं हो सकती तो उसकी मदद के लिये, उसके भार को हल्का करने क लिये, प्रोचांसलर रख दिया जाय, तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय नारायण दत्त जी को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री राजनारायण—क्या आप मंदोदरी को हटाना चाहते हैं?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं किसी को नहीं हटा सकता हूं। यह सौभाग्य माननीय राजनारायण जी को ही है कि वे जिसको हटाना चाहें उसको हटा सकते हैं।

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि इसके पीछे एक मनोवृत्ति है, एक भावना है और उस पर श्रीमान् के अंकुश लगाने पर इतने संकोच में वह भावना इतनी सीमित और संकीर्ण हुयी कि उन लोगों को एक दूसरा वार्ग अपनाना पड़ा। वह आग कब भड़केगी यह नहीं

[श्री अवधेशप्रतापसिंह[

कहा जा सकता। मैं भी चाहता हूं कि वह समय आवे, जब कि उस आग के अंगारे इस सदन के सामने आकर यह दिखला दें कि उनकी भावना क्या है। मैं समझता हूं कि उसी समय पता चलेगा कि मनोभावना क्या है और उसी वक्त उस मनोवृत्ति की रूप रेखा सदन के सामने दिखलायी देगी। श्रीमन्, इसका अच्छाई और बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ नाम पर उपाधि से नाम के सफिक्स और प्रिफिक्स से उनका प्रेम और उनकी घृणा होती है, यदि नाम के पीछे राजा बढ़ जाय और उसी बिना पर किसी से घृणा करने लगे और जिसके नाम के पीछे श्री श्री १०८ लिखा हो उससे प्रेम हो तो यह बात समझ में नहीं आती। नाम के पीछे यदि लोग आ जायं तो यह ठीक नहीं होगा। आपकी आज्ञा से मैं अपना विचार प्रकट कर चुका।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने मा० जगन्नाथ मल्ल के संशोधन का जो श्री तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री के यह कह देने के बाद कि प्रो-चांसलर की कोई कानूनी अहमियत है या कोई आवश्यकता नहीं है इस बहस में जाने की जरूरत नहीं रही, उन्होंने स्वयं इस सदन के सामने यह मान लिया है कि उसका फंक्शन डिकोरेशन यानी सजावट की वस्तु जैसा रहता है। माननीय मंत्री महोदय जो गांधीवादी हैं उनको सजावट से इतना प्रेम है इसकी जानकारी मुझे आज ही हुयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि अगर उनकी यही बात मान ली जाय कि उनका फंक्शन सिर्फ सजावट का है तो इसके चांसलर का क्या काम होगा। चांसलर की भी तो वहां कोई खास जरूरत नहीं होती। वायस चांसलर ही उसका सारा कार्य करता है। फिर जहां तक सजावट की बात है वह देखने की बात होती है। एक दूसरी सजावट भी प्रो-चांसलर के नाम पर माननीय मंत्री जी इस संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने का बचन दे चुके हैं और उन्होंने उसके लिये पूरा फैसला कर लिया है तो यह मैं समझ नहीं सका। अध्यक्ष महोदय, बनारस में किसी यूनिवर्सिटी को खोलना हो, संस्कृत यूनिवर्सिटी को खोलना हो या किसी यूनिवर्सिटी को खोलना हो वहां सजावट किस बात की? हम पुरानी संस्कृत और संस्कृत भाषा के हामी बनते हैं, लेकिन अगर आप गांवों में, शहरों में, बनारस में या किसी संस्कृत कालेज में जाकर देखें, संस्कृत पाठशालाओं को देखें तो मालूम होगा कि वहां के अध्यापक किस तरह से रहते हैं। जो गांवों में अध्यापक होते हैं वे सादे होते हैं, वे खड़ाऊं पहन कर चले जाते हैं, विद्यार्थियों में भी बड़ी सादगी है। लेकिन माननीय मंत्री जी जब संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने चले तो उनको सजावट की बड़ी फिक्र हुयी। अध्यक्ष महोदय, वह सजावट कागज से नहीं होगी, गुलाब के फूलों से भी नहीं होगी, वह सजावट उसके अन्दर विद्वान् अध्यापकों को रख कर होगी . . .

श्री अवधेशप्रतापसिंह--विद्वानों और अध्यापकों की बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जरा शांत रहें।

श्री रामसेवक यादव---विद्वान् अध्यापकों को विश्वविद्यालय में रखने की बात तो समझ में आ सकती है, संस्कृत यूनिवर्सिटी की यही सजावट हो सकती है, लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जी, जो माननीय मंत्री जी के पास ही बैठे हुए हैं, उनके तो एक खास व्यक्ति हैं जिनसे उनको प्रेम है। यह सजावट मेरी समझ में उसी खास व्यक्ति के लिये ही की जा रही है। इस सजावट का कारण सिर्फ यह है कि इस सरकार की विशेष कृपा एक व्यक्ति पर है और उस को उस जगह पर लाने के लिये इस विशेष प्रकार की सजावट के नाम पर यह पद प्रोचांसलर को लाया जा रहा है। शायद उन से श्री परिपूर्णानन्द जी का कोई पारिवारिक सम्बन्ध रहा हो और उसी को निभाने के लिये वह उनको ला रहे हैं और खानदानी योग्यता और परम्परागत योग्यता आदि शब्दों का इस्तेमाल कर के इस सदन में वह राजा साहब का आदर करते हैं और दशहरे के अवसर पर जब रामलीला होती है और उन की सवारी बनारस

में निकलती है तो श्री परिपूर्णानन्द जैसे लोग उन के आदर में हाथ बांधकर खड़े होते ही होंगे। उसी प्रकार के आदर के लिये राजा साहब बनारस को प्रोचांसलर बनाया जा रहा है।

हमारा कहना है कि अगर वह विद्वान् हैं तो उन को वह जगह अवश्य दी जाय। प्रोचांसलर की जगह न दी जाय बल्कि एक अच्छे अध्यापक की जगह दी जाय और अगर वह अच्छे वाइस चांसलर बन सकते हैं तो उनको वह पद भी दिया जाय लेकिन उन को वह सब न बनाकर और कोई पढ़ाने लिखाने का स्थान न देकर प्रोचांसलर बनाने की क्या नीति है। इससे तो साबित होता है कि उनकी योग्यता में सरकार को विश्वास नहीं है अगर ऐसा होता तो वाइसचांसलर उन्हीं को सरकार बनाती, तो उनमें दोनों ही चीजें नहीं हैं, काग़ज के फूलों से जो संस्कृत विश्व-विद्यालय को सजाने की बात मंत्री जी कर रहे हैं उसके विषय में मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अनावश्यक इरादा सदन के सामने करके और उनके विषय में इस प्रकार का प्रचार करके यह साबित न करें कि किस तरह से कांग्रेस सरकार और मंत्रिगण राजा नवाबों की ओर प्रेरित हैं और उनसे नाता जोड़ें हैं कि उनके बगैर कोई विश्वविद्यालय या उनका कोई काम चलता ही नहीं।

राजा साहब अवधेशप्रताप सिंह जी ने कटाक्ष किया कि राजा शब्द के जुड़ा होने से ही कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता। मैं भी मानता हूं और यह सत्य है कि राजा साहब बनारस बड़े अच्छे आदमी हैं और उन्हीं के लिये यह स्थान बनाया गया है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस पद पर उन को रखकर उन की विद्वता की बेइज्जती न करें और मैं चाहता हूं कि उन को किसी विशेष स्थान पर रखा जाय। इस तरह से तो वही सामन्तशाही की सी बात की जा रही है। यह सजावट का आधार ठीक नहीं है और इस बात को सरकार, मंत्री महोदय और श्री परिपूर्णानन्द जी जानते होंगे और इसका अभी आज इलाज हो सकता है। वह उसके मैनेजर या एक्जीक्यूटिव के सदस्य आदि बनाये जा सकते हैं लेकिन यह सजावट की जो बात मंत्री जी ने कही है तो काग़ज के फूलों से वहां की सजावट नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सदन से मैं निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रवर समिति ने ऐसा जान पड़ता है कि प्रतिकुलपति के पद को जोड़ने में इस बात का भी ध्यान रखा है कि प्रतिकुलपति के पद पर बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह जी को नियुक्त किया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि डेकोरेशन के लिये यह पद रखा गया है लेकिन मैं इस बात को अवश्य स्वीकार करता हूं कि जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में पहले कहा था कि महाराजा बनारस के प्रति कृतज्ञता प्रकाश के लिये यह बहुत ही आवश्यक समझा गया है। महाराजा बनारस ने संस्कृत के लिये, संस्कृत की सेवा में जितना बड़ा काम किया है वह किसी से छिपा नहीं है। संस्कृत कालेज की स्थापना काशी में और उसकी वह बिशाल इमारत पत्थर की जिस किसी ने देखी है वह साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि यदि महाराजा बनारस ने यह प्रयास न किया होता तो शायद संस्कृत की आज जो दशा है इससे भी खराब दशा को वह प्राप्त हुयी होती और संस्कृत भाषा की तरफ लोगों का रुझान कम होगया होता। विदेशी शासन काल में कुछ संस्कृत के प्रेमी ही पढ़ने की तरफ दत्तचित्त हुए क्योंकि उस वक्त नौकरी का साधन संस्कृत भाषा थी नहीं। बड़ी-बड़ी नौकरियां अंग्रेजी जानने वालों के लिये थीं। ऐसी दशा में संस्कृत भाषा मृतप्राय हो गयी। यदि महाराजा बनारस की तरफ से काशी में यह संस्कृत कालेज न खोला गया होता और जिस प्रकार उन्होंने उसको बढ़ाया, जिस प्रकार प्रेरणा दी जिस प्रकार उसमें धन लगाया वह अगर कार्य न किया गया होता तो जैसा मैंने कहा संस्कृत की दशा और भी हीन हो गयी होती।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

इस सदन के आज सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने संस्कृत के लिये इतना कुछ किया हो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट न करना यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इसमें किसी राजा या महाराजा को भावना पैदा करना और यह कहना कि राजा या महाराजा को स्थान दिया जा रहा है मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इसमें राजा या महाराजा का प्रश्न नहीं है बल्कि उस विशेष व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसने कि संस्कृत के लिये इतना किया उसके प्रति ही जो कुछ संयुक्त प्रवर समिति ने निश्चय किया मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन को उसका समर्थन करना चाहिये। यह प्रोचांसलर का पद आवश्यक हो या न हो लेकिन केवल इसी बात के लिये कि महाराजा विभूति नारायण सिंह को उनकी उस सेवा और उनके उस गौरव के अनुसार एक स्थान मिले इस पद का होना आवश्यक समझा गया और मैं समझता हूं कि आवश्यक है। मैं माननीय नारायणदत्त जी से फिर कहूंगा कि वे जो ये दलीलें देते हैं क्या आवश्यकता है, कौन सा अधिकार उनको मिल रहा है और अगर न रहें तो क्या नुक्सान हो जायगा और विश्वविद्यालयों में तो प्रोचांसलर नहीं है, तो इन दलीलों को वे छोड़ दें। इन दलीलों की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है और इसे माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने पहले भाषण में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था जिस आशय को लेकर यह प्रोचांसलर का पद इसमें रखा गया है मैं समझता हूं कि उसी आशय से उनको समझना चाहिये। वह आवश्यक है और वह हमारे लिये एक बहुत ही मुनासिब चीज है। इसलिये मैं समझता हूं वह रहना चाहिये और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल---मान्यवर, मैं यह जरूर सोच रहा था कि मैं इस संशोधन पर अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत न करूं जबकि अपने नेता माननीय राजनारायण जी के विचार मैं सुन चुका हूं और इधर जो बैठने वाले लोग हैं और उधर जो बैठने वाले हैं उनके भी सुने। फिर भी श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसको पार्टी लाइन पर सोचा जाय या जिस पर कोई बहुत बड़ा प्रतिबन्ध या अंकुश हो। मेरा ख्याल है कि कोई ह्विपिंग भी नहीं है। इसलिये मैं स्वतंत्र रूप से अपने विचार इस सम्बन्ध में आपके द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं माननीय नारायणदत्त जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं और इसके कारण भी हैं। श्रीमन्, जब संस्कृत साहित्य लोप होने लगा उसको यदि देश के राजा कहे जाने वाले कुछ लोगों ने---कुछ पंडितों या विद्वानों ने जो इसमें विद्वता प्राप्त कर चुके थे और जिनका समाज में निरादर होने लगा था यदि उन्होंने अवलम्बन, आदर सम्मान या आर्थिक सहायता न दी होती तो आज जो कुछ भी अवशेष उस साहित्य का है वह शायद हमको देखने को न मिलता। यह ठीक है कि हम समाजवादी हैं। राजा, महाराजा और धनी शब्दों से हमको घृणा है। जितने भाषण मैंने इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के सुने चाहे वह काग़ज़ के फूल की उपमा रही हो, चाहे किसी तरह की उपमा रही हो लेकिन यह हमें सुनने को नहीं मिला कि अगर उस काग़ज़ के फूल से वहां की सजावट कर दी जाय तो वहां क्या अन्तर आ जायगा। यह देखने को नहीं मिला कि हानि क्या हो जायगी? अगर हमको यह मालूम होता कि हानि होने वाली है तो शायद हम हिम्मत न करते कि हम इस संशोधन पर बोलें।

श्रीमन्, हमने देखा अकबर का दरबार, उसकी नीति के समर्थक नहीं, लेकिन यह तो मानने को तैयार हैं कि उसने साहित्यिकों की रक्षा की। हम यह मानने को तेयार हैं कि बनारस के महाराजा और उनके वंशजों ने संस्कृत साहित्य और साहित्यिकों की उस जमाने में जब उन पर आक्रमण हो रहे थे, विदेशी सत्ता के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सदन जानता है, तब उन्होंने उसकी रक्षा की थी और ऐसे समय में जब कि जमाना आता है जो कि २, ३, ४ सौ वर्ष पहले जब कि राजा, महाराजा बलरामपुर और भी कुछ लोग दूसरी दुनियां में मस्त थे, उस समय भी

भारतीय संस्कृत की रक्षा का जिन्होंने भार उठाया हो उनको सम्मान देना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि हम उन्हें सम्मान दें और उस सम्मान से हमारे कार्य में किसी तरह की बाधा न उपस्थित होती हो। १०० की समिति होगी कुछ गवर्नर साहब मनोनीत करेंगे, कुछ अध्यापकों के प्रतिनिधि होंगे, कुलपति होंगे, उपकुलपति होंगे और एक प्रोचांसलर होंगे। तो फिर कोई हानि की बात नहीं नजर आती। मैं समझता हूं बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करके सदन यही निर्णय देगा कि प्रतिकुलपति का पद कायम किया जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ जुलाई, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

प्रश्न संख्या १ से संलग्न सूची

मुजफ्फरनगर जिले में अतिवृष्टि तथा बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

कुल प्रभावित क्षेत्रफल	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन-संख्या	गिरे मकानों की संख्या	सम्पत्ति को क्षति	जीवन हानि		आवागमन के साधनों की क्षति
					मनुष्य	पशु	
१	२	३	४	५	६	७	८
१२० वर्गमील	४४	८७,४११	६९८८ देहात में, ६२४ शहर में	१—देहात में क्षति ग्रस्त मकानों तथा नष्ट गल्ले का मूल्य २८,७५,००० रुपया।	६	२०६	सभी सड़कों पर पानी जगह-जगह भर गया था, एक को छोड़कर शेष कई जगह से कट गईं थीं। मुजफ्फरनगर के ५ मील दक्षिण में एक रेलवे पुल बह गया था। मेरठ-मुजफ्फरनगर सड़क २०० फीट की लम्बाई तक टूट गई।
				२—२ चीनी मिलों में भी पानी भर गया था। एक मिल में २५,००० रु० की चीनी का नुकसान हुआ।			
				३—३१३ खत्तियों में पानी भर गया था जिसमें से २८ गल्ले से भरी खत्तियों का गल्ला खराब हो गया।			मुजफ्फरनगर-सहारनपुर व मुजफ्फरनगर-बिजनौर सड़कें भी टूट गईं। हिंडन नदी को बाढ़ से गाजियाबाद और देहली के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड तीन जगहों पर लगभग दो फर्लांग तक टूट गई। टेलीफोन, तार तथा रेल यातायात भी कुछ समय के लिये रुक गया था।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

प्रश्न २ से संलग्न सूची

मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्य

१—पानी के निकास का प्रबन्ध किया गया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। सम्पत्ति जो बचाई जा सकी, बचाई गई। लोगों के ठहराने का प्रबन्ध किया गया। शहर में खत्तियों से पानी निकालने का प्रबन्ध किया गया।

२—गरीबों को निम्नलिखित वस्तुएं सरकार की ओर से मुफ्त दी गईं :—

गेहूं, गेहूं का आटा, चना, भूजा चना	..	६२३	मन
गुड़	..	८	मन
नमक	..	५२॥	मन
मिट्टी का तेल	..	५२	गैलन
कम्बल	..	२०२	
सिरकी	..	४५१	

इसके अतिरिक्त बहुत से भोजन की सामग्री बाढ़ पीड़ितों को शहर की दानी संस्थाओं की ओर से भी बांटी गई।

३—लोगों के स्वास्थ्य के लिये उचित प्रबन्ध किया गया। मृत पशुओं की लाशें, मलवा, गन्दगी आदि के हटाने का प्रबन्ध किया गया। कुओं को कीटाणु रहित किया गया तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य किये गये। सड़े गल्ले को बेंचने से रोका गया और उसको सरकारी अधिकार में कर लिया गया।

४—टिन शीट तथा सीमेन्ट मंगाया जा रहा है, जो लोगों को उचित मूल्य पर घर बनाने के लिये मिलेगा।

५—सरकार ने १ लाख रुपया अहेतुक सहायता तथा ३·५ लाख तकावी के हेतु स्वीकृति किये हैं। मकान बनाने के लिये फी आदमी ५०० रु० तकावी या ५० रु० अहेतुक सहायता जरूरतमन्द लोगों को मिल सकेगी। जिलाधिकारी लोगों के लिये जमीन का भी उचित प्रबन्ध करेंगे।

६—भूसा के लिये भी प्रबन्ध किया जा रहा है। १०० वैगन भूसा मध्य प्रदेश से मंगाया जा रहा है।

७—गल्ले के भाव को चढ़ने से रोकने का प्रबन्ध भी किया जा रहा है।

८—प्रभावित क्षेत्र में मालगुजारी की वसूली स्थगित है। पंचायत टैक्स की वसूली भी प्रभावित गांव में स्थगित कर दी गई है।

९—लोगों को ईख का मूल्य चीनी मिलों से शीघ्र दिलाये जाने का प्रबन्ध किया गया है।

१०—शहर में घर बनाने के लिये Urban Housing Scheme के अधीन ऋण देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

सन् १९५५ के श्रमदान सप्ताह में नवनिर्मित व मरम्मत की गई सड़कों का विवरण

क्रम-संख्या	पंचायत निरीक्षक क्षेत्र		नव निर्मित सड़कों की लम्बाई (मील फर्लांग व गजों में)			मरम्मत की गई सड़कों की लम्बाई (मील फर्लांग व गजों में)			अन्य विवरण
			मी०	फ०	ग०	मी०	फ०	ग०	
१	सिराथू	..	०	३	०	९	७	०	
२	मंझनपुर	..	..	..	..	५	०	२००	
३	चायल गंगा पट्टी		८	७	०	३	४	०	
४	चायल जमुना पट्टी		..	..	..	२४	३	७०	
५	सोराम	..	५	२	०	२३	५	०	
६	फाफामऊ	..	५	४	०	१२	२	०	
७	फूलपुर	..	१०	०	६०	११	६	६०	
८	हनुमानगंज		२	५	०	१४	२	१०	
९	हंडिया	..	१५	०	०	२८	०	०	
१०	मेजा रोड		१	६	१००	१४	२	०	
११	कोरांव	..	५	७	१००	८	७	०	
१२	करछना		५	०	०	८	०	०	
१३	जसरा	..	४	३	१०	२	०	११०	
	योग	..	६४	६	१८०	१३६	०	१००	

नोट—१,१४२ ग्राम सभाओं ने १३ पंचायत निरीक्षक क्षेत्रों में श्रमदान किया।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

AGRA MENTAL HOSPITAL (6/7-10-51)

This Hospital was characterized as "deplorable" by Prof. Mapother (1938); according to Col. Tylor (Appendices to Bhore Report, p. 58,1947) it stands in need of many improvements. This holds still true although some of the urgent requests of the superintendent, quoted by Col. Taylor, have meanwhile been granted.

My impression of Dr. Lal, Superintendent of this Hospital, tallies with that of Col. Taylor ; he is a progressive and intelligent man, clear headed, and still enthusiastic.

The hospital with over 600 beds, admitted about 350 patients early during last two years. The patients come from a large area, including Delhi, and only the most urgent cases can be admitted, among them are a number of evacuees from Pakistan. There are a number of paying patients, in three different classes, and the income of the hospital from these during 1950 exceeded one lakh rupees.

The accommodation of these patients and especially of the non-paying patients, leaves still much to be desired. Many buildings are in the old style of single celled rows, the impression of cages being emphasized by many iron doors with grills. However, many of the doors are now open, since occupational and recreational therapy are practised, presenting the deterioration of chronic patients. An instructor in physical culture is employed and a trained occupational therapist had just been appointed. Hookworm with anaemia and other forms of nutritional deficiencies are still widespread complications among the patients, but are now successfully combated, proper diet and additional vitamins are available for all patients.

There still remains the problem of personnel. Dr. Lal, for instance, has no adequate clerical help for his administrative work and consequently has to spend hours at his desk which he could much more usefully employ by treating patients. He has very little trained medical help, doctors in mental hospitals being so poorly paid that keen practitioners who want to have a family and live under tolerable conditions, cannot be attracted by the service. What is really disastrous, are the *nursing conditions* of this hospital. It has only six fully trained male nurses and one trained female nurse (for 170 female patients). Here again the low remuneration is blamed ; but when discussing this problem with Dr. Lal, I got the impression that more could be done in propagating the urgent need for mental nurses among women in search of a profession, especially in the Nurses' Colleges. If, for instance, the Nurses' College in Agra would include a three months tuition in psychiatry into their training programme (as is done in U. S. A., and in many Nurses' Schools in London), the recruitment of mental nurses would become much easier. One of the Sister-tutors, offered to the Indian Government, should be attached to the Agra Mental Hospital for two years. The hospital employees 120 trained attendants (male and female) who, at present, do most of the nursing. They work in three shifts, 56 hours per week, and are, according to Dr. Lal, inadequate in their work and too few in numbers. No attempt seems to have been made to give these attendants some kind of instruction. Absence of trained nurses

is probably also responsible for the persistent seclusion of twelve homicidal patients in single rooms with iron bars, much too high a number of solitary confinements for an up-to-date mental hospital. (There are no "criminal lunatics" in this hospital).

To sum up ; this hospital has improved in may respects since it was reported on by earlier observers, thanks to its active, interested and well informed superintendent. All the more important modern physical treatments are practised (insulin and convulsion therapy, fever therapy, leucotomy, etc.). What it needs is enlargement to a capacity of a thousand beds reconditioning of the present buildings and provision of modern buildings, enabling a better grading of patients of various types. Establishment of an outpatients clinic in the general hospital would add to the interest of the doctors and provide better service for its immediate environment. There should be contact with the Agra Nursing College for the recruitment of nursing staff. The poor pay of doctors and nurses prevents here, as in most other places, the recruitment of good personnel.

The greatest asset is the present superintendent who "deserves every encouragement". (Col. Taylor)

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

प्रश्न संख्या १६ में उल्लिखित विवरण

अल्मोड़ा---प्रसंगगत अनुदान-प्राप्त तीन पौधशालायें समुचित रूप से कार्य कर रही हैं। इन पौधशालाओं में उत्पादित वृक्ष, बीज व फल जनता को बेच दिए जाते हैं।

गोरखपुर--- उक्त अनुदान प्राप्त पौधशाला में कलमी तथा बीज वाले फलों के वृक्ष तैयार होते हैं, जिनकी संख्या इतनी होती है कि पौधशाला जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति हो जाती है। इस पौधशाला में, वृक्षों के अतिरिक्त तरकारियों के पौधे भी प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में तैयार किए जाते हैं। पौधशाला की आर्थिक अवस्था अच्छी है।

गोंडा--- उल्लिखित अनुदान प्राप्त तीन पौधशालाएं सन्तोषजनक रीति से काम कर रही हैं।

फैजाबाद---कथित अनुदान प्राप्त पौधशाला प्रतिवर्ष ३,००० बीज वाले तथा २५०० कलमी वृक्ष जनता को बेचती है।

अलीगढ़---प्रसंगगत अनुदान रूपी सहायता प्राप्त करके सन् १६५० में स्थापित होकर अलीगढ़ जिले में स्थित पौधशाला ने निम्न संख्याओं में वृक्षों की बिक्री की।

वर्ष			बेचे गए पेड़ों की संख्या
१६५०	..	..	३,२००
१६५१	..	..	४,८००
१६५२	..	..	५,६००
१६५३	..	..	७,१००
१६५४	..	..	११,०००
१६५५	..	..	१३,०००
		योग ..	४४,७००

गढ़वाल--- उक्त अनुदान-प्राप्त एक पौधशाला सुचारुरूप से काम कर रही है। उसमें विविध फलों के लगभग १,६०६ वृक्ष हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

सूची

गांव सेवढ़ी (मड़ई), सराय रसूलपुर (मोहरगंज) में स्वीकृत कूप निर्माण व कूप मरम्मत की सूचना, पं० नी० क्षेत्र सकलडीहा, तहसील चंहौली, जिला बनारस।

क्रम-संख्या	कूप निर्माण या मरम्मत जो स्वीकृत है	नाम व्यक्ति व पता जिसके नाम कुएं का निर्माण व मरम्मत स्वीकृत है	बने अथवा नहीं	कितने को पैसा दिया	कितने बाकी हैं	अन्य
१	कूप निर्माण	श्री काशीनाथ सिंह–रसूलपुर	अभी तैयार नहीं है	२००)	२००)	
२	,,	श्री राजाराम सिंह ,, ,,	,,	२००)		
३	,,	श्री बलदेव अहीर ,, ,,			बाकी	
४	,,	श्री अलगूराम हरिजन, मोहरगंज	,,	२००)		
५	,,	श्री सेमलराम, सेवढ़ी	,,	२००)		
१	कप मरम्मत	श्री काशीनाथ सिंह सराय रसूलपुर	अभी तैयार नहीं है		बाकी	
२	,,	श्री राजा राम सिंह ,,	,,		,,	
३	,,	श्री राधेश्याम लाल सेवढ़ी	ठीक है		,,	

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक,] १९५६

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सभी हिन्दू मंदिरों में हिन्दुओं के समस्त वर्गों और उपवर्गों (classes and sections) के प्रवेश करने तथा वहां उपासना करने, अधिकार की घोषणा करने तथा कतिपय अन्य सम्बद्ध विषयों का

विधेयक

संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है तथा किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषिद्ध है ;

और दलित वर्गों (depressed classes) के व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के संबंध में शंकाओं के निराकरण के निमित्त यह आवश्यक है कि हिन्दुओं के समस्त वर्गों अथवा किसी भी वर्ग की तत्सम्बन्धी सभी निर्योग्यताओं (disabilities) को हटाने की विधि द्वारा घोषणा की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "दलित वर्ग" (depressed classes) से तात्पर्य है "हिन्दू समाज की कोई भी जाति या वर्ग जो किसी रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार (custom, usage or practice) के कारण किसी मंदिर में प्रवेश करने से अथवा वहां उपासना करने से अपवर्जित (excluded) हो।"

(ख) "हिन्दू" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिदेश (reference) है, जो सिख, जैन या बौद्ध धर्म का अनुयायी हो तथा "हिन्दू मंदिर" के अभिदेश का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा।

(ग) "मंदिर" से तात्पर्य है कोई स्थान, उसका नाम चाहे जो भी हो जो हिन्दू समाज अथवा उसके किसी भी सम्प्रदाय के निमित्त धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में, समर्पित हो, अथवा उसके लाभार्थ हो, अथवा अधिकारतः उसके प्रयोगार्थ

(use as of right) हो और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध (subsidiary) उपासना स्थल (shrines) मठ, देव-स्थान, शिवालय, मंडप तथा ऐसे मंदिर से संलग्न समस्त भूमि (lands) हैं।

(घ) "उपासना" से तात्पर्य है ऐसी धार्मिक सेवा जिसे किसी मंदिर में अधिकांश उपासक करते हों या करें अथवा उसमें भाग लें, तथा इसके अन्तर्गत--

(१) मंदिर से संलग्न किसी पावन तालाब (tank), कूप स्रोत अथवा जलप्रणाली चाहे वह मंदिर के प्रांगण (precincts) के भीतर स्थित हो अथवा बाहर, के जल में स्नान करना अथवा उसका प्रयोग करना है,

(२) किसी ऐसे पवित्र स्थान से--जिसके अन्तर्गत कोई पहाड़ी या टीला या सड़क या गली या पथ भी है--होकर गुजरना है जो मंदिर में प्रवेश करने के निमित्त आवश्यक हो।

३--संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा "अस्पृश्यता" का उन्मूलन हो जाने पर भी, कभी-कभी हिन्दुओं के कुछ उपवर्गों (sections) के किसी हिन्दू मंदिर में उपासना करने तथा उसमें सम्मिलित होने के संबंध में शंकायें प्रकट की जाती रही हैं अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती है--

(क) किसी भी विधि, रीति-रिवाज, प्रथा अथवा व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक हिन्दू को, वह चाहे जिस जाति या उपवर्ग का हो, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करे, वहां उपासना करे और उपासना में उसी प्रकार और उसी सीमा तक सम्मिलित हो, जिस प्रकार और जिस सीमा तक साधारणतया हिन्दू लोग अथवा उनका कोई उपवर्ग उपासना करता या उसमें सम्मिलित होता हो।

(ख) प्रत्येक रीति-रिवाज, प्रथा तथा व्यवहार, जो "अस्पृश्यता" के आधार पर, दलित वर्ग के किसी व्यक्ति के, किसी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करने उसके वहां उपासना करने या उसमें सम्मिलित होने के अधिकार पर प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई निर्योग्यता (disability) आरोपित करता हो, या अन्य किसी प्रकार से उसमें रुकावट पहुंचाता हो, सदैव ही शून्य और व्यर्थ रहेगा और समझा जायगा।

४--कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी, किसी भी वाद अथवा कार्यवाही में चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय लंबित (pending)

हो, अथवा तत्पश्चात् निविष्ट की जाय, किसी ऐसे रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार पर, जो धारा ३ के खंड (ख) में अभिदिष्ट है, विचार न करेगा और न उसे अन्य किसी प्रकार से मान्यता देगा, तथा धारा ६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार का प्रत्येक वाद अथवा कार्यवाही इस प्रकार निर्णीत होगी मानों वह रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार किसी भी सारवान (material) दिनांक पर विद्यमान न रहा हो ।

५—कोई भी व्यक्ति, जो हिन्दू हो और किसी हिन्दू मंदिर में प्रदेश करे और वहां उपासना करे, अथवा उपासना में सम्मिलित हो तो उसके विषय में केवल ऐसे प्रवेश, उपासना या सम्मिलन के कारण ही यह न समझा जायगा कि उसने कोई अभियोज्य अपकृत्य या अपराध (actionable wrong or offence) किया है और उसके लिये उसके विरुद्ध न तो कोई वाद ही प्रस्तुत किया जा सकेगा और न अभियोग ही लगाया जा सकेगा ।

६—(१) यदि किसी वाद या कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त (involved) कोई दावा, अथवा किसी डिक्री या आज्ञा का पारित किया जाना अथवा निष्पादन (execution), किसी भी प्रकार इस अधिनियम द्वारा घोषित अधिकारों के प्रतिकूल हो, तो कोई भी दीवानी न्यायालय किसी भी ऐसे वाद या कार्यवाही को न तो ग्रहण करेगा (entertain), न उसे जारी रक्खेगा, न उसके संबंध में कोई डिक्री पारित करेगा, न आज्ञा देगा और न पूर्णतः अथवा अंशतः किसी ऐसी डिक्री या आज्ञा को निष्पादित ही करेगा ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय लंबित (pending) प्रत्येक वाद, चाहे वह प्राथमिक न्यायालय (court of the first instance) में हो अथवा अपील न्यायालय में अथवा पुनरीक्षण (revision) न्यायालय में, जो इस आधार पर कि दलित वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा किसी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करना, वहां उपासना करना अथवा उपासना में सम्मिलित होना किसी विधि, रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार के विरुद्ध है, अथवा इस आधार पर कि ऐसे वर्गों को उक्त प्रवेश, उपासना या सम्मिलन से अपवर्जित कर दिया जाय—क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा (injunction) अथवा घोषणा संबंधी अथवा अन्य किसी उपशम संबंधी हो, समाप्त हो जायगा और एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है तथा प्रत्येक निषेधाज्ञा, चाहे वह किसी अन्तर्वर्तीय कार्यवाही (inter locutory proceedings) में अथवा अन्य किसी प्रकार से जारी की गयी हो, अथवा किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में दी गयी हो, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी उपबन्ध के रहते हुए भी उक्त प्रकार से खारिज हो जायगी, तथा एतद्द्वारा खारिज की जाती है ।

७—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

८—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

उद्देश्य और कारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है, तथा इसका किसी भी रूप में व्यँवहार निषिद्ध है। जैसा कि अनुच्छेद ३५ के साथ ही साथ उक्त अनुच्छेद में भी अपेक्षित था, संसद ने अनटचेबिलिटी अफेंसेज ऐक्ट, १९५५ पहले ही अधिनियमित कर लिया है। इस ऐक्ट में तत्संबंधी अपराधों के लिये दंड नियत है। अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाने पर भी जनता के कुछ वर्ग (sections) अब भी यह कहते चले आ रहे हैं कि कुछ वर्गों (sections) को हिन्दू मंदिरों में अथवा धार्मिक उपासना के अन्य स्थानों में प्रवेश करने का वैसा ही अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि समाज के अन्य सदस्यों को प्राप्त है। ऐसा कहने का आधार उन रीति-रिवाजों, प्रथाओं तथा व्यवहारों को बताया गया है कि जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे शास्त्रों में उल्लिखित हैं किन्तु उपर्युक्त अनुच्छेद १७ को देखते हुए ऐसा कहना विधि की दृष्टि से ठीक नहीं है। धार्मिक उपासना प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है, अतएव सरकार का विचार है कि यदि अस्पृश्यता के आधार पर अब भी कोई शंकायें रह गयी हों तो उनका अंतिम रूप से निराकरण कर देना चाहिये। तदनुसार यह विधेयक दलित वर्गों के प्रत्येक सदस्य को यह आश्वासन दिलाने के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है कि उसे प्रत्येक हिन्दू मंदिर में प्रवेश करने तथा उपासना करने और उसमें सम्मिलित होने का वैसा ही और उतना ही अधिकार प्राप्त है जैसा और जितना अधिकार साधारणतया हिन्दुओं को अथवा उसके किसी वर्ग को प्राप्त है।

जुगल किशोर,
समाज कल्याण मंत्री।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२३ एल० ए०—१९५६—७९६।